खण्ड-201, अंक-8
मंगलवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(24 फरवरी, 1959 ई0)

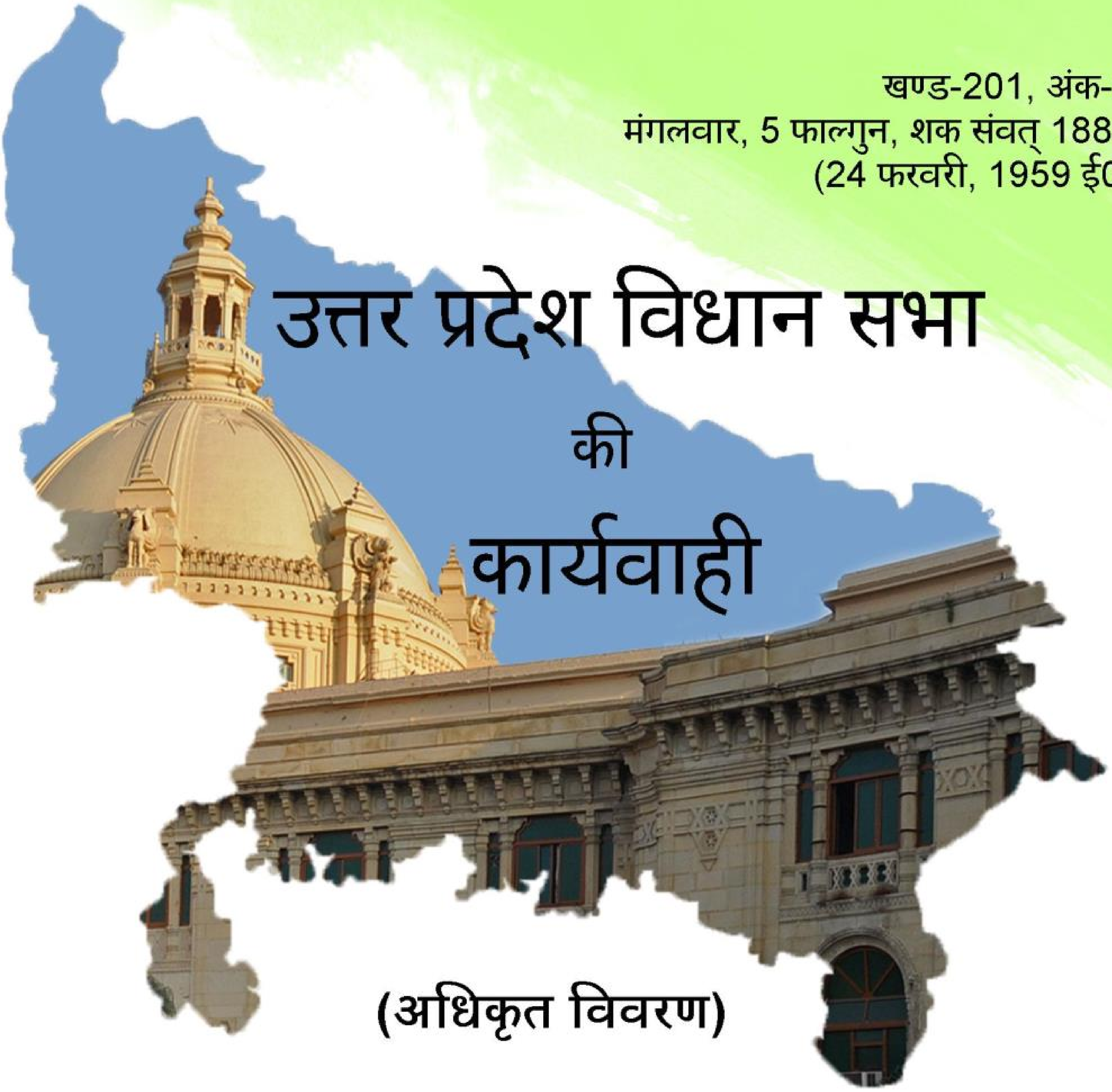

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 201 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कृष्णताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झा खंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर,श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९

तारांकित प्रश्न

शाहगंज तहसील में कार्य से हटाया गया पंचायत इंसपेक्टर

*१---**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के कितने ऐसे पंचायत इंस्पेक्टर हैं जो सन् १९५० में अपने कार्य से अलग कर दिये गये थे पर उनका वेतन तथा मार्ग व्यय अब तक सरकार के जिम्मे बाकी चला आ रहा है ? यह बकाया रकम कितनी है तथा क्यों बाकी रखी गयी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जौनपुर की तहसील शाहगंज में नियुक्त एक पंचायत इंस्पेक्टर को सन् १९५० ई० में सेवा से हटाया गया था परन्तु उनका कोई भी देय वेतन तथा मार्ग व्यय सरकार के जिम्मे बाकी नहीं है ।

पट्टी खरही के ग्राम सभापतियों के विरुद्ध गबन के मामले

*२---**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अल्मोड़ा जिले के पट्टी खरही के कुछ ग्राम सभापतियों के विरुद्ध निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में कुछ गबन के मामले चले हुये हैं और उन पर कानूनगो तथा तहसीलदार द्वारा इन्क्वायरी भी हो गई है ? यदि हां, तो उस इन्क्वायरी का प्रतिफल क्या रहा ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां, कुछ मामले चल रहे हैं पर अभी जांच पूरी न होने के कारण प्रतिफल बताना सम्भव नहीं है ।

*३---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार ने उन ग्राम सभापतियों को मुअत्तल कर रखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार सदन की जानकारी के लिये संक्षिप्त रूप से उन मामलों को बताने की कृपा करेगी जिन पर जांच चल रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त गबन के मामले में ३ प्रधान (सभापति) मुअत्तल हैं :--

१---प्रधान, गांव सभा, खांकरपट्टी, खरही ।
२---प्रधान, गाव सभा, छानी पट्टी, खरही ।
३---प्रधान, गांव सभा, विलौरी पट्टी, खरही ।

ये प्रधान दिनांक १२ जुलाई, १९५८ को परगनाधीश, अल्मोड़ा द्वारा मुअत्तल किये गये हैं । अभी जांच की कार्यवाही पूर्ण न होने से इन प्रधानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है ।

कानूनगो ने, कुल १४ योजनाओं में से जो कि गबन से सम्बन्धित हैं, ८ की रिपोर्ट दिनांक १२ नवम्बर, १९५८ को तथा ६ की रिपोर्ट दिनांक २३ दिसम्बर, १९५८ को तहसीलदार को प्रस्तुत की । जांच में कुछ कमियां पाये जाने के कारण अभी तहसीलदार जांच कर रहे हैं ।

पंचायत मंत्री की सेवायें गबन के कारण दिनांक २० दिसम्बर, १९५७ से दिनांक ११ दिसम्बर, १९५८ के आदेशानुसार समाप्त हो चुकी है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सभापतियों के खिलाफ सरकार के पास रिपोर्ट कब पहुंची और कब से जांच शुरू हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---तारीख बताने के लिये तो नोटिस चाहिये। लेकिन जैसे ही शिकायत आयी वैसे ही जांच के लिये भेज दी गयी और जो कुछ ऐक्शन लेना बहुत जरूरी था वह भी ले लिया गया है। पंचायत निरीक्षकों की सेवायें १ माह का वेतन देकर समाप्त कर दी गई हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गबन का किस धन से सम्बन्ध है ? अगर है तो कितने रुपये से ?

श्री रामस्वरूप यादव---पूरी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा कि गबन कितने रुपये का था।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन प्रधानों के खिलाफ जिन मामलों की जांच हो चुकी है उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने बतलाया कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है। अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। अगर यह पाया गया कि उनके खिलाफ कार्यवाही करना जरूरी है तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जायगा और उनको अलग किया जायगा, जैसा नियम में दिया हुआ है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी जांच की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अगर दोबारा माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें तो अच्छा रहेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गबन हुआ है वह केवल सभापतियों के खिलाफ ही साबित हुआ है या वह सभापतियों और पंचायत निरीक्षक दोनों की साजिश से हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया कि जांच पूरी नहीं हुई है लेकिन अन्दाज यह किया जाता है कि उसमें खास हाथ जो था वह सभापतियों का था। जो कुछ उसमें पंचायत निरीक्षक का हाथ था उसके कारण उनको सजा दी जा चुकी है।

स्थानीय निकायों के लेखा-लिपिक

*४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्थानीय निकायों के वेतन समिति के शासकीय आदेश संख्या २२६१/९---७१८--१९४८, दिनांक २९ मार्च, १९४९ में लेखा लिपिक शब्द के पहले अतिरिक्त शब्द जोड़कर "अतिरिक्त लेखा लिपिक" पद के सृजन करने की व्यवस्था दी गई है ? यह किस श्रेणी के अन्तर्गत है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि स्थानीय निकायों के वेतन समिति के शासकीय आदेश संख्या २२६१/९--७१८--१९४८, दिनांक २९ मार्च, १९४९ को प्रकाशित किया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह जो प्रश्न में आपने शासकीय आदेश लिखा है, वह जारी हुआ था और प्रकाशित हुआ था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि उस पत्र में अतिरिक्त लेखा लिपिक सम्बन्धी कुछ बातें थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--उस सम्बन्ध में कुछ नहीं था, उसमें तो यह है कि अगर बाद में कोई पालिका यह समझती है कि कोई अधिकारी और रखा जाय तो वह राज्य की स्वीकृति के लिये भेज सकती है। उसमें तो सिर्फ एक ही लिपिक दिया गया है।

कसिया से आगे अन्तर्प्रान्तीय मार्ग निर्धारित करने का सुझाव

*५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)-- क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के कसिया से आगे अन्तर्प्रान्तीय मार्ग निर्धारित करने के लिये सरकार के पास कोई सुझाव आये हैं। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीर सिंह)--जी हां। सरकार ने उन पर विचार कर लिया है परन्तु वह उन्हें मानने में असमर्थ है।

*६--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार देवरिया के कसिया-पिपराघाट रोड, कसिया-तमकुही रोड को, जो अधिक सीधी तथा चौड़ी हैं, अन्तर्प्रान्तीय मार्ग के लिये लेने पर विचार करेगी ?

श्री महावीर सिंह--कसिया से तमकुही तक अन्तर्प्रान्तीय मार्ग स्थित है। इसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--अन्तर्प्रान्तीय मार्ग निर्धारित करने के पहले किस आधार पर सरकार ने इसका विचार किया ?

श्री महावीर सिंह--रोड की बनावट और दूरी, और साथ-साथ रोड की किस्म, यातायात इत्यादि बातों पर विचार किया गया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो सड़क अन्तर्प्रान्तीय मार्ग में लिखी है वह अत्यन्त टेढ़ी हैं और उसको सीधा करने में सरकार फिर किसानों के खेत लेने जा रही है ?

श्री महावीर सिंह--प्रस्तावित सड़क इतनी टेढ़ी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने बतलायी है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्मार्ग के सुझाव को मानने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री महावीर सिंह--इसलिए कि उसमें बहुत अधिक खर्चा है, १२ लाख के करीब खर्चा होगा। इसके अलावा उसमें बहुत-सा हिस्सा पक्का करना पड़ेगा और बहुत-सी जमीन अक्वायर करनी पड़ेगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो सड़क अब तक प्रान्तीय मार्ग में ली गयी है वह कसिया कसबे के बीच में क्रास करके जायगी।

श्री महावीर सिंह--कसिया से तो होकर जायगी ही।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके माननीय ब्रजनारायण तिवारी के कथन को सत्य मान कर जांच करायेंगे कि कहां तक वह सड़क सीधी है और कहां टेढ़ी है ?

श्री महावीर सिंह--जांच हो चुकी है और जितनी दफा माननीय सदस्य चाहेंगे हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप लोग साथ चल कर जायं, एक साथ पद यात्रा करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

बाराबंकी के मेहतर

*७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या १-१२-५८ को बाराबंकी के मेहतरों ने विधान भवन के सामने कोई प्रदर्शन किया था तथा उन लोगों ने कोई मेमोरेंडम स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री के समक्ष रखा था? यदि हां, तो उस मेमोरेंडम में कौन-कौन सी मांगें थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव--इस संबंध में शासन को कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनके पास बाराबंकी के मेहतरों ने कोई मेमोरेंडम भेजा है जिसमें उन्होंने भिन्न भिन्न मांगें की हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसमें मुझसे कहा गया है कि मेरे पास कुछ आदमी आये लेकिन कोई आया नहीं। मैंने पुछवाने की कोशिश की कि कोई कागज मिला या नहीं तो कोई ट्रेस नहीं हो सका और शायद श्री मोहिले से खुद भी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने पूछा था कि अगर कोई आया हो तो बतला दिया जाय। उसके बाद भी यहां सदन को परेशान किया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री स्वयं बाराबंकी के मेहतर वाल्मीकि या दूसरे वाल्मीकियों की दशा को ध्यान में रखते हुए कोई आदेश जारी कर रहे हैं जिससे उनके वेतन, भत्ता इत्यादि में वृद्धि हो सके?

श्री रामस्वरूप यादव--आदेश किसी खास जिले के लिये नहीं जारी किये जाते हैं, प्रादेशिक स्तर पर विचार किया जाता है।

शोहरतगढ़ में टाउन एरिया स्थापित करने की आवश्यकता

*८--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शोहरतगढ़ (जिला बस्ती) कस्बा के नागरिकों की ओर से कोई आवेदन-पत्र उसे इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उक्त कस्बे में टाउन एरिया स्थापित की जाय?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

*९--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में पंचायतों द्वारा औषधियों का वितरण

*१०--श्री मुक्तिनाथ राय (जिल आजमगढ़)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितने मूल्य की अथवा मात्रा में दवायें पंचायतों में वितरित करने के लिये सरकार द्वारा दी गईं?

श्री रामस्वरूप यादव--आजमगढ़ जिले में पंचायतों में वितरण करने के लिये सन् १९५६-५७ में ९५२ रुपये के मूल्य की ३४ औषधि पेटिकायें तथा सन् १९५७-५८ में ८९६ रुपये के मूल्य की ३२ औषधि पेटिकायें पंचायत राज विभाग द्वारा दी गई थीं।

*११--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन दवाओं का वितरण गांव सभाओं में कर दिया गया? यदि हां, तो कब?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। सन् १९५६-५७ में औषधि पेटिकाओं का वितरण दिनांक ४ जून, १९५७ तक तथा १९५७-५८ में इन पेटिकाओं का वितरण दिनांक ७ अप्रैल, १९५८ तक कर दिया गया था।

*१२--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिले की समस्त गांव पंचायतों में औषधियों का वितरण किया गया या कुछ ही में किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--औषधि पेटिकायें इतनी ज्यादा तो हैं नहीं कि सभी गांव पंचायतों को दी जा सकें इसलिये कुछ तो छूट ही गयी होंगी।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत अधिकारी ने इन दवाओं का वितरण किस प्रकार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला पंचायत अधिकारी जिस गांव में जरूरी समझता है और जहां के लोग स्वयं दिलचस्पी रखते हैं कि उन पेटिकाओं का उपयोग कर सकें वहां वह दे देता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--ये विशेष दवायें किस रोग की थीं और इसके अलावा क्या अन्य रोगों के बारे में भी औषधियां बांटने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--आमतौर से ये ऐसे रोग हैं जिनकी दवायें हर आदमी दे सकता है, जैसे चोट लग गयी या सिर में दर्द है या कालरा संबंधी कुछ पेटेंट दवायें होती हैं, वह दे दी जाती हैं और बता दिया जाता है कि जब जरूरत हो तो इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अतिरिक्त और दवाओं के लिये अभी कोई खास विचार नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार निकट भविष्य में कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी कि समस्त पंचायतों में खास-खास दवायें वितरित कर दी जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह कहना तो संभव नहीं है। धन के ऊपर है, जितना हो सकता है, उतना करते हैं।

गल्ले पर बिक्री-कर से आय

*१३--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गल्ले पर बिक्री कर से १९५७-५८ में निम्न श्रेणियों पर कितनी आमदनी का तखमीना किया गया था तथा कितना वसूल हुआ ?

(१) १२,००० तक की बिक्री पर ?
(२) ५०,००० तक की बिक्री पर ?
(३) ७५,००० तक की बिक्री पर ?
(४) ४,००,००० तक की बिक्री पर ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--गल्ले के व्यापारियों से स्लेब के आधार पर करमुक्ति शुल्क वसूल किया जाता है। १९५७-५८ के लिये सरकार ने हर स्लेब से होने वाली आमदनी का तखमीना पृथक् रूप से नहीं किया था। अलग-अलग स्लेब के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों से वास्तविक वसूलियों के आंकड़े विभाग के पास मौजूद नहीं हैं। इस सूचना को मुहैया करने में जो फायदा होगा वह मुश्किल से इस पर की गई मेहनत और खर्च के बराबर साबित होगा। परन्तु गल्ले के व्यापारियों से १९५७-५८ में वास्तविक वसूली ४२,६०,१२१ रुपये की थी।

*१४---**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार गत वर्ष के तखमीने और वसूली के तजुरबे के आधार पर गल्ले पर बिक्री संबंधी नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, सरकार गल्ले पर कर-मुक्ति की स्लेब (slab) प्रणाली में तब्दीली करने का विचार कर रही है, यद्यपि उसका गत वर्ष के तखमीने और वसूली से कोई संबंध नहीं है।

*१५-१६---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

अध्यक्ष, कोआपरेटिव मर्चेन्ट्स असोसियेशन लिमिटेड, खुर्जा का पत्र

*१७---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको अध्यक्ष कोआपरेटिव मर्चेन्ट्स असोसियेशन लिमिटेड, खुर्जा का कोई पत्र शुद्ध घी को बहुसूत्रीय बिक्री-कर से मुक्त करने के लिये मिला है ? यदि उत्तर हां में है तो सरकार उसके बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। सरकार ने असोसियेशन की प्रार्थना पर विचार किया है, परन्तु उसको स्वीकार करने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीत हुआ। असोसियेशन को ऐसा सूचित कर दिया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान देते हुये कि शुद्ध घी की न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं अधिक होती है उसको बहुसूत्री बिक्री-कर से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इस वक्त तो ऐसा विचार नहीं है इस वजह से कि हिन्दुस्तान के तमाम और सूबों में इसी तरह से टैक्स लगा हुआ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी इधर के पक्ष के लोगों की राय को ध्यान में रखते हुए कि यह घी अपने देश की प्राचीन बहुमूल्य वस्तु है, इस पर विचार करके कुछ संरक्षण देने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, इस कदर थोड़ा टैक्स है कि इसकी वजह से उसकी तरक्की के ऊपर या उसकी बिक्री के ऊपर कोई असर पड़ने का अन्देशा नहीं है।

*१८---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर सोलहवें मंगलवार (३-३-५९) के लिये स्थगित किया गया।]

*१९---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

देव प्रयाग-टेहरी मोटर मार्ग

*२०---**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (जिला टेहरी गढ़वाल)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देव प्रयाग क्षेत्र की जनता के द्वारा श्रमदान से देव प्रयाग-टिहरी मोटर मार्ग को सरकार निर्माण विभाग में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री महावीर सिंह---जी नहीं।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन---क्या मंत्री जी को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ ऐसा आश्वासन जनता को दिया गया था कि अगर प्रदेशीय सरकार इस मार्ग को द्वितीय योजना में शामिल करने के लिये उसमें कुछ वित्तीय व्यवस्था कर सके तो शेष धनराशि केन्द्रीय सरकार देने के लिये इच्छुक है ?

श्री महावीर सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का रिफ़ेन्स दिया है।

पंचायत मंत्रियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता न मिलना

*२१--श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो १०० रुपया प्रतिमास से कम पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में ५ रुपया प्रति मास की वृद्धि की है, पंचायत राज मंत्रियों को वह सुविधा क्यों नहीं दी जाती ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं। उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते का उत्तरदायित्व पंचायतों पर ही है। इस समय पंचायत मंत्रियों को कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। यदि गांव पंचायतें अपने मंत्रियों को महंगाई भत्ता दें तो इसमें शासन को कोई आपत्ति न होगी।

एटा तहसील के पंचायतघर

*२२--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील एटा, जिला एटा में कुल कितने पंचायत घर बन चुके हैं, कितने अधूरे पड़े हैं और कितने ऐसे हैं जिनमें नीव पड़ कर के रह गई है ? उनमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--तहसील एटा में जनवरी, १९५९ के अन्त तक कुल ४१ पंचायत घर बन चुके हैं, २० लगभग तैयार हैं और २ की नींव डाली गई है। जो पंचायत घर अभी अधूरे हैं, उनका निर्माण जारी है।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो २ पंचायतघरों की नींव पड़ी हुई है वह कौन-कौन-सी ग्राम सभायें हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता होगी, श्रीमन्।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कुंवरपुर ग्राम में जनता द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया है और नींव पड़े हुए एक साल हो चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, इसकी सूचना माननीय सदस्य को है, इसलिये वह गांव सभा को काम करने का परामर्श दे दें अगर रुपया है।

सहारनपुर नगरपालिका को जल-कल के लिए ऋण

*२३--श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी को पिछले तीन वर्षों में कितना धन पेय जल की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सहारनपुर नगरपालिका को उसके जलकल योजना की लागत के बराबर २९,५०,००० रुपये का ऋण सरकार द्वारा दिया जा चुका है। यह ऋण नगरपालिका को सन् १९५२-५३ तथा सन् १९५५-५६ काल के बीच में दिया गया है। उसके बाद कोई धन उक्त योजना के लिये नहीं स्वीकृत किया गया है।

*२४--श्रीमती शकुन्तला देवी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस पीने के पानी की योजना पर कितना रुपया (कितना सरकार तथा कितना म्युनिसिपैलिटी का) अब तक खर्च किया जा चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जनवरी मास १९५९ के अन्त तक इस योजना पर २७,९८, ८९२ रुपया खर्च हो चुका है। चूंकि सरकार ने ही कुल धनराशि इस योजना को निर्माण करने के लिये नगरपालिका को ऋण के रूप में दी है अतः जो कुछ धन खर्च हुआ है वह नगर-पालिका का ही है।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ऋण की धनराशि भी जलकल योजना के अनुसार पूरी हो गई है और जनता को जलकल द्वारा नियमित रूप से पानी मिलने लगा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे खयाल में काम हो गया है लेकिन अभी पानी मिलना शुरू नहीं हुआ है, उसमें कुछ काम बाकी है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ऋण की किस्त नियमित रूप से अदा हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अभी नहीं, क्यों कि लोगों को जब यह पानी देना शुरू कर देगा तभी तो टैक्स लेना शुरू होगा, इससे पहले नहीं ।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि २९,५०,००० रुपये का ऋण सहारनपुर, नगरपालिका को दिया गया है और जलकल योजना में २७,९८,८९२ रुपये खर्च हुआ है तो नगरपालिका का धन किस प्रकार खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, ऋण है जो सरकार की ओर से नगरपालिका को दे दिया तो रुपया उनका हो गया और हम उनसे वसूल करेंगे । इसलिये उन्होंने अपना रुपया वाटर वर्क्स बनाने में खर्च किया है ।

श्री अध्यक्ष---उनका प्रश्न यह है कि सरकार से २९,५०,००० रुपये का ऋण दिया गया और जल कल योजना पर २७,९८,८९२ रुपया खर्च हुआ और आप कहते हैं कि नगरपालिका का धन खर्च हुआ तो कैसे खर्च हुआ जब कि उससे कम खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने कहा कि इस योजना पर २७,९८,८९२ रुपये खर्च हुए और सरकार ने २९,५०,००० रुपया कर्ज दिया । जो कुछ धन खर्च हुआ है वह नगरपालिका का ही है । श्रीमन्, गवर्नमेंट ने तो लोन दे दिया है । अभी कुछ रुपया बाकी है और काम भी कुछ बाकी है ।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नगरपालिका पानी भी दे रही है और पिछले दो साल से टैक्स भी वसूल कर रही है और जनता में टैक्स की ज्यादती के खिलाफ एजीटेशन है, तो क्या सरकार उसको कम करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं है । वह तो कहते हैं कि वसूल नहीं कर रहे हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सरकार द्वारा २९ लाख रुपया ऋण दिया गया और २७ लाख इस नगरपालिका ने इस योजना पर व्यय किया । तो शेष २ लाख रुपया जो नगरपालिका के पास रह गया उसे सरकार नगरपालिका के ही पास छोड़ने का विचार रखती है कि वह उसे किसी दूसरे काम में खर्च कर ले ?

श्री रामस्वरूप यादव--- वह काम अभी बाकी है और नियम ऐसे हैं कि उस काम के अलावा वह रकम किसी और काम पर खर्च नहीं कर सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पूरी योजना कितनी लागत की है और कब तक पूरी हो जाने की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी कि अनुमानित व्यय कितना होगा ।

*२५---**श्री बालक राम** (जिला शाहजहांपुर)---[खाद्य मंत्री से संबंधित २ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२६-२७---कुंवर श्रीपालसिंह---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८-२९---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर सीकरी से पत्थर की चक्कियों को बिक्री कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*३०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या फतेहपुर सीकरी (आगरा) के पत्थर की चक्कियों के व्यापारियों के ऐसोसियेशन का बिक्री-कर के संबंध में कोई आवेदनपत्र सरकार के पास आया है ? अगर हां, तो सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---फतेहपुर सीकरी (आगरा) के पत्थर की चक्कियों के व्यापारियों के एसोसियेशन का एक आवेदन-पत्र पत्थर की चक्कियों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर से मुक्त करने के संबंध में आया था जो कि विचाराधीन है । आवेदन-पत्र के निस्तारण के लिये कुछ आवश्यक सूचना एसोसियेशन से मांगी गई है जो कि अभी तक कई रिमाइन्डर देने पर भी नहीं प्राप्त हुई है । एक और आवेदन-पत्र पत्थर की चक्कियों को सेन्ट्रल सेल्स टैक्स से मुक्त करने के संबंध में भी बाद में प्राप्त हुआ था और उसे अस्वीकार कर दिया गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि जो आवश्यक सूचना मांगी गई है वह क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---उनका रिप्रिजेंटेशन यह था कि अगर यह माफ कर दिया जाय तो इससे इंडस्ट्री को फायदा होगा । तो उनसे यह कहा गया था कि कैसे फायदा होगा और क्या नुकसान हो रहा है सेल्स टैक्स लगाने से ? तो इसकी आज तक उन्होंने तफसील नहीं दी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब मांगी गई थी और रिमाइंडर कब-कब भेजा गया ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरा यह खयाल है कि यह डेपुटेशन मिला था सेल्स टैक्स कमिश्नर से सन् १९५७ में किसी वक्त और उसी वक्त उन से कहा गया था । उसके बाद से शायद दो तीन रिमाइंडर्स उनको जा चुके हैं, लेकिन अभी कोई जवाब आया नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो आवेदन-पत्र उन्होंने स्वीकार किया है उसकी स्वीकृति के परिणामस्वरूप कितने बिक्री-कर की छूट होगी ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो अस्वीकार हुआ है । स्वीकार नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो दूसरा आवेदन-पत्र सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में था उसके अस्वीकार करने के कारण क्या थे ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे पास उसकी तफसील नहीं है क्योंकि सवाल था इस सरकार के मुताल्लिक । तो उसके मुताल्लिक मैं नहीं कह सकता ।

लखनऊ जिले में गांव सभाओं के आय-व्ययक का निरीक्षण

*३१---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला लखनऊ में सन् १९५६ से १९५८ तक कितनी गांव सभाओं के आय-व्ययक का वार्षिक निरीक्षण (audit) किया गया है और किस अधिकारी के द्वारा और कब-कब किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जिला लखनऊ में सन् १९५६ से १९५८ तक कुल १९१ गांव सभाओं के आय-व्यय का निरीक्षण किया गया है । यह आडिट चीफ आडिट अफसर कोआपरेटिव सोसाइटी तथा पंचायतें के अधीन पंचायत आडिट योजना के अन्तर्गत नियुक्त आडिटरों द्वारा किया गया था । प्रत्येक आडिटर द्वारा किये गये गांव सभाओं के तिथिवार निरीक्षण की सूचना †संलग्न सूची में दी गई है ।

सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी की सिफारिशें

*३२---**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी ने वर्तमान सेल्स टैक्स व्यवस्था में सुधार हेतु कोई सिफारिशें की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन सिफारिशों को सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी ने हाल ही में कुछ सिफारिशें मुख्यतया बिक्रीकर की चोरी को रोकने के सम्बन्ध में की हैं जो कि सरकार के विचाराधीन हैं । उन सिफारिशों को सदन के सम्मुख रखने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

*३३-३४---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५-३६---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३७---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३८---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३९---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०---**श्री प्रतापसिंह**---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सब-रजिस्ट्रार की नियुक्ति का नियम

*४१---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सब-रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लिये जाने का विधान है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

*४२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गत कितने सालों से यह परीक्षा नहीं हुई और क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---सब रजिस्ट्रारों की परीक्षा, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती है, गत आठ साल से रोक दी गई है क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के कारण राज्य के बहुत से रजिस्ट्री कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य काफी घट गया था और विभागीय सब-रजिस्ट्रारों की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान जो सब- रजिस्ट्रार हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी पूरी संख्या इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

इलाहाबाद नगरपालिका का संग्रहालय

*४३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका का जो संग्रहालय है उसके निर्माण के लिये सरकार ने अब तक कितना धन दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---शासन ने इलाहाबाद नगरपालिका के संग्रहालय को वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में १,५०,००० रुपयों का अनुदान उसके निर्माण-कार्य के लिये दिया है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो अनुदान दिया गया था उससे जो इमारत बन रही है वह कई जगह से टूट गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि संग्रहालय का बहुत सा सामान चोरी चला गया है जिसके कारण जवाहरलाल जी ने अपना सामान देने से इन्कार कर दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसकी सूचना नहीं है । माननीय सदस्य ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की । अगर शिकायत की जाती तो उसकी जांच कर ली जाती ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वह इलाहाबाद जायेंगे तो स्वतः उस मकान को देखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, अगर ऐसा होगा तो देख लेंगे ।

*४४-४५---श्री गरीबदास (जिला जालौन)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

कवाल नगरों को पानी की व्यवस्था के लिए ऋण

*४७---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कवाल शहरों के वाटर वर्क्स की क्षमता प्रति व्यक्ति क्या है और कितना पानी औसत प्रति व्यक्ति सप्लाई किया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कवाल शहरों की नगरपालिकाओं के प्रशासकों द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर उनके वाटर वर्क्स की पानी देने की प्रति व्यक्ति प्रति दिन क्षमता निम्नलिखित है---

आगरा	..	..	..	..	२४.७५	गैलन
कानपुर	..	..	..	..	४१.२०	,,
इलाहाबाद	..	..	..	..	३५.१४	,,
लखनऊ	..	..	..	..	६०.४८	,,
वाराणसी	..	..	..	..	६०.००	,,

और मार्च, १९५८ में समाप्त होने वाले वर्ष में औसत प्रति व्यक्ति प्रति दिन निम्नलिखित जल पूर्ति रही---

आगरा	..	..	..	..	२५.५६	गैलन
कानपुर	..	..	..	..	४१.२०	,,
इलाहाबाद	..	..	..	..	४५.४०	,,
लखनऊ	..	..	..	..	४५.४१	,,
वाराणसी	..	..	..	..	४४.७४	,,

*४८---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---उपरोक्त शहरों में से किन-किन शहरों में इस वर्ष पानी की कमी विशेष तौर से पायी गयी और उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनायी है तथा गत १० वर्षों में कवाल टाउन्स के वाटर वर्क्स को क्या-क्या सहायता कर्ज और अनुदान के रूप में दी गयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कवाल शहरों की नगरपालिकाओं के प्रशासकों की रिपोर्ट के आधार पर आगरा में जहां जल कल के पुनर्संगठन का कार्य पूरा नहीं हुआ था, इलाहाबाद में दरियाबाद, कुन्दू गार्डन, टैगोर टाउन व कर्नलगंज के भागों में और लखनऊ में कुछ भागों में पिछली गर्मियों में पानी की कुछ कमी रही अन्यथा शेष स्थानों में गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष पानी की कमी अनुभव नहीं की गई । पानी की कमी का कारण उतना जल-पूर्ति की कमी का नहीं है जितना कि बगैर मीटर लगे घरेलू कनेक्शनों द्वारा व सार्वजनिक स्टैन्ड पोस्टों द्वारा पानी का बेकार बह कर नष्ट होना है । बगैर मीटर लगे घरेलू कनेक्शनों द्वारा पानी को नष्ट होने से बचाने के लिये कवाल शहरों की नगरपालिकाओं से समस्त पुराने बगैर मीटर लगे कनेक्शनों में मीटर लगाने व नये कनेक्शनों को मीटर के साथ देने को कहा गया है । इसके अतिरिक्त इन शहरों की बढ़ती हुई जन-संख्या को ध्यान में रखते हुये जलकलों के पुनर्संगठन की योजना भी बनाई गई है और उसके अनुसार पुनर्संगठन का कार्य सभी स्थानों पर चल रहा है और इस कार्य के लिये राज्य सरकार स्थानीय नगरपालिकाओं को कर्ज के रूप में यथासम्भव सहायता दे रही है । पिछले १० वर्षों में अर्थात् १ अप्रैल, १९४८ से ३१ मार्च, १९५८ तक सरकार ने निम्नलिखित धनराशि ऋण व अनुदान के रूप में जलकलों के हेतु दी है ।

नगरपालिका का नाम	ऋण रुपयों में	अनुदान रुपयों में
आगरा ..	५४,१७,०००	शून्य
इलाहाबाद ..	२७,५०,०००	,,
कानपुर ..	९४,१९,५००	,,
लखनऊ ..	१,०४,३९,६२४	,,
वाराणसी ..	६१,५०,०००	१,७८,०८३†

*४९---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले में सड़कों का निर्माण

*५१---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ७०, दिनांक २० मार्च, १९५६ के उत्तर के अनुसार झांसी जिले में पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९ मील ५ फर्लांग में कौन-कौन-सी सड़कें बनी थीं और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३५ मील में कौन-कौन-सी सड़कें बनने वाली हैं ?

श्री महावीर सिंह---सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४५ पर)

†यह रुपया स्टेट हेल्थ बोर्ड ने वाराणसी नगरपालिका को क्लियर वाटर रिजरवायर बनाने के लिये दिया था ।

मऊ-गरौठा सड़क की खराब हालत

*५२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या स्थानीय अधिकारियों का ध्यान निरन्तर कई वर्षों से इस ओर आकर्षित किया जा रहा है कि झांसी जिले में जिला बोर्ड की मऊ-गरौठा सड़क के मुद्दतों से न बनने के कारण उसकी दशा इतनी खराब हो गई है कि उस पर से बसों, कारों, बैलगाड़ियों का ही नहीं बल्कि ट्रैक्टरों तक का चलना असम्भव हो गया है और उस पर से यातायात प्रायः बन्द हो गया है ? यदि हां, तो उसके बनवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सूचना किस बात की एकत्रित की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय आपने पूछा है कि सड़क क्यों खराब है, उस पर ट्रक्टर, ट्रक भी नहीं चल सकते हैं । तो इसके लिये जानकारी करनी होगी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क की महत्ता तथा वर्तमान स्थिति को देखते हुये उसको शीघ्र से शीघ्र बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—सड़क का बनाना जिला बोर्ड का उत्तरदायित्व है । माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं वहां जोर दें कि उस सड़क पर जिला बोर्ड रुपया खर्च करे ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय लक्ष्मणराव जी का प्रश्न कब प्राप्त हुआ था और सूचना प्राप्त करने में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो इसी कार्य-क्रम के प्रथम पृष्ठ पर क्रम में दी हुई है । तिथि ४–१२–५८ दी हुई है उसको आप देख लें ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब प्रश्न दिया था तब से लेकर अब तक एक बहुत लम्बा अरसा हो गया है, तो इतने दिनों में सूचना प्राप्त करने में क्या कठिनाई पड़ी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना प्राप्त करने में कठिनाई नहीं है । सूचना मिलती नहीं है । वह अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकारियों ने भेजी नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उस सड़क की महत्ता को देखते हुये उस सड़क को पी० डब्लू० डी० में लेने का विचार रखते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

बांगरमऊ टाउन एरिया के अध्यक्ष द्वारा अनियमित रूप से बिजली प्रयोग करने की शिकायत

*५३—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग के पास टाउन एरिया बांगरमऊ, जिला उन्नाव के जनवरी, १९५८ के बिजली के बिल अधिक खर्च के सम्बन्ध में जांच कराने के लिये भेजे गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

*५४—श्री राजनारायण—यदि हां, तो उनकी जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री रामस्वरूप यादव—बिल की रकम ठीक थी और उसका भुगतान टाउन एरिया कमेटी, बांगरमऊ के चेयरमैन द्वारा कर दिया गया ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि टाउन एरिया में केवल १८ बल्ब जल रहे हैं और महज जनवरी महीने में ६१० यूनिट बिजली खर्च हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बिल डेढ़ महीने का था उसकी जांच भी कर ली गई । जो सम्बन्धित अधिकारी थे उन्होंने मेम्बरों से पूछ ताछ की तो पता चला कि इतनी बिजली खर्च हुई थी । इसलिये चेयरमैन ने उसका पेमेन्ट कर दिया ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि सरकार के पास कोई ऐसा भी चार्ट भेजा गया था जिसमें जनवरी में ६१० यूनिट खर्च हुई, फरवरी में २३८, मार्च में ३३, अप्रैल में ८९, मई में ७५, जून में ९३, जुलाई में १२३ और अगस्त में २१६ यूनिट बिजली खर्च हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह चार्ट मेरे पास नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास इस बात की भी शिकायत आयी थी कि जो जनवरी में ६१० यूनिट बिजली खर्च हुई उस समय पर चेयरमैन साहब के घर में तिलकोत्सव था जिसके लिये उन्होंने दूसरा मीटर लगाया नहीं था बल्कि इसी के मीटर से वहां बिजली लेकर खर्च की गयी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसकी सूचना आयी होगी लेकिन प्रश्न इस रूप में हमारे सामने नहीं आया । अगर प्रश्न इस तरह से आता तो इस पर जांच कर सकते थे । यह मुमकिन है कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं सही बात हो । शादी हुई होगी और शायद राजनारायण जी को बुलाया भी गया होगा ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार किसी एक्सपर्ट के द्वारा यह मालूम कराने की कृपा करेगी कि १८ बल्बों में ६१० यूनिट बिजली २४ घंटे जलने पर भी खर्च नहीं हो सकती ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसको चीफ इंजीनियर ने खुद सर्टिफाई किया है । मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कह सकता ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी हुई है कि श्रीमान् चेयरमैन महोदय ने कोई फैक्टरी लगायी है और उसको चलाने के लिये रात को रोजाना टाउन एरिया की बिजली लेते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी कोई सूचना नहीं है । न ऐसी शिकायत है । लेकिन फैक्टरी तो सभी महीनों में चला करती है । यह समझ में नहीं आया कि इतना फर्क कैसे हो सकता है ।

(अगला प्रश्न पुकारने के बाद श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप चेयरमैन के ऊपर नये-नये आक्षेप करते हैं और प्रश्न में यह बातें पूछी नहीं हैं । तो जिसकी जानकारी उनको नहीं है उसके बारे में मैं पूछने नहीं दूंगा ।

श्री राजनारायण—बिजली के बिलों का जो आडिट है उस सम्बन्ध में एक प्रश्न है । उसका सरकार की तरफ से उत्तर मिलता है कि बिजली के बिल ठीक पाये गये । इसलिये दूसरा पूछना पड़ा ।

श्री अध्यक्ष—अभी उनको जानकारी नहीं है । आप लिखकर पूरा प्रश्न दीजिये ।

श्री राजनारायण—हमारे पास जो पत्र आया है वह पत्र सरकार के पास भी गया है ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते हैं। इससे कहीं ज्यादा लाभ हो अगर डिपार्टमेंट को इस तरह की शिकायतें डायरेक्टली भेज दी जायं ताकि हम जांच करवा सकें और साबित हो सके तो सजा दे सकें।

हल्द्वानी तथा रामनगर में लकड़ी के डिपो

*५५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि हल्द्वानी तथा रामनगर में जंगलात विभाग की तरफ से जलाने की लकड़ी खरीदने और बेचने के लिये डिपो बना दिये गये हैं? यदि हां, तो कब से?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। हल्द्वानी में २३-११-१९५७ से और रामनगर में १-११-१९५८ से।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हल्द्वानी और रामनगर में जो लकड़ी बेचने और खरीदने के लिये डिपो बना दिये गये हैं इससे देहात की जनता और जो खरीदने वाली जनता है उन दोनों को बड़ी भारी तकलीफ है, क्या सरकार इस सिस्टम को तब्दील करने पर विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो सही है कि कुछ तब्दीली करने का विचार कर रहे हैं लेकिन यह कि वहां के लेबरर्स को तकलीफ है यह मुझे तसलीम नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या परिवर्तन वह कर रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—अभी विचार कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि वहां लकड़ी का बेचना व खरीदना आप्शनल कर दिया जाय?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन वाकया यह है कि हमने डिपो डिपार्टमेंट की तरफ से कायम करना नहीं चाहा था। हमने तो यह चाहा था कि अगर कोई लोकल बाडी, म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया उसको ले ले तो ज्यादा अच्छा हो और वह अपने इंतजाम में उसको बेचता। मगर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या परिवर्तन करें ताकि खरीदारों का जो सुभीता खत्म हो गया है, वह फिर से हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह परिवर्तन करने वाले आदेश कब तक जारी हो जायेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—जब विचार खत्म हो जायगा।

जंगलों का काम श्रमिक सहकारी समितियों को देने की प्रार्थना

*५६—**श्री मोहन सिंह मेहता** (जिला अल्मोड़ा)—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निश्चित सरकारी नीति जो कि उक्त योजना की १५वीं अध्याय में जंगलातों के काम को श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा लेने के सम्बन्ध में की गई थी उसकी उत्तर प्रदेश में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव—तेंदू के पत्तों के दो लाट (lot) श्रमिक सहकारी समितियों को बांदा फारेस्ट डिवीजन में सन् १९५७-५८ में दिये गये। दूसरे सर्किलों में इस विषय में विचार हो रहा है।

श्री मोहन सिंह मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह खयाल है कि मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप इजाजत दें तो मैं अध्याय १५ का कुछ भाग पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—वित्त मंत्री जी, आप जरा देख लें। इसमें कुछ गड़बड़ मालूम होती है।

श्री सैयद अली जहीर---जो हवाला दिया है उन्होंने चैप्टर १५ का, उसमें यह लिखा है कि: "In order to strengthen the economy of comparatively backward tribal forest workers, forest labour co-operatives may be established on an increasing scale for working forest produce (based on the experience gained in this field in Bombay) so that profits which now go to contractors should accrue to forest labourers."

तो मैंने जवाब में अर्ज किया कि अभी तक २ जगह तेंदू लीव्ज का कंट्रेक्ट दिया गया है लेबरर्स को, और जगह कोई काम नहीं हुआ।

श्री मोहनसिंह मेहता---अध्यक्ष महोदय, तो मेरा यह भी निवेदन है कि जंगलों से लाभ उठाने के लिये जंगलों में काम करने वाले श्रमिकों की और बड़े पैमाने पर सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिये ताकि जंगलों से जो लाभ होता है वह उनको हो सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दो ही समितियों को काम दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया कि केवल दो ही जगह इतना काम हुआ है और इसके बाद इस पर विचार किया जायगा। यह जवाब उन्होंने दे दिया। उन्होंने प्रगति बता दी। इसके बाद का आप दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री मोहनसिंह मेहता---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में अभी तक जो समितियां नहीं बन सकी हैं और श्रमिकों को काम नहीं दिया जा सका है उसका कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, इसके अलग-अलग कारण हैं। बहुत जगह समितियां बनी नहीं, कहीं बन गयी हैं तो वहां और बाधायें हैं जिनकी वजह से काम नहीं दिया जा सका। जहां कोई बाधा नहीं है वहां हम इस पालिसी पर काम करने के लिये तैयार हैं लेकिन इसके लिये एक खास कंडीशन चाहिये, उसी हालत में यह हो सकता है।

श्री मोहनसिंह मेहता---वह बाधायें तथा वह शर्तें क्या हैं, क्या माननीय मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---बहुत सी जगह तो हैं ही नहीं। कुछ पहाड़ी इलाकों में इस तरह की समितियां हैं जिनको हम लीसा दे सकते थे। उनकी अर्जियां भी आईं। कुछ को गुजिश्ता जमाने में दिया गया लेकिन वह तजुर्बा बहुत तल्ख हुआ। वहां सरकार की एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें टरपेंटाइन बनता है और लीसा वहां जाता है। इसलिये हम इसे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं और तरक्की नहीं दे सकते हैं। कुछ जगहों के लिये जब इस तरह की कोआपरेटिव्ज बन जावें, जो कि वन विभाग का काम नहीं है, और उसके बाद उनकी दरख्वास्तें आवें तो उन पर हम विचार करके प्रगति करने की कोशिश करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो सर्विस कोआपरेटिव्ज पर अभी हाल में जोर दिया गया है उसे देखते हुये क्या सरकार यह स्पष्ट घोषणा करेगी कि भविष्य में अन्य सर्किलों में तेंदू की पत्तियों के अलावा अधिक ठेके कोआपरेटिव बनाकर उन्हें दिये जावें ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसी दरख्वास्तें आने पर हम यकीनन उन पर सहानुभूति से विचार करेंगे।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को मालूम है कि कनजर्वेटर कुमायूं सर्किल को एक चिट्ठी इस आशय की भेजी गई थी कि जब उनको कोआपरेटिव्ज को लीसा का काम देने के लिये कहा गया था तो उत्तर मिला कि सरकारी नीति यह है कि सहकारी समितियों को लीसे और बेरूजा के उद्योग में सम्मिलित न किया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--लीसा के मुताल्लिक कोआपरेटिव्ज की कुछ दरख्वास्तें आई थीं और वे हमने मंजूर नहीं कीं। चूंकि हमारी फैक्ट्री बरेली में बहुत बड़ी बनी हुई है और उनकी मानोपली है और वह अकेली लीसा जमा करती हैं। हम अपनी फैक्ट्री का नुकसान नहीं कर सकते।

नगरपालिका उरई पर ऋण

*५७--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका उरई, जिला जालौन पर इस समय सरकार का कितना कर्ज का रुपया बकाया है और उसके वसूल करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नगरपालिका उरई, जिला जालौन पर इस समय शासन द्वारा दिए गए ऋण का १,५०,१८७ रु० शेष है जिसकी वसूलयाबी को ३ वर्ष के लिए स्थगित करने के सम्बन्ध में नगरपालिका से प्रार्थना आई है जो शासन के विचाराधीन है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या मंत्री जी यह बतलावेंगे कि नवम्बर, सन् ५७ में जब मौजूदा चेयरमैन और उनकी पार्टी ने कार्यभार संभाला था उस समय नगरपालिका पर कितना रुपया बाकी था और इस अर्से में कितना रुपया अदायगी में दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस चाहिये। वैसे कुल रुपया इस नगरपालिका द्वारा १२,६८,९१० में से ११,१८,७२३ रुपये किस्तों के द्वारा शासन को वापस हो चुके हैं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या यह सही है कि अगस्त, ५७ में रुपया नगरपालिका को केवल इसलिये बन्द कर दिया गया था कि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी और वह सरकारी कर्जा नहीं अदा कर पा रही थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह भी एक कारण था।

श्री गरीबदास--नगरपालिका के भंग होने के बाद जब पुनः वह बनी थी तो फिर क्या कोई कर्जा दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--हाल में अभी कोई कर्जा नहीं दिया गया है।

महोतरा पंचायती अदालत में जुआ का मुकदमा

*५८--**श्री गोपीकृष्ण आजाद** (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिला की पंचायती अदालत महोतरा दिखतवारा को जुआ के ऐसे कितने मुकदमें सन् १९५६, ५७, ५८ में खारिज करने पड़े जिनमें स्थानीय पुलिस ने सबूत नहीं दिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सन् १९५६ तथा १९५८ में ऐसा कोई मुकदमा पंचायती अदालत महोतरा में नहीं आया। सन् १९५७ में केवल एक मुकदमा आया था जो स्थानीय पुलिस द्वारा सबूत न देने के कारण खारिज किया गया।

सीतापुर जिले में पंचायत चुनाव संबंधी पेटीशन्स

*५९--**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह पता है कि सीतापुर जिले में पंचायतों के चुनाव के बाद कितने पेटीशन दायर हुये उनमें से कितनों के फैसले हो चुके और कितने पेटीशन इस समय चल रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पंचायतों के चुनाव के बाद इस जिले में कुल २४० पेटीशन अब तक दायर हुये हैं और उनमें से २३६ का निर्णय हो चुका है। बाकी ४ पेटीशन इस समय विचाराधीन हैं।

कालपी में यमुना पर पुल की आवश्यकता

*६०--श्री गरीबदास--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि स्थान कालपी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर जमुना नदी का पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--यह पुल नेशनल हाइवेज की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अवश्य है किन्तु अभी केन्द्रीय सरकार कालपी में रेलवे पुल पर डेकिंग (decking) के प्रश्न पर विचार कर रही है।

*६१--श्री गरीबदास--यदि हां, तो कब से उस पर कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल--अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कोई लिखा पढ़ी की गई है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--दोनों सरकारों की लिखापढ़ी हो रही है। उन्होंने कुछ सूचनायें प्रदेशीय सरकार से मांगी थीं जो इसी महीने में, फरवरी में, दे दी गई हैं। उनका अन्तिम निर्णय अभी हमारे पास नहीं आया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के एक प्रमुख प्रवक्ता ने यह एलान कर दिया है कि कालपी में एक पुल बनेगा ?

श्री गिरधारीलाल--इसकी मुझे इत्तला नहीं है, लेकिन पुल तो बनेगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--इस पुल की अनुमानित लागत क्या होगी ?

श्री गिरधारीलाल--अगर रलवे के पुल की सहायता से बनाया तो १ करोड़ ३ लाख रुपया होगी और अगर डेकिन्ग करके बनावेंगे तो ४३ लाख रुपये खर्च होंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर--इस पुल की लागत का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होगा और कितना प्रदेशीय सरकार बर्दाश्त करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--यह नेशनल हाईवे पर है, इसलिये पूरा खर्चा केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करेगी।

बहादुरगंज टाउन एरिया में तहबाजारी का बकाया

*६२--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया, कस्बा बहादुरगंज, जिला गाजीपुर में यह तहबाजारी के ठेके का रुपया तथा टाउन एरिया टैक्स सन् १९५८, ५९ के अतिरिक्त कितना बकाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सन् १९५८, ५९ के अतिरिक्त ठेका तहबाजारी आदि का बकाया रुपया २,९०४·३१ नये पैसे हैं तथा टैक्स का बकाया १,६३५·६० नये पैसे हैं।

*६३--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त बकाया ठेके का रुपया तथा बकाया टैक्स कब तक वसूल होने की संभावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन दोनों बकाया, जितनी भी काबिल वसूल हुई, के मार्च, ५९ तक वसूल हो जाने की आशा की जाती है।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि बाकी रुपये की वजह से छोटे-छोटे कर्मचारियों का वेतन पिछले कई महीनों से बकाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा सम्भव हो सकता है।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार को पता है कि यह रुपया टाउन एरिया के पदाधिकारियों के पास बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर को वन विभाग की लकड़ी

*६४---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से व उसके बाद अब तक Star Paper Mills, Saharanpur को वन विभाग द्वारा कितनी चीड़ की लकड़ी कुमायूं के जंगलों से बेची गई और किस दर पर ?

श्री रामस्वरूप यादव---दो लाख घन फुट चीड़ की लकड़ी एक आना प्रति घनफुट की दर से कागज के पल्प के प्रयोग के लिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि दो घन फुट लकड़ी में एक मन होता है और पहाड़ों पर जो लकड़ी वहां के निवासियों को दी जाती है वह एक रुपया या सवा रुपया मन दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर---५० घन फुट में एक टन वजन होता है। बात यह है कि यह फैक्ट्री जो बनी थी उसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्पान्सर किया था। कागज बनाने के सिलसिले में जहां उनको और रिआयतें दी गयीं वहां यह भी कहा गया था कि सस्ते दामों पर लकड़ी दी जायगी। लेकिन जितनी सस्ती मालूम पड़ती है वाकई में उतनी सस्ती है नहीं, क्योंकि उनको वहां से लकड़ी काट कर सहारनपुर ले जाना पड़ता है। यह एक एक्सपेरीमेंटल मेजर के तौर पर कान्ट्रेक्ट दिया गया है। आगे के लिये विचाराधीन है, सब बातों पर गौर करके ही मुस्तकिल काट्रेक्ट दिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मेरा प्रश्न यह था कि क्या पहाड़ों पर लकड़ी एक रुपया और सवा रुपया मन मिल रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जलाऊ लकड़ी का यही भाव है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार को यह पता है यह लकड़ी इस फैक्ट्री में कागज बनाने के काम के अलावा ३ या ४ रुपया मन में बेची गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, जहां तक मेरी सूचना है वे अपने यहां लकड़ी ले जा रहे हैं और कागज बना रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री के पास बिजली ही नहीं है और यह लकड़ी अन्य स्थानों पर बेच दी गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि स्टार पेपर फैक्ट्री के पास चीड़ की लकड़ी से कागज बनाने की मशीन अभी आयी ही नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मेरी सूचना है उनके पास एक मशीन है लेकिन एक और बहुत बड़ी मशीन उनके पास आने को है या आ गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक मशीन उनके पास है उसकी कैपेसिटी क्या है और क्या वह चीड़ की लकड़ी से कागज बनाती है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे तफसील तो नहीं मालूम लेकिन चीड़ की लकड़ी से कागज बनाते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह पता लगायेगी कि इस फैक्ट्री की लकड़ी कागज बनाने के काम में लायी जाती है या बेची जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है । अगर कोई शिकायत आयेगी तो उसकी जांच करायी जायगी ।

श्री गेंदासिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी लकड़ी अब तक बेची जा चुकी है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बताया कि २ लाख घन फुट ।

श्री गेंदासिंह---मैं और पहले के सालों की भी चाहता हूं ।

श्री सैयद अली जहीर---कुल इतनी ही लकड़ी दी जा चुकी है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या यह सही है कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने लिखित रूप से इसको दिया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, अगर लिखित रूप में दी गयी होगी तो जो मुनासिब कार्यवाही है वह जरूर की गयी होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय वित्त मंत्री जी इन प्रश्नों को सूचना मान कर इस बात की जांच करायेंगे कि यह लकड़ी बाहर तो नहीं बेची गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, जब तक कोई साहब जिम्मेदारी लिख कर नहीं दें तब तक मैं इसकी जांच कराने को तैयार नहीं हूं । अगर कोई साहब लिखकर देंगे तो जरूर जांच करायी जायगी ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---प्रति घुनफुट ढुलाई पर क्या खर्च पड़ता है ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि ढुलाई के बहुत से तरीके हैं---कुछ तो लारी इस्तेमाल करते हैं, कुछ थोड़ी दूर पानी से ले जाते हैं, फिर वहां से रेल से ले जाते हैं । तो यह तो तरह तरह से ले जाते हैं उसे । उसकी तफसील इस वक्त मेरे पास ऐवेलेबिल नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक आना घनफुट रियायत देने का फैसला जो केन्द्रीय सरकार ने किया है, क्या उसने यहां की सरकार से पूंछ कर किया है ?

श्री सैयद अली जहीर---केन्द्रीय सरकार रियायत देती है फैक्टरी खड़ा करने के लिये, लेकिन जहां तक हमारी रियायत देने का सवाल है, उसके लिये तो हमको अख्तियार है और हमने दिया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन दिया जाता है तो पेपर सप्लाई में कुछ रेट्स रिड्यूस करने की बात भी चल रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो खुली हुई बात है कि अगर रा मेटिरियल गरां मिलेगा तो कागज भी गरां मिलेगा और अगर रा मेटिरियल रीजनेबिल रेट पर मिलेगा तो उसकी कीमत भी रीजनेबिल होगी ।

बरसहिया—वजीरनगर सड़क

*६५—श्री मूलचन्द (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील मिश्रिख में सीतापुर से शाहजहांपुर जाने वाली रोड पर महोली और उरदौली के बीच से बरसहिया से वजीरनगर जाने वाला रोड बन रहा है ? यदि हां, तो उस पर कितना कार्य हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६६—श्री मूलचन्द (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त सड़क बनाने में अभी कितना समय लगेगा और कुल कितना रुपया इस पर व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

निर्माण विभाग जिला कमेटी, बरेली

*६७—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में निर्माण विभाग जिला कमेटी किस सन् में बनी थी और उसके कौन-कौन सदस्य व अध्यक्ष हैं ?

श्री गिरधारीलाल—सन् १९५६ में। इस कमेटी के सदस्यों तथा अध्यक्ष के नाम की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४६ पर)

*६८—श्री नत्थूसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह भी सरकार बताने की कृपा करेगी कि आज तक इस कमेटी की कितनी मीटिंगें हुईं ?

श्री गिरधारीलाल—आज तक इस कमेटी की ७ मीटिंगें हुई हैं।

*६९—श्री नत्थूसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस कमेटी का कार्य क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—इस कमेटी का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्यों में सलाह देना है।

*७०—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थागित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

१–३—श्री गरीबदास—[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

४–५—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—[१० मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम†

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९५६ की धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार तद्धीन बने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को सदन की मेज पर रखता हूं।

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा—मैं सूचना देता हूं कि "उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ जो विधान सभा द्वारा ११ फरवरी, १९५९ को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में बिना किसी संशोधन के २३ फरवरी, १९५९ को वापस प्राप्त हो गया है।"

नियम ५२ के अन्तर्गत प्रदेश में गन्ने की खेती कम करने के सम्बन्ध में कृषि मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ४ विषयों पर सूचना आई थी। इनमें से श्री गेंदासिंह जी का जो विषय था उसको सबसे अधिक महत्व का समझ कर और अविलम्बनीय भी मान कर मैंने स्वीकृति दे दी है। यद्यपि मैं इतना कहूंगा कि गेंदासिंह जी जब इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित करें तो जरा उनकी भाषा में स्पष्टता होनी चाहिये। मुझे उनसे स्पष्टीकरण पूछने की आवश्यकता पड़ी। मैंने कमरे में बुला कर उनसे कुछ बातें पूछी। उसके बाद उसे स्वीकार किया। महत्व का होने की वजह से उसमें जो त्रुटियां थीं उनका मैंने खयाल नहीं किया। उनका कथन इस प्रकार है :—

> "अत्यन्त महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से निम्न तथ्यों की जानकारी चाहता हूं :—
>
> सरकार की इच्छा है कि गन्ना की खेती कम की जाय। उसने इस प्रकार का आदेश अपने कृषि फार्मों को अब तक नहीं भेजा है। यही समय गन्ना बोने का है। सरकारी फार्मों में भी गन्ना की खेती घटाई नहीं जा रही है। सरकार के अनुसार यह एक गम्भीर समस्या प्रदेश के सामने उत्पन्न करने वाली भूल है। सरकार इसे स्पष्ट करे।"

कृषि मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देना चाहें तो आज दे दें और अगर सूचना प्राप्त करनी है तो कुछ समय ले लें।

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ ऐसी बातें मान ली गयी हैं जो अभी साफ नहीं हैं। पहली बात यह है कि गन्ने की खेती कम की जाय और इसके आधार पर अपने कृषि फार्मों को हिदायतें दे दी जायं और वे गन्ना न बोयें और क्योंकि हिदायतें नहीं गयी हैं इसलिये गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायगी। इसका आधार ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि गन्ने की खेती कम की जाय यह भी इतना साफ मसला नहीं है जो यह कह दिया जाय कि गन्ना कहीं बोया ही न जाय। समस्या यह है कि यह प्रदेश जो चीनी पैदा करता है और जिसमें ६९ चीनी मिलें हैं उनके लिये गन्ना काफी बोया जायगा या नहीं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) क्या यह वक्तव्य समझा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—मैंने इसीलिये गेंदासिंह जी को अपने कमरे में बुलाया था और यह पूछा था कि जो उन्होंने लिखा है कि सरकार की यह नीति है कि गन्ना कम बोया जाय इसके बारे में क्या उनको पूरे तौर से जानकारी है ? क्या यह निश्चित हो चुका है ? क्योंकि वे किसी गन्ने से सम्बन्धित समिति के सदस्य भी रहे हैं, गन्ने के विषय में ज्यादा दिलचस्पी भी रखते हैं इस कारण मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे माननीय गेंदासिंह जी यह बतलायें कि यह बात निश्चित है, तब तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और यदि सरकार की उक्त कालीन नीति निश्चित न हो तो मैं उस प्रश्न को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि उनको पूर्ण इस बारे में ज्ञान है और सरकार इस विषय में वादविवाद के अवसर पर घोषणा भी कर चुकी है

सितम्बर के शुरुआत में। क्योंकि अभी मंत्री जी ने इस बारे में आशंका प्रकट की है कि यह निश्चित नीति नहीं रही है तो पहले माननीय गेंदासिंह जी इस विषय में बतलायेंगे, फिर माननीय मंत्री जी वक्तव्य दें तो अच्छा होगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जिस समय गन्ने के दाम के सम्बन्ध में यहां विवाद हो रहा था उस समय माननीय कृषि मंत्री जी ने सरकार की तरफ से ही कहा था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, और सारे सदन को भी, कि उस समय जो उन्होंने गन्ने की कीमत बढ़ाने के विरोध में दलील दी थी वह यही दी थी कि गन्ने की खेती बढ़ती चली जा रही है और यह प्रदेश की दृष्टि से अपेक्षित नहीं है इसलिये गन्ने की कीमत नहीं बढ़ायी जायगी। अभी १९ दिसम्बर को माननीय अजित प्रसाद जैन और माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने लोक सभा में यह कहा कि अपने देश में गन्ने की खेती चूंकि बढ़ती चली जा रही है इसलिये हम गन्ने के दाम बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। तो इन तीनों चीजों से स्पष्ट है कि सरकार कम से कम अपने फार्मों को, जो गन्ना बोने के लिये हैं, भी नहीं उनको मना करे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट नीति है सरकार की कि गन्ने की खेती कम कराये।

श्री अध्यक्ष—(कृषि मंत्री से) अब अगर आपको वक्तव्य देना है तो दें और नहीं तो इसकी जांच करके किसी दूसरे रोज को रखना चाहें तो वैसा करें। आप अपनी नीति के बारे में और जो कुछ आपने हिदायतें दी हों, उनकी जांच करने के बाद को भी वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं इसको अभी साफ़ कर दूं। जो अभी माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि उस वक्त मैंने गन्ने की कीमत के बारे में यह कहा था कि अगर गन्ने की कीमत बढ़ेगी तो गन्ने की खेती ज्यादा बढ़ जायेगी यह मुनासिब नहीं है। तो उसका यह मतलब निकालना कि गन्ने की खेती कम की जाय यह मेरे साथ भी ज्यादती है और अपने साथ भी इसलिये कि जब मैं कहता हूं गन्ने के दाम इतने होने चाहिये जिससे दूसरी फसल के दाम के मुकाबले में ज्यादा न हों और गन्ने के दाम बढ़ जायंगे तो दूसरी फसल लोग नहीं बोयेंगे, तो इसमें और गन्ने की पैदावार को कम करने में बड़ा फर्क है। मेरा खयाल है माननीय गेंदासिंह जी अब समझ गये होंगे।

जहां तक माननीय नेहरू जी और अजित प्रसाद जैन का हवाला दिया गया वह सारे देश की बात है। देश और प्रदेश में फर्क है। मेरी जिम्मेदारी प्रदेश की है और वही मैं कह रहा था कि यह सवाल बड़ा टेढ़ा है। इस तरह की नीति कि गन्ने की पैदावार कम की जाय, ऐसी नीति अभी साफ़ नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न अधिक उपजाने की दृष्टि से, खाद्य समस्या को हल करने की दृष्टि से, सरकार की यह नीति नहीं है कि कैश क्राप्स को कम किया जाय और गल्ले की पैदावार बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाय...

श्री अध्यक्ष—कैश क्राप में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आप गन्ने पर ही अपने को सीमित रखें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—ठीक है। इस दृष्टि से कि गन्ने की खेती को रोका जाय ज्यादा न बढ़े, और काश्तकार बढ़ायेंगे ही अगर उनको आमदनी होती है, तो सरकार अपने फार्मों पर नियंत्रण कर सकती है, तो वहां गन्ने की खेती कम करने के लिये क्यों नहीं आदेश देती है कि खाद्यान्न बोये जायं गन्ना न बोया जाय?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इसी बात को साफ करने के लिये मैंने कोशिश की थी। मैं यह कह रहा था कि हमारे देश में जिस तरह से चीनी पैदा की जाती है वह दुनिया में दूसरे देशों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है और अपने देश में भी जो चीनी इस वक्त पैदा हो रही है उसमें अपने प्रदेश में बहुत सी दिक्कतें हैं और पिछड़ा हुआ है। इसलिये हमारा चीनी का व्यवसाय दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ता जा रहा है। तो नतीजा यह होता है कि हम इस बड़े व्यवसाय को कहीं खो न बैठें यह हमारे सामने सवाल है। इसलिये आज जो ६९ फैक्टरीज हैं उनको ठीक-ठीक चलाने के लिये गन्ने की कितनी जरूरत होगी, वह पैदा न करने के लिये हुक्म दे दिया जाय ऐसी नीति अभी मैंने फैसल नहीं की है। दूसरी बात यह है कि जहां तक फार्म्स का ताल्लुक है, फार्म्स जो हैं वह तो एक्सपेरीमेंन्टल फार्म्स हैं। शाहजहांपुर में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वहां पर शुगर केन का रिसर्च होता रहे और वहां पर फार्म में गन्ना न बोने का हुक्म दे दें, वह कैसे दे सकते हैं। हमारे फार्म ज्यादातर सीड सप्लाई करते हैं। चूंकि हम सीड सप्लाई करते हैं इसलिये गन्ना चाहे जितना कम बोया जाय उस वक्त तक फार्म पर गन्ना बोने का और सीड सप्लाई करने का काम रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इस बात को देखते हुए कि सम्पूर्ण देश में प्रदेश भी शामिल है और इस बात को भी देखते हुए कि गन्ने की कीमत बढ़ाने, घटाने या निर्धारित करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, क्या मंत्री जी बताएंगे कि केन्द्रीय मंत्री श्री अजित प्रसाद जैन ने जब घोषणा की तो उससे पहले प्रदेशीय सरकार से कोई राय ली ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न वक्तव्य से उठता नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि निकट भविष्य में जब तक कि इस वर्ष का गन्ने का बावक का सीजन खत्म न हो इसके पहले कोई निश्चित नीति इस सम्बन्ध में करेगी कि गन्ना बढ़ाया जाय, घटाया जाय या जितना बोया गया है उतना ही रक्खा जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—गन्ने की खेती और घटाने का सवाल जब तक कि कोई कानून न बन जाय तब तक हम आज्ञा नहीं दे सकते लोगों को। कृषक अपनी खेती करता है, वह इकानामिक फैक्टर है और उसमें दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। बहुत सी जगह गन्ना इसलिये बोया जाता है कि खरीफ खराब हो गई है और इस वक्त गन्ना ही है जो चारा दे रहा है और गुड़ वगैरह देकर नरशिंग दे रहा है। ये कई बड़े फैक्टर्स हैं। जब तक कोई कानून न पास हो जाय हम किसान से कुछ नहीं कह सकते।

११ फरवरी, १९५९ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

राजस्व मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ पर ११ फरवरी, १९५९ को श्री चन्द्रजीत यादव के द्वितीय अनुपूरक प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था—

"असल में जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमायें मिलती हैं वहां पर डकैतियां कुछ बढ़ गई थीं। इस वजह से यह सुझाव था कि एक ऐसी ज्वाइंट आर्म्ड कान्सटेबुलरी बनायी जाय। साथ ही साथ और जोनल कौंसिल भी विचार कर रही है कि उनकी एक ज्वाइंट पुलिस रखी जाय जिससे सीमाओं की दिक्कतों को दूर किया जा सके।"

---

* ११ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया है।

उक्त उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है--

"राज्यों के व्यय में कमी करने के उद्देश्य से अन्य जोनल कौंसिल्स अपने जोन्स में एक कामन पुलिस रिजर्व बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही थीं जिससे ऐसी पुलिस फोर्स जोन के किसी राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न होने की दशा में काम में लाई जा सके। इसी उद्देश्य से सेन्ट्रल जोन में भी ऐसी फोर्स बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।"

आपसे प्रार्थना है कि सदन की ११ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया जाय।

श्री टीकाराम पुजारी की प्रार्थना

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--श्रीमन्, १६-१७ को मैं आपके कमरे में मिला था और मेरा एक प्रस्ताव था। आपने कहा था कि जब बजट पर बहस होगी तो मौका देंगे। श्रीमन्, आपने मौका नहीं दिया। मुझे तो वैसे भी मिलना चाहिए। तीन लोक से मथुरा न्यारी है। उसके लिये अलग समय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--अब मथुरा का स्थान बनारस ने ले लिया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अब जो प्रश्न और शेष रह गये हैं क्या वह फिर से लिख कर दे दिये जायं या वह स्वतः आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--कौन से ? नियम ५२ वाले ? वह बाकी अस्वीकृत हो गये। उनको मैंने नामंजूर कर दिया है।

श्री राजनारायण--अगर वह नामंजूर हो गये तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष--समस्याओं के लिये मैंने कहा था कि जो समस्या आपने खड़ी की उसका मुझे नोटिस मिलेगा तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री राजनारायण--तो मुझे इतना ही निवेदन करना है...

श्री अध्यक्ष--नहीं तो आप प्रश्न कर लें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जब हमने काम रोको प्रस्ताव दिये थे तब आपने कहा था कि बजट के अवसर पर कहना अभी उनकी इजाजत नहीं। अगर बजट के सम्बन्ध में भी उस समस्या के लिये उत्तर न हो तो हम क्या करें ? आपने यह कहा था कि अगर वह उत्तर नहीं देंगे तो फिर हम मार्ग बता देंगे।

श्री अध्यक्ष--तो अभी बजट खत्म कहां हुआ ?

श्री राजनारायण--हम तो श्रीमन्, बोल चुके सामान्य बजट पर। जहां तक अनुदानों का सम्बन्ध है वह न जाने कब आयेगा किस अनुदान के लिये।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर इस वक्त बैठें। मैंने उसको इस वक्त नामंजूर कर दिया है। मुझे उस पर कार्यवाही करनी है वह कर रहा हूं।

श्री राजनारायण--कर रहे हैं न ?

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, अभी पलिया कालोनी के सम्बन्ध में मालूम हुआ कि ६१ लाख २० हजार ७८६ रुपया लगा कर ७,३४५ एकड़ जमीन तोड़ी गयी और ६२५ किसान उसमें बसाये गये। इसके लिये सवाल किया जाता है तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इसके लिये बार-बार कहा जाता है। आप सुनते ही नहीं हैं। पलिया का मामला कितनी दफा उठाया गया है लेकिन यह क्या पागलपन है कि हम आपसे बारबार कहते हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। हम जितने सवाल रखते हैं सब नामंजूर ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

श्री बंशीधर शुक्ल—बैठ तो हम जायंगे। यह आपके लिये शोभा नहीं देता। कृपया हम लोगों को थोड़ा मौका दीजिये, हमारी भी सुनिये, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हम चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—चले जाइये। नियम यह है कि जब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाने के लिये प्रश्न किये जायं तब नियम ५२ का पांचवां अंश भी लागू होता है जिसे माननीय सदस्य देख लें। जब ऐसे प्रश्न ५२ नियम के हिसाब से उपस्थित किये जायं तो "एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे" यानी २, ३, ४ या जितने भी महत्व के विषय हों उनमें से एक ही उठाया जा सकता है। आज मैंने गेंदासिंह जी का विषय सब से महत्व का समझ कर इजाजत दे दी इस कारण बाकी खारिज हो जायंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह कहां लिखा है कि बाकी सब आटोमेटिकली खारिज हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—दूसरे दिन के लिये दूसरी नोटिस दीजिये। फिर नोटिस दीजिये अगर अविलम्बनीय हैं। मैं उसको विलम्ब के साथ क्यों लूं। अगर आप उसको अविलम्बनीय समझते हैं तो कल फिर आप पेश कर दें।

सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—श्रीमन्, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध जो डिमांड्स आने वाली हैं उनसे है और बजट के वक्त वह डिस्कस होनी चाहिये थी पालिसी वगैरह के लिये। तो अगर ऐसा हो कि बजट और आज के बीच में जिस किसी विषय के रुकने से नुकसान होता हो तो उनका लेना तो ठीक होगा, लेकिन जैसे अब २ और तीन ३ तारीख को मेरा बजट है। जितने मेरे डिपार्टमेंट्स की पालिसीज वगैरह हैं वह सब उन दिनों डिस्कस हो जायेंगी। तो क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि उस रोज वह सब विषय ले लिये जायं और उसके पहिले वही विषय लिये जायं जिनमें उस दिन तक रुकने में कोई नुकसान होता हो।

श्री अध्यक्ष—तो यही सोच कर मैं करता हूं कि विषय मेरे पास आते हैं उनमें सबसे महत्व का हो वही ले लिया जाता है। जो सामने आने वाला है और उसके विलम्ब होने से सार्वजनिक हानि होने की सम्भावना हो क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग बजट विवाद में उस विषय पर नहीं कह पाते हैं। कटमोशन्स आते हैं और उस पर लोग बोलते चले जाते हैं और अविलम्बनीय महत्व का विषय भी विवाद में छूट कर रह जाता है। तो कोई महत्व का अविलम्बनीय विषय ऐसा रह गया हो तो वह मैं ले लेता हूं। कभी ऐसा हो जाता है कि प्रश्न ऐसा प्रतीत होता है कि कोई घटना या विषय सार्वजनिक महत्व की है और अविलम्बनीय भी है। जैसा कि आज ही का प्रश्न था। आज का सरकारी नीति का प्रश्न है। उस नीति की लोगों को जानकारी हो जाय कि लोगों को गन्ना उगाने के सम्बन्ध में क्या सीमा रखना चाहिये तो शायद बहुत से लोग गन्ना

कम बोवें । इस विषय पर अगर चर्चा नहीं करते हैं तो उससे लोगों का नुकसान भी हो सकता है । इसलिये मैंने समझा कि वह महत्व की चीज है । इसे अगर आप स्पष्ट कर दें तो अच्छा है । कभी अविलम्बनीय महत्व की चीज आ जाय तो उसका चूंकि जिक्र, बजट बिवाद में आ सकता है और उस पर विचार हो सकता है। इसलिए मैं उसे अवश्य ही अस्वीकार कर दूं यह उचित न होगा मुझे इस बात को जांचने की कोशिश करना उचित प्रतीत होता है कि उपस्थित विषय पर शीघ्र वक्तव्य या घोषणा सरकार की होना उचित है या नहीं ।

१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष––अब वित्तीय वर्ष १९५९–६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के संबंध में वाद-विवाद होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, इस कटमोशन के सम्बन्ध में । मैं आपके सामने यह रख रहा हूं कि केवल १६–१७ मदों के अन्तर्गत ही कटमोशंस लिये जा रहे हैं, इनके अतिरिक्त और जो विषय उठाये जा सकते हैं कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत या और प्रकार से, उनमें आपने यह व्यवस्था दी है कि बजट के समय उनपर वाद-विवाद हो, लेकिन मेरी आशंका यह है कि उन १६–१७ अनुदानों के अतिरिक्त जो अन्य विषय होंगे उनके लेने के लिए हम क्या तरीका अख्तियार करें ?

श्री अध्यक्ष––अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूंछे । उसके ऊपर बहस हो सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर तो ३–४ रोज बाद मिलता है ।

श्री अध्यक्ष––तो उसे आप अविलम्बनीय विषय लेकर दें––दो ही रास्ते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––लेकिन कामरोको प्रस्ताव तो उनपर आप लेंगे ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष––मैं देखूंगा कि इस योग्य हैं या नहीं । योग्य हैं तो ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा । आप भेजिये तो सही ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)––मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं अनुदानों के बारे में कि ये ग्रांट्स आप किस तिथि को लेंगे यह हमें मालूम नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष––दो घंटे तो कल वाला अनुदान ५ पर विवाद होगा जो रह गया था, उसके बाद दुर्भिक्ष सहायता का, अकाल का, और फिर ४६,१० और ११ ये अनुदान २५ तारीख को होंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––श्रीमन्, यह एजेंडे में कैसे आ गया ? क्या आज सब लिये जायंगे ?

श्री अध्यक्ष––यह ग्रुप का ग्रुप लिया जाता है । यह बाद को तय होता है कि फलां तारीख को फलां लिया जायगा ।

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---एक निवेदन करना है । जिन मदों पर बहस नहीं होनी है, जैसा कि निर्णय किया गया है, अगर उनको पेश कर दिया जाय तो कोई हर्ज होगा ?

श्री अध्यक्ष---वह बाद में होगा, क्योंकि वह समूह दूसरा है । पहले यह खत्म हो जाना चाहिये ।

अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक : १०---वन

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक : १०---वन के अन्तर्गत २,६८,७९,५०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस विभाग पर बहस के सिलसिले में माननीय सदस्य ज्यादातर यह चाहते हैं कि वे अपने विचार प्रकट करें और मुझसे बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर सुनना नहीं चाहते इस वजह से कि पहले इस पर विवाद का सवाल ही नहीं था । मुझे थोड़ी सी बातें अर्ज कर देनी हैं और उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा ।

पहली बात तो यह हमको याद रखनी है कि हमारे यहां ५१ जिले हैं जिनमें से सिर्फ १७ जिलों में वन विभाग काम करता है जो हमारे यहां दो हिस्सों में तकसीम है, एक तो हिमालय पहाड़ के ऊपर और उसके नीचे पश्चिम से पूर्व तक और दूसरे विन्ध्याचल के पहाड़ में कुछ थोड़े से वन हैं । बकिया हमारे प्रदेश में वन करीब-करीब नहीं के बराबर है । मैदानों में अगर आप देखें तो जहां कम से कम २० प्रतिशत वन होना चाहिये वहां सिर्फ ५ प्रतिशत् में बाकी हैं और वनों का महत्व इतना ज्यादा है और इतना बढ़ता जा रहा है कि वह किस कदर जरूरी चीज है, देश को हरा-भरा रखने के लिये ताकि सब बालू ही बालू न हो जाय यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

इसके अलावा हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज का दारोमदार जंगलों पर है । यों अगर आप देखें तो इतना काम हम वन विभाग से करते हैं, मसलन् रेल के नीचे जो स्लीपर्स डाले जाते हैं इनको हमारा वन विभाग काफी मिकदार में देता है । अंग्रेजों के जमाने में यह बड़ी तादाद में आस्ट्रेलिया वगैरह से आते थे लेकिन हम बराबर यह कोशिश करते जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा स्लीपर्स हमारा वन विभाग सप्लाई कर सके । इसी तरह से आपने देखा होगा कि तार के खम्भे बहुत कुछ पहले जमाने में लोहे के बनते थे और विलायत से आया करते थे बहरहाल हमारे मुल्क में भी यह बनते हैं लेकिन उसी के साथ-साथ लकड़ी से भी हम बहुत कुछ सहायता देते हैं । इसके अलावा प्लाइवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं और दूसरे काम में आता है । इसकी लकड़ी भी हमारे जंगलों से निकलती है । इसी तरह से कागज की इंडस्ट्री है । आप जानते हैं कि कागज की हमारे देश में काफी खपत है और ज्यों-ज्यों हमारे यहां तालीम बढ़ती जायगी त्यों-त्यों कागज की मांग भी बढ़ती जायगी । इस इंडस्ट्री के लिये भी जंगलों की जरूरत है । फिर, जैसा आप जानते हैं, रोजिन और टरपेन्टाइन बहुत जरूरी चीजें हैं जो लीसा से तैयार की जाती हैं । जंगल अगर काट दें तो यह कुछ नहीं बन सकेगा । इसी तरह दियासलाई की इंडस्ट्री के लिये भी लकड़ी की बहुत जरूरत है । कत्थे के बारे में भी आप जानते हैं कि किस कदर कत्था अपने देश में इस्तेमाल होता है । अगर जंगल न हों तो इस इंडस्ट्री पर भी बहुत असर पड़े । इसके अलावा पैकिंग केसेज के लिये भी जंगलों की बहुत जरूरत है । ज्यों-ज्यों इंडस्ट्रीज हमारे देश में तरक्की करेंगी त्यों-त्यों माल इधर से उधर भेजने के लिये पैकिंग कैसेज की जरूरत ज्यादा बढ़ेगी । फिर बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ड्राइंग के कि जिनके लिये एक खास किस्म की लकड़ी की जरूरत है । उसकी पैदावार हमारे

जंगलों में होती है । स्पोर्ट गुड्स यानी खेल कूद के सामान जैसे क्रिकेट के बैट्स, बैडमिंटन और पिंगपांग के बल्ले वगैरह इनके जुज उस लकड़ी से बनते हैं जिनको हमारे जंगल सप्लाई करते हैं और इसके अलावा बीड़ी के पत्तों की जो पैदावार है वह भी जंगलों में है और वहीं से वह सामान आता है । इसके अलावा जहाजों में जो लकड़ी लगती है वह भी हमारे जंगलों से आती है, इन सब बातों को देखते हुये जंगलों की हमारी सूबे के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये बहुत ज्यादा अहमियत है ।

इन सब बातों को देखते हुये हमें इस इंडस्ट्री को कायम रखना है और आगे बढ़ाना है और इसके लिये हमें एक पालिसी इस तरह की बनानी पड़ती है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा मिकदार में चीजें सप्लाई कर सकें और उसी के साथ साथ हमारी चीजें भी खत्म न होने पायें । मान लीजिये यदि मांग ज्यादा होगी और ज्यादा पैदा न कर सकेंगे तो यकीनन ऐसा वक्त आ जायगा जब हमारी लकड़ी सब खत्म हो जायगी । इससे बड़ा नुकसान होगा । यदि पहाड़ों में जंगल न होंगे तो वर्षा के समय तमाम मिट्टी बहकर नीचे चली आयेगी । इससे हमारे दरियाओं का कैचमेंट एरिया अपनी जगह पर कायम रहता है वरना इरोजन आफ स्वायल हो जाय । इससे सारी मिट्टी बहकर चली जाय और हमारे यहां की ज्योग्राफी की सूरत ही बदल जाय । इसलिये हमें महसूस करना है कि जंगल हमारे लिये बहुत जरूरी हैं ।

इसके साथ ही साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो लोग जंगल के आस पास रहते हैं उनके पुराने हकूक हैं, हमें उनको भी कायम रखना है । यह हम नहीं कर सकते हैं कि जंगल के पास कोई रहता है वह लकड़ी लेने के लिये दूर जायगा । लेकिन यह लिहाज जरूर रखा है कि कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिये । यह नहीं हो सकता है कि जितनी चाहें लकड़ी लें और उसका बुरी तरह से इस्तेमाल करें । इसलिये पुराने हुकूकों को तस्लीम करते हुये हमने कुछ कायदे बनाने शुरू किये हैं जिससे जंगलों का बेजा और गलत इस्तेमाल रुक सके और इसी कोशिश में हम लगे हुये हैं । आप लोग देखते हैं कि आपके द्वारा कुछ कहा जाता है और हमें दिक्कत पड़ जाती है । हम समझते हैं कि जायज है लेकिन जंगलों का खयाल करते हुये हमें इंकार करना पड़ता है । मस्लन जानवरों के चरने का सवाल है तो उसकी इजाजत दी थी कि मुफ्त में चरा सकते हैं । लेकिन उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है अगर सबको इजाजत दे दी जाय तो हमारे यहां के जंगलों के तख्तों के खाली हो जाने का अंदेशा है । जानवर घास, पत्ती खायें उससे कुछ नुकसान नहीं होता है लेकिन चराने वाले लकड़ी काट लेते हैं और पत्ते जानवर को खिला देते हैं और लकड़ी ले जाते हैं । इसी तरह से सड़कों पर आपने देखा होगा कि सड़कों के दरख्त कितने कम होते चले जा रहे हैं और किस तरह से पत्ते वगैरह ज्यादा तोड़ लेने से वह सूखते चले जा रहे हैं । इसलिये इन सब बातों को देखते हुये इसकी जरूरत समझी गई कि कुछ न कुछ जंगलों के इस्तेमाल के कायदे बनाये जांय और जरूरत के लिहाज से पुराने कायदों में तब्दीली की जाय और अपने जंगलों का इंतजाम करें । चुनाचें नये फाइव ईयर प्लान में इस बात का खयाल किया गया और इसमें १३ स्कीम ऐसी रखी गई जिनकी वजह से फारेस्ट्स का डेवलपमेंट हो सके ।

मैं बहुत मुख्तसरन इन स्कीमों को बता दूंगा । स्कीम नम्बर १ यह है कि कुमायूं में फल के दरख्त लगाये जायं जिससे फल की पैदावार बढ़े । इसके लिए ४५ हजार रुपया रखा गया है । इसी तरह से ७ नम्बर की स्कीम में इंडस्ट्रियल इम्पार्टेंस के दरख्त हैं । इसके लिए २१ लाख ३७ हजार रुपया है । स्कीम नम्बर ८ में साल के दरख्त हैं जो बड़े वैल्यूएबिल होते हैं । उनके डेवलपमेंट के लिए और रिजनरेशन ४ लाख ३६ हजार रुपया रखा गया है । स्कीम नम्बर ९ कुमायूं में क्लास वन के फारेस्ट्स को तरक्की देने के लिए ३ लाख रुपया रखा गया है । इससे हमारा इरादा है कि ५ लाख एकड़ अलहदा जमीन ले कर नये दरख्त लगायेंगे । स्कीम नम्बर ११

[श्री सैयद अली जहीर]

यह है कि जमींदारी अबालिशन के बाद जो हमें जंगल मिले हैं उनमें बहुत से ऐसे जंगल हैं जो बिलकुल तबाह हो गये हैं । उनकी तरक्की के लिए हमने ५ लाख ९४ हजार रुपया रखा है । स्कीम नम्बर १२ में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में जहां पर खोल हैं, दरिया की वजह से बराबर मिट्टी कटती चली जा रही है और जरात के लिए जमीन नहीं मिलती है उसकी रोकथाम के लिए हमने २ लाख ३९ हजार रुपया रखा है । स्कीम नम्बर १३ में मेरठ और बुलन्दशहर में यह सूरत पैदा हो रही है कि गंगा और यमुना के बहने की वजह से जंगल खत्म होते जा रहे हैं । इसके लिए ३ लाख ५१ हजार रुपया रखा गया है । इसके अलावा गढ़वाल और बिजनौर जिलों में कुछ कैचमेंट एरियाज हैं वहां भी जमीन की हालत बहुत खराब हो गयी है । वहां एफारेस्टेशन के लिए १ लाख रुपया प्रोवाइड किया है । स्कीम नम्बर ६ वाइल्ड लाइफ के मुताल्लिक है । हमारे यहां जंगलों में कुछ ऐसे किस्म के जानवर हैं जो नायाब हैं । वह और मुल्कों में नहीं मिलते । उनके लिए भी एक स्कीम बनायी गयी है । इसके लिए ३ लाख ५७ हजार रुपया प्रोवाइड किया है । स्कीम नम्बर २ में प्राइवेट फारेस्ट्स में नयी इमारतें बनाने के लिए ३ लाख ३१ हजार रुपया रखा है । इसी तरह से जो लोग फारेस्ट में काम करते हैं उनको स्पेशल किस्म की तालीम की जरूरत पड़ती है । इसके लिए १ लाख ९ हजार रुपया रखा है । स्कीम नम्बर ५ में लाख की तरक्की के लिए प्राविजन है । बुन्देलखंड के जिलों में लाख की बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है । इसके लिए ३० हजार रुपया रखा गया है । इसके साथ-साथ बहुत से हमारे ऐसे जंगल हैं जो पहाड़ों पर वाकय हैं । वहां पर अगर रास्ते हो जायं तो बहुत कीमती लकड़ी जो वहां पर है और काम में नहीं आ रही है, वह काम में आ सकती है । वहां पर रास्ते वगैरह बनाने के लिए भी डेवलप-मेंट करना है । और उसके लिए १०,२१,००० रुपया इसमें प्रोवाइड किया गया है । तो आप इस तरह से देखेंगे कि और बहुत-सा और भी रुपया रखा गया है, उस काम के लिए जो कि मथुरा वगैरह में हमारी जमीन कटती जा रही है और वह डेजर्ट होता चला जा रहा है । आगरा और मथुरा में खास तौर से यह चीज है । वहां के लिए यह कोशिश है कि वहां एक बेल्ट बन जाय फारेस्ट की जिससे डेजर्ट का हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ आना बन्द हो सके । उसके लिए भी इन्तजाम किया गया है और स्कीम बनाई गई है । उसके लिए भी रुपया खर्च किया गया है लेकिन इसका खर्चा ज्यादा तर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आता है और हम और वह मिलजुल करके इस काम को कर रहे हैं । इस तरह से आप देखेंगे कि फारेस्ट की इतनी इम्पार्टेंस है । मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर जब आप गौर करेंगे तो इस बात को पेशे नजर रखेंगे कि बहरहाल हम जो कुछ इस मामले में कर रहे हैं उसमें यह हमारी नीति नहीं होती है कि कहीं के रहने वालों को कुछ नुकसान पहुंचे या बिला वजह उनको तकलीफ हो ।

अब और बहुत सी बातें हैं जिनका कि जिक्र मैं ओपेनिंग में कर सकता था । लेकिन मैं इसका इन्तजार करूंगा अगर आप अपनी तकरीर में उन बातों को उठायेंगे तो मैं बाद में उनका जवाब दे दूंगा जैसे नैनीताल अल्मोड़ा में कीमत क्यों बढ़ गई, स्टार पेपर मिल या कत्था फैक्ट्री का क्या मामला है, यह सब चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन के सिलसिले में या सप्लीमेंट्री डिमांड के सिलसिले में आप लोगों ने कही थीं । मैं उनका जिक्र अपनी इस इब्तदाई तकरीर में नहीं कर रहा हूं । आप लोग अगर वह प्रश्न उठायेंगे तो बाद में मैं उनका जवाब दे दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करूंगा कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रु० कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा का अभिप्राय है । वन विभाग के कर्म-चारियों के वेतन न बढ़ना । श्रीमन्, मैं आपका और माननीय मंत्री जी का मशकूर हूं

श्री अध्यक्ष---अब यह मैं इतना कह देना चाहता हूं कि क्योंकि कई लोग बोलेंगे तो १० मिनट से अधिक समय कोई न ले ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मूवर को तो २० मिनट कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, दो ही घंटे का तो कुल समय है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, २० नहीं तो कम से कम १५ मिनट तो दिये ही जायं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । दस मिनट में आप देख लीजिए, काफी हो जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मिनट लग गया तो बोलने में भी गड़बड़ हो जायगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मैं निवेदन करूंगा कि चार मिनट, छः मिनट हम लोगों को, पीछे वालों को भी मिल जायं । नहीं तो बोलने का बड़ा सिलसिला है, अनुदान, कटौती, नेता लोग तो कोई न कोई चीज ऐसी निकाल लेते हैं जिस पर बोल जायं, लेकिन हम लोगों . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें । आपको भी मौका मिलेगा,

श्री टीकाराम पुजारी---सात-आठ मिनट रखा जाय श्रीमन्, जिससे सब लोग बोल लें ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, १ बजे तक का समय तो मिलना ही चाहिए ।

श्रीमन् मैं आपका और माननीय मंत्री जी का मशकूर हूं कि आपने यह अनुदान लिया और मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वन नीति को सही तरीके पर ठीक लाइट में लाने में हमको मदद दी । आज तो प्रश्न हुए थे, इसी आदरणीय सदन में, उसके जबाब में माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि स्टार पेपर मिल को २ लाख क्यूबिक फुट लकड़ी १ आने फी घनफुट के हिसाब से दी जाती है । इस एक ही सवाल के जबाब से आदरणीय मित्रों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर यह पहाड़ वाले क्यों चिल्लाते हैं । यानी २ आने फी मन एक करोड़पति और लखपति को दिया जाय जब कि वहां के रहने वाले जो जंगलों के अन्दर रहते हैं या जंगलों से मिली हुई जगह पर रहते हैं उनके लिये यह भी जबाब में आया कि सवा रुपया मन वन विभाग उनसे जलाने के लिये लकड़ी का लेता है । श्रीमन्, यह वह प्रदेश है जहां पर साल के नौ महीने जाड़ा रहता है । बरफ पड़ती है, ओले पड़ते हैं, पानी इतना जम जाता है कि कभी-कभी नल तक फट जाता है । तो यह हमारे लिये जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है, कोई लग्जरी का प्रश्न नहीं है । मंत्री जी के आज के उत्तर से ऐसा लगा कि हम लोग कुछ गलतफहमी में हैं । असल में कमजोरी यह है कि हम अपनी बात को मंत्री जी को समझा नहीं पाते । अगर समझा पायें तो शायद वह दिक्कतें जरूर दूर करें या कर देंगे ऐसा मुझे आज की बात से अन्दाज आया ।

कोयले के बारे में जैसा कि मंत्री जी ने फरमाया कोयले की कीमत क्यों बढ़ी । मन्त्री जी ने अपनी पिछली तकरीर में फरमाया था कि सवा रुपया फी मन तो रायल्टी लेते हैं । ५ मन लकड़ी १ मन कोयले बनाने में लगती है लेते हैं तो पांच सवैया सवा छः यही हो गया । लकड़ी का हमारे लिये सवा रुपया हो गया और स्टार पेपर मिल के लिये, जो करोड़पति हैं, १० आना मन रेट रखा गया है । इतना सस्ता उसको दिया जाता है । यह किस प्रकार की सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी है । इस तरह की जो सरकार की नीति है वह उस कथित सिद्धान्त की जड़ पर कुठाराघात कर रही है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने जो मदद पहाड़ी क्षेत्र को करने का वायदा किया है उसको पूरा वे करें । वहां पहाड़ी के ४ जिलों में २२ लाख आदमी रहते हैं ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

उन २२ लाख आदमियों के लिये जिनमें ९५ प्रतिशत गरीब हैं ईंधन इतना महंगा कर देना, कि जो भाव चाहें उनसे लिया जाय कुछ मुनासिब नहीं है। यही मेरी शिकायत है। तमाशे की बात तो यह है कि उस स्टार पेपर मिल ने यह लकड़ी बाहर बेंच दी, चेक से खरीददार द्वारा उन्हें पेमेन्ट हुआ है। उस लकड़ी को उन्होंने अपने काम में न लेकर बाहर वालों को बेच दिया है। उसको करीबन २, २ १/२ रुपये घनफीट तक में बेंच दिया गया है और काफी लाभ उन्होंने उठाया है। इसके अलावा १० फुट तक लम्बी लकड़ी की जंगलों में शहतीरें बनाई गईं। इन शहतीरों को भी स्टार पेपर मिल वाले बड़ी आसानी से सीधे ही ले जाते हैं।

कोयले का दाम भी रानीखेत में बढ़ा दिया गया। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि नैनीताल में दाम ज्यादा था तो उससे एट पार लाने के लिये यह बढ़ाये गये हैं। अल्मोड़ा में इसलिये बढ़ाये गये कि कहा गया दूर के जंगलों से कोयला लाया गया था। मेरा निवेदन यह है कि आपके वन विभाग के अधिकारी आपको गलत जबाब देते हैं। यही नहीं कुमायूं के जंगलों में कोयला पुराने ही जंगलों से अधिकांश निकाला गया। जो खैर के पेड़ निकलते हैं वे तथा निकटवर्ती जंगलों के मिलाकर २५ हजार के लगभग पेड़ सालाना निकलते हैं। उनको भी सरकार सस्ते दाम बरेली की फैक्टरी आदि को देती है। वह करोड़पति फर्म है और विदेशी फर्म हैं। मैंने हिसाब लगाकर देखा तो पता चला कि सरकार को २५ से २८ लाख तक रुपये का घाटा हर साल होता है। जब सरकार से पहाड़ी क्षेत्र की मदद करने के लिये रुपया मांगा जाता है तो यह कह दिया जाता है कि कुमायूं से रेवेन्यू बहुत कम मिलती है इस वजह से रुपया कहां से दिया जाय। मेरा निवेदन है कि अगर उन लोगों को उचित दाम पर लकड़ी दी जाय तो यह रेवेन्यू बढ़ सकता है। वह तो करोड़पति फर्म है उसको इतने कम दाम पर देने की क्या जरुरत है।

इन खैर के पेड़ों की चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है कि इनको यूनिट के हिसाब से बेचना चाहिये। उस यूनिट का हिसाब न रखने से काफी loss सरकार को उठाना पड़ता है। कम्पनी को यूनिट के हिसाब से पेड़ बेचना तय हुआ था लेकिन फिर वह यूनिट के हिसाब से नहीं बेचे गये जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। खुद जंगलात विभाग की जो गार्ड बुक है उसमें यूनिट बहुत कम रखा गया है जब कि कम्पनी उनको ज्यादा मानती है। जहां पर इनका २ यूनिट है वहां पर कम्पनी २ १/२ यूनिट मानती है। जहां पर इनके ३ यूनिट हैं कम्पनी वहां पर ५ यूनिट मानती है। गार्ड बुक में इतना कम यूनिट होते हुए भी पेड़ तादाद के हिसाब से बेचे गए और उसमें भी यूनिट के हिसाब से न बेचने पर १९५८-५९ में पहले ३०,४२,०२२ रुपये का नुकसान हुआ और फिर ५ लाख का दूसरा नुकसान हुआ। उनको जो १० हजार पेड़ का नुकसान हुआ उसको बताया नहीं गया। लीसे के बारे में भी ऐसा किया गया है। एक बड़े धनाढ्य को सस्ते दर पर लीसा दिया गया जिससे ६१ हजार रुपया कम कीमत लेने से और २३,२६७ रुपये कम रायल्टी लेने से और ४९,३९५ रुपये टीन की कीमत न लेने से सरकार को नुकसान हुआ जो आडिट रिपोर्ट १९५८ में दर्ज है।

१९५७-५८ में वास्तविक धनराशि जो पशुधन पर खर्च की गई वह ९३,८९२ रुपये थी जब कि १९५८-५९ में बजट का तखमीना १,१३,००० रु० का था। ताज्जुब है उसको अब ४५ हजार रुपया रखा गया है। उसी तरह से वन विकास में जहां पर वास्तविक आंकड़े १९५७-५८ में ४,७३,७४५ थे वहां १९५८-५९ में तखमीना ३,२१,२०० था। तो अब इस साल १९५९-६० के लिये सिर्फ ३ लाख रुपये रखा गया है। मजे की बात यह है कि इसमें से २,४७,६०० रुपया जो पहले पशुधन पर खर्च किय जाता था अब उसकी जगह पर केवल १८ हजार रुपया रखा गया है तथा जो पहले वन संगठन पर १ लाख खर्च होता था उसकी जगह पर अब केवल ९ हजार खर्च रक्खा गया है जब कि तनख्वाह वगैरह का पहले १,३१,६०० रुपया था जो अब बढ़कर १,५०,००० रक्खा गया है। यानी तनख्वाह बढ़ गई पर

डेवलेपमेंट में खर्चा कम होगा । इन मदों में जहां पहले ९६,९०० रुपये था वहां अब १,०१,००० रुपये हो गया है, भत्ते की जहां तक बात है वह पहले २१,४०० रुपये था, अब आज ३०,००० रुपये हैं । तो दूना, ढ्योढ़ा हो गया है इसमें इजाफा किया गया है । मुख्य अरण्यपाल का जो शिविर लाया गया है उसके दौरों तथा सज्जा ढोने आदि का खर्चा ५,१०,००० रुपये है,सम्प्लीमेंटरी पिछले साल मार्च, १९५९ में पास हो चुका है और वन की तरक्की के नाम से जो रुपया लिया जाता है यह उसमें से काटा जायगा । जनता के लिये वन उपज की बढ़ी कीमत के बारे में जबाब बड़े contradictory आते हैं । मैंने अल्मोड़े की बाबत लिखा था तो अरण्यपाल महोदय, श्री जैन का उत्तर मेरे पास आया २७ फरवरी, १९५८ को कि अल्मोड़ा से कोयला हमेशा की तरह नैनीताल आया और उसके लिये जनता की कोई शिकायत अल्मोड़े में कोयले की कमी के बाबत नहीं आयी । यह नहीं कि कोई कमी है या नहीं । मैंने खुद लिख कर दिया कि अल्मोड़े का कोयला बाहर क्यों भेजा जाता है ? तो भी कहते हैं कि शिकायत नहीं आयी । यह शिकायत नहीं तो क्या है ?

इमारती लकड़ी पहले जहां से मिलती थी वहीं से अब भी मिलती है । हमने निवेदन किया कि इधर दाम तेज हो गये हैं तो बताया गया कि लकड़ी की कीमत कम होने के कारण ठेकेदारों ने स्लीपर्स बनाकर बाहर भेज दिये । यह अरण्यपाल श्री जैन ने भारतीय मंत्री जी की सदारत में जो बैठक हुई थी उसमें बताया था । मेरे पास इसका लिखित प्रमाण है । इसके पहले वही अरण्यपाल कहते हैं कि नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है कि जिससे इमारती लकड़ी बाहर नहीं भेजी जायगी । इमारती लकड़ी का बाहर जाना बन्द कर दिया गया है फिर क्या वजह है कि लकड़ी बाहर जाती है, और चोरी से जाती है । मंत्री जी ने बताया कि स्टार पेपर मिल वाले तो पानी में बहा कर ले जाते हैं, मोटर से ले जाते हैं, लेकिन उस सब के साथ एक तरीका चोरी से ले जाने का भी है और उसको आपके चेक पोस्ट वाले नहीं रोकते । आप हम गरीबों को सवा रुपये मन के हिसाब से लकड़ी बेचते हैं लेकिन उनको १ आने घनफीट के हिसाब से देते हैं यह कहां का इंसाफ है, यह कहां की जम्हूरियत और डेमोक्रैसी है, यही सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी की रूपरेखा है ? एक तरफ डेमोक्रेसी का ढोल पीटा जाता है और दूसरी तरफ इस तरह की बात की जाती है ।

मैंने देखा है वन विभाग में ३१ मार्च को बेहिसाब खर्च किया जाता है । सामान खरीद लिया जाता है, पेमेंट हो जाता है, लेकिन सामान दो-दो साल तक पहुंचता नहीं । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जंगलों में वन उपज लेने के लिये रास्तों की बहुत जरूरत है । मेरे पास बहुत से डाकूमेंट हैं रास्तों की बाबत । देर में ग्रांट मिलने के कारण जल्दी-जल्दी में बनी सड़कें बेकार साबित हो रही हैं रुपया उनके लिये साल ब साल लिया जाता है लेकिन वह लैप्स हो जाता है और वे बनते भी नहीं । पारसा दौड़म मोटर के नजदीक एक सड़क बनी । इतनी खराब बनी कि अब दुबारा टेण्डर मांगे गये हैं और ८ हजार रुपया खर्च किया जा रहा है । पारसाल की अदायगी न करने के बाबत मैंने बहुत कहा कि खराब काम के लिये पेमेन्ट न कीजिए लेकिन सम्बन्धित अधिकारी ने जमानत तक वापस कर दी । ये बन अधिकारी तो वहां के जंगलों के राजा कहे जाते हैं । मंत्री जी कहते हैं रोजिन, टरपेंटाइन और दियासलाई के लिये फैक्ट्री वालों को हम मदद दे रहे हैं । यह मैं मानता हूं । लेकिन सहारनपुर के लिये सरकार को इतनी सारी लकड़ी सस्ते दाम पर देनी पड़ती है और उनको कमीशन देना पड़ता है क्यों नहीं वहीं पर पल्प बनाया जाता है जिससे ज्यादा देना न पड़े । इससे एक तो कार्टेज घट जायगा और दूसरे २२ लाख आदमियों को मदद मिल जायगी ।

कत्थे के १६ हजार पेड़ बरेली की कम्पनी को दिये गये थे । उससे ३० लाख रुपये के करीब कम आया । उसके बाद १० हजार पेड़ों में कितना नुकसान हुआ, इसका कोई हिसाब अभी तक एकाउन्टेंट जनरल तक को नहीं दिया गया है । ४५ सौ पेड़ों की कीमत दी गयी । ११३ रुपये फी पेड़ के हिसाब से दिये गये जब कि २४३ रुपये की दर पर दिये जाते और इस प्रकार से ५ लाख रुपये का नुकसान हुआ ।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

इसलिये सारी नीति में रिआर्गनाईजेशन की आवश्यकता है। हमारे यहां जंगलात में हक भी दिया है तो १० मील दूर पर वह भी जहां यातायात के साधन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह जरूरी है कि वक्त पर ग्रान्ट मिल जाय, वक्त पर सड़क बन जाय। पहाड़ के यहां पर १२ एम० एल० ए० और ३ एम० एल० सी० हैं। उन सब के कहने के बावजूद भी यह गड़बड़ी हो रही है। अगर आप हमारी नहीं मानते हैं तो उन लोगों की तो मानिये जो आपकी तरफ के साथी हैं, जिन्होंने आपको मिनिस्टर बनाया है। अगर उन पर भी आपका यकीन नहीं तो फिर बात ही क्या है।

श्री अध्यक्ष--यह नियम रहेगा कि जो भी कटौती के प्रस्ताव हैं उनके लिये यह मान लिया जायगा कि वे उपस्थित किये जा चुके हैं, उनके बारे में आप बहस कर सकते हैं लेकिन उत्तर केवल गोविन्दसिंह जी बिष्ट देंगे जिन्होंने पहला कटौती का प्रस्ताव रखा है। सातवां कटौती का प्रस्ताव श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह का है उसके बारे में ऐसा समझा जायगा कि वह उपस्थित नहीं किया गया, क्योंकि वह मौजूद नहीं हैं। बाकी के लिये यह समझा जायगा कि वे उपस्थित कर दिये गये हैं तथा उनके ऊपर भाषण किये जा सकते हैं।

[(१) श्री शिवप्रसाद नागर·· सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १ रुपया की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। प्राइवेट फारेस्ट की बर्बादी तथा उस पर प्रतिबन्ध होने से ग्रामीण जनता को कष्ट।

(२) श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह,
श्री कुंवर श्रीपालसिंह,
श्री वीरेन्द्रशाह,
श्री शिवशंकरसिंह,
श्री बलदेवसिंह,
श्री प्रतापभानुप्रकाशसिंह,
श्री प्रतापबहादुरसिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है जो निजी वन सरकार में निहित हुये हैं उनके रख-रखाव तथा उन्हें ग्राम समाज में दिये जाने का सुझाव देना।

(३) श्री नारायणदत्त तिवारी सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। कुमायूं डिवीजन के कश्तकारों को नियमानुसार हक-हकूक न दिया जाना।

(४) श्री हरिदत्त कांडपाल सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है। पर्वतीय जिलों में जनता को घास, चारे पानी की असुविधा।]

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने जो ग्रान्ट रखी है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि आज जो वन की नीति है वह फारेस्ट मैन्युअल की धारा ११० के विरुद्ध है, वह प्लानिंग कमीशन के खिलाफ है और जिस जनतंत्र के नाम से हम लोगों को गौरवान्वित होना चहिये उसके भी वह खिलाफ

[ ] यह कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये परन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन में प्रस्तुत किये गये माने गये।

है। फारेस्ट मैन्युअल की धारा ११० में साफ तौर पर और धारा १६,५ और २ में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि फारेस्ट की आमदनी को बढ़ाते समय यह देख लिया जाय कि वहां के लोगों की क्या जरूरत है और उनके क्या अधिकार हैं। क्योंकि आज फारेस्ट डिपार्टमेंट की नीति उसके खिलाफ है इसलिये गरीब जनता यह कहने लगी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राज्य तो जरूर है लेकिन एक दूसरा राज्य फारेस्ट डिपार्टमेंट का भी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि तमाम शिकायतें की गयीं, कुमायूं फारेस्ट कमेटी ने और फारेस्ट बोर्ड ने जो सिफारिशें कीं उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है और फारेस्ट ग्रिवांसेज जैसी उत्तरदायित्वपूर्ण कमेटी जो बनी उसकी किसी सिफारिश को भी नहीं माना जा रहा है। मान्यवर, यही नहीं माननीय मंत्री जी ने १६ फरवरी को इसी आदरणीय सदन में यह कहा था। कि हमारा इरादा यह नहीं है कि हम कुछ लोगों के अधिकारों को लें। उन्होंने यह जरूर कहा था कि जनता के जो पुराने अधिकार हैं वह हम उसे देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करना चहता हूं कि अगर वे अपने विभाग द्वारा प्रत्येक गांव के आंकड़े इकट्ठे करें तो उनको मालूम होगा कि जिस गांव में पहले, आज से ५ साल, १० साल पहले १०० किसान रहते थे वहां अब ५०० रहते हैं। माननीय मंत्री जी के ही शब्दों में यदि १०० आदमियों के लिये जो सुविधायें थीं आज से ५, १० साल पहले वही आप उनको दें भी तो उससे स्थिति कैसे सुधर सकती है। जलाने की लकड़ी, चरागाह, पानी आदि की सुविधा जो पहले थी वह तो आप देने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पालिसी में भी संशोधन करना पड़ेगा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज से ५, १० साल पहले वहां की क्या आबादी थी और अब क्या है।

मान्यवर, वन विभाग जो है यह प्राफिट वाला विभाग बन गया है जिसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। जिस समय हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था, दूसरों के हाथ में हुकूमत थी उस समय सन् १९४६–४७ में आमदनी १,८१,७३,००० रुपये थी जो बढ़ कर सन् १९५५–५६ में ३,९५,७२,००० रुपये १९५६–५७ में ५,३०,८१,००० रुपये १९५७–५८ में ५,३५,१९,००० रु० और १९५८–५९ में ५,३९,९१,६००.रुपये हो गयी। जहां पर माननीय मंत्री जी का यह दावा है और वे कहते हैं कि यहां पर २० फीसदी जंगल होने चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें जिसमें यह कहा गया है कि ३० फीसदी जंगल होने चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने ५ वर्ष में क्या किया है? मैं समझता हूं कि ३ परसेंट से कुछ प्वाइंट ऊपर जंगलात में वृद्धि हुई है यानी ४ परसेंट भी पूरी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन आमदनी बढ़ती जाती है। उसके बाद जब कहा जाता है माननीय मंत्री जी से कि गरीबों को जलाने की लकड़ी का हक दिया जाय, नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल में कोयले का दाम कम किया जाय तो कहा जाता है कि इससे बड़ा नुकसान हो जायगा। मान्यवर, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में भी हमारी आमदनी को देखा जाय कि वह क्या है। आसाम की आमदनी ५८,३३,००० रुपये, बिहार की आमदनी ६७,१६,००० रु०, मद्रास की आमदनी १,५८,१३,००० रु०, उड़ीसा की आमदनी ९७,०१,००० रुपये, पंजाब की आमदनी ४९,१८,००० रुपये और पश्चिमी बंगाल की आमदनी ४७,०२,००० रुपये है। इससे मालूम होता है कि सिवाय मद्रास को छोड़ कर और किसी दूसरे प्रान्त की आमदनी करोड़ में नहीं है। फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए भी, जनता की मांगों पर ध्यान न देते हुए भी आमदनी धड़ाधड़ बढ़ाती चली जा रही है। कुमायूं में सब से ज्यादा जंगल यानी ४७ लाख एकड़ जमीन में है जब कि सारे प्रदेश में बिना जंगल वाली जमीन ५९८·२ लाख एकड़ से अधिक है और जंगल वाली ५६·६ लाख एकड़ है। (इसमें कुमायूं शामिल नहीं है।) तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर, देवरिया आदि जिले हैं उनको जंगल लगाने का हक नहीं है? प्लानिंग कमीशन की तो यह सिफारिश है कि जहां बाढ़ ज्यादा आती है वहां जंगल लगाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

[श्री प्रतापसिंह]

माननीय मंत्री जी ने फारेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बहुत कुछ कहा । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लीसा वगैरह के जरिये हम वहां के लोगों को सुविधायें दे रहे हैं । मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिखा है कि वहां के जो फारेस्ट प्रोड्यूस हैं उनकी वहां काटेज इंडस्ट्रीज बनें, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी काटेज इंडस्ट्रीज बनीं ? जो वहां पर ठेके हैं वे बड़े-बड़े ठेकेदारों को दिये जाते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पेज ११० में लिखा है कि मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटीज को ठेका देना चाहिये, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य नहीं है कि बड़े बड़े ठेकेदारों की तिजोरियां भरें, लेकिन कथनी और करनी में कितना अन्तर है वह माननीय मोहनसिंह मेहता के प्रश्न से प्रत्यक्ष है । अगर हम लोग कोई प्रश्न करते हैं तो कहा जाता है कि ये तो आलोचना करते ही हैं । लेकिन आपके द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जो सुझाव आते हैं उनका वे स्वागत करते हैं, क्योंकि वे सुधारवादी होते हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुये दुःख होता है कि पिछले साल जो बातें कही गयी थीं, जो सुझाव दिये गये थे उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । हो सकता है कि इस विभाग के जो मुख्य अरण्यपाल हैं वे मंत्री जी के आदेशों को पालन न करते हों, लेकिन मेरा कहना तो यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो पद्धति है जिसका हम अनुसरण करते हैं उसके अनुसार अगर किसी विभाग में कोई खराबी होती है तो सारी जिम्मेदारी मिनिस्टर में निहित होती है । चीफ कंजरवेटर या कंजरवेटर इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं । मिनिस्टर जिम्मेदार हैं ।

इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह क्या कारण है कि मुख्य मंत्री और जगमोहन सिंह नेगी के खिलाफ कोई शिकायती-पत्र नहीं आया और फारेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ ही शिकायती-पत्र आया । इसी प्रकार नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्णचन्द्र तिवारी ने माननीय गोविन्द वल्लभ पंत जी को पकड़ा और कहा कि अली जहीर साहब से कह कर फारेस्ट डिपार्टमेंट में जो खराबियां हैं उनको दूर करवा दें ।

यह ठीक है कि माननीय मंत्री बहुत सीधे-सादे और सरल हैं, लेकिन इस प्रकार उनको जानना चाहिये कि शासन नहीं चला करता है । हमारी यह मांग है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट का रिआर्गनाइजेशन होना चाहिये । एक हाई पावर कमेटी की स्थापना होनी चाहिये जिससे विभाग के अन्दर जितनी खराबियां हों उन पर प्रकाश पड़ सके । फारेस्ट प्रोड्यूस से इंडस्ट्रीज कायम करने की बात कही जाती है, लेकिन गढ़वाल में एक इंडस्ट्री है । ६ महीने से उसे सामान नहीं मिल पाया है । वह नहीं चल पाई । मेरा कहना तो यह है कि स्टेट फारेस्ट बोर्ड की स्थापना हो कुमायूं डेवलपमेंट बोर्ड के साथ-साथ, जिसके लिये कि बजट में रुपया तक रखा जाता है । १९५१ में हर गोविन्द सिंह कमेटी बैठी थी जिसने यह सिफारिश की थी कि जो आमदनी फारेस्ट से होती है उसका १/४ हिस्सा वहां के डेवलपमेंट के लिये मिलना चाहिये ।

मैं अधिक न कह कर माननीय अली जहीर साहब से दरख्वास्त करूंगा जोरदार शब्दों में कि मैं फारेस्ट डिपार्टमेंट की नीति का विरोध करता हूं और वहां की २२ लाख जनता इसका विरोध करेगी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और जिसमें से कुछ इधर और कुछ उधर बैठे हुये हैं जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे ।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर । मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने कट मोशन दिया था लेकिन वह आया नहीं ।

श्री अध्यक्ष---देख कर बतला दिया जायगा । अभी पहले कांडपाल जी का कटमोशन है । वह बोलेंगे ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपोजीशन के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर जिन्होंने कि ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हम जंगलात के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकें ।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े गौर से मंत्री जी का भाषण सुना और उनके साथ में इत्तफाक करता हूं जो उन्होंने कहा कि जंगलों की जरूरत है और उनकी आवश्यकता है । जंगल बढ़ने चाहिये और सरसब्ज रहने चाहिये और उनकी तादाद भी बढ़नी चाहिये,इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । हमने कभी यह मांग नहीं की कि जंगल काटे जांय और उल्टे हमारी यह शिकायत है कि जंगल अंधाधुंध कटे । जंगल काटे हैं सरकार ने, जनता ने नहीं । उसने तो उनको पनपाया है । मंत्री जी इस बात की जांच करवायें कि कुमायूं में जहां फारेस्ट पंचायतों का सिलसिला चला है उसमें कितने जंगलों को लगाया और वे सरसब्ज हैं, ऐसे पर्वत जो नंगे थे वह आज हरे भरे हैं । तो यह कहना कि जनता ने जंगल काटे ऐसा नहीं है । फारेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक वर्किंग प्लान है उसी के मुताबिक जंगल काटे जा सकते हैं । अगर आज जंगल विभाग की तरफ से यह शिकायत की जाय कि जंगल कट गये तो कोयले के दाम बढ़ गये यह एक बेहूदी बात मालूम पड़ती है । यह बात तो उल्टे उन्हीं पर लागू होती है कि वह आज तक कहां सोते रहे और वर्किंग प्लान के मुताबिक काम क्यों नहीं किया जंगलात विभाग ने जिससे जंगल कम न हो पाते ?

अब मैं मंत्री जी का ध्यान स्टार पेपर मिल की तरफ ले जाना चाहता हूं । इस मिल की सैकड़ों गाड़ियां कुमायूं की सड़कों से होती हुई जो लकड़ी ले जाती हैं,जिसको गांव वाले जलाते, तो वहां की जनता यह अनुभव करती है कि यह गाड़ियां उसकी छाती पर चल रही हैं । मंत्री जी ने सवाल के जवाब में आज कहा कि स्टार पेपर मिल की कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है । मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक सज्जन ने पहली चिट्ठी २० दिसम्बर को और फिर रिमाइन्डर २२ जनवरी को भेजा है, जिसमें यह शिकायत है कि यह मिल जिस इंडस्ट्री के नाम पर लकड़ी लेती है उसका कहीं पता ही नहीं है, वह मिल अभी तैयार ही नहीं है, जिस पल्प को बनाने के लिये ऐक्सपेरीमेंटल बेसिस पर इसको लकड़ी एक आना क्यूबिक फिट के हिसाब से दी जाती है वह लकड़ी आगरा और कलकत्ता के बाजार में बिक रही है । राष्ट्रपति की यह नीति रही है कि जंगल के अंचल में रहने वालों के लिये लकड़ी पहले मिलनी चाहिये, उनका खयाल पहले होना चाहिये और स्टेट के रेवेन्यू का खयाल बाद में होगा, लेकिन इसका उलटा होता है । इतनी सस्ती लकड़ी देने से जो जनता में असंतोष और तकलीफ है उसका कोई हिसाब नहीं है । लकड़ी और कोयले की कमी के सम्बन्ध में सरकार का पिछले दिनों एक बयान निकला, मुझे ताज्जुब हुआ कि यह क्या सरकारी बयान है, और उसको सरकार का प्रेस नोट कहा गया, उसमें जो कुछ लिखा था वह लकड़ी और कोयले की कमी के बाबत लिखा गया था । रानीखेत मेरी कांस्टीटुएन्सी में पड़ता है । वहां लोगों में त्राहि-त्राहि मची है । हमारे मंत्री जी ने सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर इत्मीनान किया और कागजी रिपोर्ट पर एतबार किया । मैं थोड़ी नाराजगी भी जाहिर करता हूं कि इस प्रश्न पर प्रतिनिधियों की बात पर एतबार न करके सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास किया गया । इस हद तक सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास करना यह हमें कहां ले जायेगा ।

दूसरे सोशलिस्टिक पैटर्न का नाम लिया जाता है । यह कहा जाता है कि कांग्रेस सोशलिज्म बनायेगी । फारेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में मंत्री महोदय का कहना है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज का यह स्रोत है । इनके सोशलिज्म की मैं चर्चा कर दूं कि कोटद्वारा, हल्द्वानी और रामनगर में लकड़ी के डिपो खुले हुये हैं, जलाने की लकड़ी के और समाजीकरण हुआ है लकड़हारों का । जो लोग लकड़ी बेच कर अपने पेट की ज्वाला बुझाते थे उनके लिये हुक्म हुआ कि अमुक मात्रा से ज्यादा लकड़ी नहीं ले सकते हो और उसकी लकड़ी को डिपार्टमेंट के डिपो में रक्खेंगे और तब डिपार्टमेंट बेचेगा । यह सोशलिज्म हुआ । माननीय गोविन्दसिंह ने चर्चा की खैर के पेड़ों के बारे में । उसके बारे में आडिट रिपोर्ट ५८ के पार्ट १ में चर्चा है ।

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

साथ ही मैं उद्योग की बाबत भी चर्चा करना चाहता हूं । हमारे कुमायूं में कोई ऐसी चीज है फलने-फूलने की तो केवल एक वन सम्पत्ति ही ऐसी है जिससे वहां के लोग स्वावलंबी हो सकें । हमारे यहां नार्वे की जैसी हालत है । वह भी जंगल पर आधारित है । उनका स्टैंडर्ड आज बहुत अच्छा है । वहां पर जितनी फारेस्ट के भीतर इंडस्ट्रीज चलती हैं वह काटेज इंडस्ट्रीज या कोआपरेटिव्ज के रूप में चलती हैं । तो इसके प्रति विभाग ने जो सौतेला व्यवहार अपनाया है वह निन्दनीय है ।

अल्मोड़ा जिले का जो सहकारी संघ है, मैं उसका वाइस प्रेसीडेंट हूं । उसने लीसे के लिये कहा । मंत्री जी का जवाब सुनकर अचम्भा हुआ । मंत्री जी ने कहा कि सरकारी फैक्टरी को नुकसान न हो इसलिये कोआपरेटिव सोसाइटी को तरजीह नहीं दे सकते ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, इस ग्रान्ट के लिये आधा घन्टा का समय और बढ़ा दिया जाय चूंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता---यह पहले तय हो चुका है और समय निश्चित हो चुका है । और भी अनुदान हैं जिन पर विचार करना है । (वित्त मंत्री से) माननीय मंत्री जी सहमत हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---दो घंटे तय हुये हैं । वह बिलकुल ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता---जिन माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव हैं, जिन विषयों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है उन्हीं पर वे अपने भाषणों में सीमित रहें और उससे आगे वह न जायं ।

श्री खुशीराम---श्रीमन्, मैंने एक कटौती का प्रस्ताव दिया था वह नहीं आया है । क्या कारण है ?

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य नियमों को पढ़ लें । उसके अनुसार आपका प्रस्ताव नहीं आ सकता । वह वेग है । आपने लिखा है कि "सुझाव देना और आलोचना करना" इसलिये आपका प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, बजट के सम्बन्ध में समय का निर्धारण तो अपोजीशन करता है । जब अपोजीशन एक राय से यह रखता है तो अब आप क्यों सरकार की राय से उसको समय नहीं देते ?

श्री अधिष्ठाता---तिवारी जी, आपने प्रश्न अब बहुत देर में उठाया । वह प्रश्न तय हो चुका है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वनों के महत्व का बहुत बड़ा विशद वर्णन किया है । इस मामले में एक बात उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जहां वनों की रक्षा, उत्पादन और प्रगति के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही गयी हैं वहां इस बात के लिये ध्यान नहीं दिया गया है कि जो प्राइवेट फारेस्ट्स जमींदारी अबालिशन के बाद ले लिये गये हैं उनका क्या हाल है ? न ठीक से चार्ज उनका लिया गया और न वन विभाग को ठीक प्रकार से सौंपा गया । नतीजा यह है कि जितने दरख्त उसमें उस समय पाये गये थे उससे अब वह फारेस्ट १ आना भर रह गया है । क्या हुआ ? हुआ यह कि अधिकारियों ने इस तरह से चुरा-चुरा कर उनकी लकड़ियों को बेंचा जिससे यह मालूम होता था कि शायद इनके बुजुर्गों ने इनके लिये ही जंगल लगाकर छोड़ दिया था । वह सरकारी सम्पत्ति तो बनी, लेकिन केवल उन अधिकारियों की सम्पत्ति बन गयी जिनके कब्जे में वह दी गयी ।

मैं आपका ध्यान लखीमपुर फारेस्ट के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं । जब प्राइवेट फारेस्ट वहां लगाये गये थे तो वहां सैकड़ों और हजारों दरख्त कत्थे के थे । लेकिन आज ५०

फीसदी दरख्त ठूंठ रह गये हैं और बाकी सब चोरी चले गये । मुकदमे चलवाये किस तरह से और किस तरह से षडयंत्र रचे गये माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी कराना चाहता हूं । प्राइवेट फारेस्ट में कत्थे की भट्ठियां लगा दी गयीं और उन पर कत्था बनता रहा और जब वह बनकर तैयार हो गया तो सैकड़ों बोरे निकल कर बाहर चला गया और जब एक या दो बोरे रह गये तो फारेस्ट के अधिकारी जंगल में जाते हैं और उनको पकड़कर उनका वहां चालान करते हैं । वही चोर हैं और वही फैसला देने वाले हैं । उन्हीं के आदमी भट्ठी लगाते हैं और उन्हीं के आदमी दरख्त काटते हैं । जब कत्था बेचा जाता है तब वही अधिकारी बेंचने वाले हैं और स्वयं ही दो एक बोरियों के लिये उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर देते हैं । जब वह अदालत में जाते हैं तो अगर लखीमपुर की अदालत में पता लगाया जाय तो सारे के सारे जितने फारेस्ट के मुकदमे थे छूट गये, क्योंकि जो चोर हैं वही मुकदमा चालान करने वाले हैं । वही मुलजिम थे और वही मुलजिम पकड़ने वाले थे इसलिये उस पर कोई तवज्जह नहीं की गयी । इसलिये मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि सी० आई० डी० लगाकर या किसी और सोर्स से लखीमपुर के फारेस्ट के बारे में इस बात की जांच करा ली जाय कि कितने दरख्त कटे, कितना कत्था बेंचा गया और कितने मुकदमे चलाये गये और कितने मुकदमे छूट गये । सेंट परसेंट मुकदमें छूट गये । इसलिये कि उसमें पैरवी नहीं की गयी फारेस्ट अधिकारियों द्वारा ।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राइवेट फारेस्टों में जहां पर दरख्त कटते चले जाते हैं उनका न कोई छपान है न कोई गिनती है । प्लान्टेशन की कोई योजना नहीं है । प्राइवेट फारेस्ट जहां-जहां पर थे वह बड़ी उपजाऊ जमीन थी, वह वास्तव में वन के योग्य थी, लेकिन वहां से सब दरख्त कटते चले जा रहे हैं । ठूंठ रह जाते हैं, उनमें अपने आप शाखें फूटती हैं और कद्दे आदम शाखें खड़ी हो जाती हैं । जब कोई जाता है तो दूर से दरख्त दिखला दिये जाते हैं । इस सम्बन्ध में एक मुकदमा चला था तो एक जज साहब, अग्रवाल साहब ने प्राइवेट फारेस्ट में मौके पर जाकर दरख्त देखे और उनको मालूम हुआ कि हजारों दरख्त काट लिये गये हैं और कोई पता निशान नहीं लगता है । तो इसकी जांच करायी जाय ।

हमारे जिले में जो प्लान्टेशन कराया जा रहा है वह उस जगह पर कराया जा रहा है जहां पर हजारों वर्षों से कभी दरख्त नहीं जमा, जहां पर कुदरत ने कभी जमने की इजाजत नहीं दी । वहां पर चारों तरफ सैकड़ों मील तक जंगल है और बीच में १०–५ मील का टुकड़ा है । ऐसी बंजर जगह पर कभी कोई दरख्त नहीं जमा । वहां पर ट्रैक्टर चलाये जा रहे हैं, मशीनें चलायी जा रही हैं । ऐसी-ऐसी मशीनें वहां पर पड़ी हैं जो अब तक इस्तेमाल में नहीं आयीं, जिनकी पेटियां भी नहीं खोली गयीं । पता नहीं, कहां से विलायत से आई हैं और फारेन एक्सचेंज में कितना खर्चा हुआ होगा, लेकिन आज दुधुआ के प्लांटेशन में बेखुली पड़ी हुई हैं । डी० एफ० ओ० जानते नहीं कि उनका इस्तेमाल किस तरह से होगा । करोड़ों रुपया इस प्रकार से बरबाद हुआ है ।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं कि फारेस्ट की कौन-सी मशीनें हैं जिनके लिये वह सवाल है ?

श्री शिवप्रसाद नागर---तमाम मशीनें हैं, हैरोइन के लिए, प्लाविंग के लिए इत्यादि । मैंने अपनी आंखों से देखा है । माननीय गुप्ता जी गये थे, मैं उस समय कांग्रेस में था, २०० कांग्रेसी थे और ३४ मोटरें साथ में थीं । सबने देखा, मैं भी बदकिस्मती से मौजूद था । मंत्री जी तो शिकार में जाया करते हैं । मेरे साथ चलें, मैं आप को शिकार खिलाऊंगा, आपकी मेहमान निवाजी करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---आप मंत्री जी को सम्बोधित न करें, चेयर को करें ।

श्री शिवप्रसाद नागर---आप ही के द्वारा मैं कह रहा था, श्रीमन् ।

श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, आप जो कह रहे हैं कि मशीनें बेकार पड़ी हैं तो सवाल यह है कि बन विभाग से उनसे क्या वास्ता है ?

श्री अधिष्ठाता--आप अपने जवाब में यह सब कह दीजियेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर--तो मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह मशीनें वहां पड़ी हैं। मेरा ऐसा विचार है कि प्राइवेट फारेस्टों को जुतवा कर उनमें फिर से प्लांटेशन कराया जाय तो प्लांटेशन कामयाब होगा, लेकिन सरकारी जंगलों में प्लांटेशन इंटेंसिव हो रहा है। किनारे-किनारे जितनी जमीनें थीं उनके किसानों पर ऐसी दैवी आपत्ति आ गई है, जो कि प्राइवेट फारेस्ट के किनारे के किसान थे कि जैसे वह एक नादिरशाही हुकूमत के पल्ले पड़ गये हैं। अभी गोविन्द सिंह जी ने बतलाया कि स्टार पेपर मिल को १ आने घन फुट के हिसाब से लकड़ी मिल गयी जिसकी कीमत सवा ३१ रुपया हुई लेकिन उसका भाव १० रुपया घन फुट है। इस प्रकार से २ करोड़ रुपये के करीब सम्पति दे दी गयी। १, ४५ लाख सोडा फैक्टरी को दे दिया। क्यों नहीं लोन देते हैं ? मार्टिन बर्न कम्पनी को भी १ करोड़ रुपया दे दिया गया। तो क्या इसमें आपको परेशानी होती है कि पेपर मिल को भी आप लोन दें ? यह १ आना घन फुट क्या दान दिया गया है ?

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर आज विशेष रूप से दो घंटे इसको देना स्वीकार किया और मुझे आशा है कि वे १५ मिनट या आधा घंटा और देने की कृपा करेंगे ताकि और सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें। श्रीमन्, यह जो आज विशेष रूप से हमने विवाद की मांग की वह इसलिये कि माननीय मंत्री जी कम से कम वन विभाग के लिये अधिक समय दिया करें।

श्री सैयद अली जहीर--मेरे डिपार्टमेंट्स के लिये दो दिन दिये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं बजट विवाद के लिये नहीं कहता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि मंत्री होने के नाते आप ज्यादा समय डिवोट करें।

श्री अधिष्ठाता--आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--फारेस्ट डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में जो सुझाव उन्हें समय-समय पर दिये जाते हैं वे ठीक प्रकार कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं इस बात पर वे अधिक ध्यान दें। आज अगर इतनी शिकायतें उनके पास लगातार पहुंच रही हैं, आज अगर कुमायूं के जन प्रतिनिधि उनको हर जगह परेशान कर रहे हैं, पत्रों की छानबीन उनके पास पहुंच रही है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इस बात पर अगर वे ध्यान दें तो मैं समझता हूं आज का विवाद सार्थक होगा।

वास्तव में सरकार की वन नीति इस दृष्टिकोण को लेकर है कि जंगलों के किनारे जो रहने वाले हैं, जो जंगलों की रक्षा करते हैं--श्रीमन्, आपको शायद ध्यान हो कि ये नियम में लिखा हुआ है कि अगर जंगलात में कहीं आग लग जाय तो भारतीय संविधान के खिलाफ आज भी यह कम्पल-सरी है कि वे आग बुझाने के लिये फौरन आयें। हर गांव के प्रधान, पटवारी आदि के लिये यह लाजिमी है कि एक बेगार के तरीके से वे आग बुझाने जरूर पहुंचें। ऐसी हालत में सरकार के लिये भी यह लाजिमी है कि जो जंगल के रक्षक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा भी हो सके। पिछले डेढ़-दो वर्षों से जितने भी सरकारी आदेश हैं वहां के लोगों को सुविधा देने के लिये, चाहे वह शहरों में लकड़ी और कोयला देने के बारे में हों, चाहे तराई भावर में परमिट के जरिये से ३ फुट से कम लकड़ी देने के बारे में हों, हर जी० ओ० को रिव्यू किया गया। आखिर क्या ऐसी जरूरत पिछले डेढ़-दो सालों में आ पड़ी कि उन सब को रिव्यू किया जाय ? सब एक मत हैं कि जनता आज परेशान है। मैं मिसाल के लिये उदाहरण देना चाहता हूं कि नैनीताल, अल्मोड़ा और तराई के रहने वालों से कहा जाता है कि इमारती लकड़ी का कन्सेशन जो तुमको मिला है

वह जून तक तुम उठा सकते हो, बाद में नहीं । जून में अगर लकड़ी उठा लें और जाड़ों में बनवायें तो रखें कहां । और अगर जून में न उठायें तो फिर अगले साल जाड़ों तक इन्तजार करें यह कहां का नियम है ? दूसरी बात यह कि ३ फुट से नीचे की लकड़ी फ्री थी, कोई भी काट सकता था लेकिन अब उसके भी नियम बना दिये गये हैं । हर आदमी पहले ग्राम सभा का एक सिफारिशी पत्र लाये फिर तहसीलदार से लिखाये, उसके बाद रेन्जर के यहां पहुंचे, वह परमिट इश्यू करे, फिर जंगल में जाये और फारेस्ट गार्ड से मुहर लगवाये तब जाकर लकड़ी ले । तो यह चार जगह का प्रतिबन्ध लगा दिया गया । अभी मैंने एक प्रश्न किया जंगल के डिपो के बारे में । पहले तो कोई भी अपनी लकड़ी वहां खरीद सकता था । अब ढाई, तीन मील बाहर डिपो बना दिया गया है जहां खरीदने वाला भी जाय और बेचने वाला भी जाय । यह भी डेढ़ साल की ईजाद है । मेरा निवेदन संक्षेप में यह है कि इस बारे में मंत्री जी को निश्चय करना चाहिये जो पिछले डेढ़ दो साल के अन्दर जंगलात विभाग ने प्रदेश भर में जनता के हुकूक कम किये हैं, उनकी आवश्यकता थी या नहीं । जिस जनता से उम्मीद की जाती है कि वह जंगलात की रक्षा करे उसके हुकूक क्यों कम किये जांय ? आपने देखा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने फैंसिंग के लिये दो लाख रुपये मंजूर कराये । वहां के काश्तकारों के खेत जंगलों के किनारे हैं तो उनको फैंसिंग करना जरूरी है अन्यथा उनका उत्पादन कुछ नहीं होगा और उनके खेतों की रक्षा नहीं हो सकती है तो काश्तकार फैंसिंग के लिये लकड़ी की तथा सीमेंट की मांग करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिया जाता है । अब वह क्या करे क्या अपने सारे खेत उजड़ जाने दें ? फारेस्ट डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट के उद्देश्य एक दूसरे के बिलकुल विपरीत है । प्लानिंग विभाग कहता है कि अधिक अन्न उपजाओ और फारेस्ट डिपार्टमेंट उसका उल्टा करता है कि उनके खेत बरबाद हो जायं । तो मेरा कहना यह है कि कहीं तो समन्वय होना चाहिये, कहीं तो सामन्जस्य होना चाहिये ।

जब तक फारेस्ट डिपार्टमेंट को कामर्शियल डिपार्टमेंट समझा जायगा तब तक उसका डिप्रेशन होगा । हर साल आमदनी के बढ़ाने का मोटिव नहीं होना चाहिये । पहले आप दो तीन साल के लिये आमदनी को करटेल कीजिये और प्लान्टेशन पर धन लगाइये । इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता लेकिन यदि किसी भूमिहीन ने एक नाली बना ली है तो उसका प्रासीक्यूशन होता है । इसी तरह से नानकसागर में बहुत-सी फारेस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया गया ।

दूसरे हरगोविन्द सिंह कमेटी ने कहा था कि जंगलों की जो आमदनी है उसका एक चौथाई भाग ग्राम सभाओं और जिला परिषदों को दिया जाय ताकि वह समझ सकें कि जंगलों की आमदनी में हमारा भी हिस्सा है । वर्षों से यह विचाराधीन है और पता नहीं कब तक विचाराधीन रहेगा । श्रीमन्, अगर वह चाहते हैं कि जनता का यह शान्तिमय और प्रजातांत्रिक आन्दोलन शान्त हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि वह इस संबंध में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की एक मीटिंग बुलायें और २–३ महीने में सारे मसलों को तय करें अन्यथा जनता को पूरा अधिकार होगा कि वह इसको और उग्ररूप दे सके ।

श्री अधिष्ठाता——मैं समझता हूं कि बोलने वाले सदस्य काफी हैं और समय बहुत कम है इसलिये यदि ५ मिनट का समय कर दिया जाय तो काफी सदस्य बोल सकते हैं । २–२५ पर यह अनुदान समाप्त हो जायगा और मंत्री जी भी १५–२० मिनट लेंगे । इसलिये ५ मिनट का समय प्रत्येक सदस्य के बोलने के लिये कर दिया जाय । मैं समझता हूं सदन सहमत है । अतः ५ मिनट समय तय हुआ ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)——अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग के विषय में जो अनुदान है मैं उसका स्वागत करती हूं । इसलिये नहीं कि मेरी कोई इससे शिकायत नहीं है बल्कि इससे पर्वतीय जनता का घनिष्ट संबंध है इसलिये वनों का ऐसा प्रबंध होना चाहिये जिससे प्रदेश की जनता का कल्याण हो सके । मैं कहती हूं कि वन मनुष्य के लिये हैं,

[श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन]

मनुष्य वन के लिये नहीं है। मेरा मतलब यह है कि हमारी कुमायूं कमिश्नरी के वनों से सरकार को इतना लाभ है लेकिन जो हमारी गरीब जनता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे वहां जंगलों का महत्व है वैसी स्थानीय जनता को सुविधा नहीं है। पहले समय में जबकि सरकार ने इमारती लकड़ी का कोटा रखा था तब से जैसा कि भाई प्रतापसिंह जी ने कहा इतनी जन संख्या बढ़ गयी है लेकिन लकड़ी का कोटा वहीं है जो कि पहले था। उसको अधिक किया जाना चाहिये। सरकार की ओर से जंगल बढ़ाने के बहुत से कार्य किये जा रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूं कि जो सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे मरघट, पनघट और चरागाह, वहीं पर पौधे लगाये जाते हैं। ऐसी जगह बनों से घेरना अनुचित है।

सरकार की ओर से कार्य किये जाते है, लेकिन वन के अधिकारी जनता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जैसी जनता की सुविधा होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। इमारती लकड़ी के कोटे के लिए एक सर्वे करवाया जाय ताकि आबादी के मुताबिक कोटा निर्धारित किया जा सके और तब तक वहां के लोगों के लिए वहीं डिपो खुल जायं और उनको दूर लकड़ी लेने न जाना पड़े। तभी जनता खुश हो सकती है, जब उसको सुविधा होगी। जब तक वहां पर डिपो न खुलें तब तक उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उनको जलाने और मकान की लकड़ी सरलता से मिल सके।

मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वह जंगलों में रहने वाले पशुओं की रक्षा के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन वन के पड़ोस में रहने वाली जो जनता है उसको ये जीव-जन्तु बहुत हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी उधर से किसी भाई ने कहा शेर वन का राजा कहलाता है, लेकिन वह आदमियों को चीर डालता है। मनुष्यों से अधिक प्रिय जानवर नहीं हैं। मनुष्यों की रक्षा होते हुए उन जानवरों की रक्षा की जाय जो मनुष्यों का रक्षण नहीं भक्षण करते हैं। आज तक जो भी कार्य हमारे यहां जंगलों के सिलसिले में हुआ है उससे जनता को कोई संतुष्टि नहीं है और हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन जो आगे कदम उठने वाला है उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता को उससे शान्ति मिलेगी और इससे जनता की कुछ हद तक भलाई होगी (जै हिन्द)।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय तो बहुत कम है लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दो-तीन बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वन बहुत अच्छी चीज है, इसको सभी लोग मानते हैं चाहे वह विरोधी पक्ष के हों चाहे सरकारी पक्ष के हों। लेकिन जो वहां की रहने वाली जनता है उसको जो सुविधायें पहले मिलती थीं, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी की निगाह उधर जाय। वन विभाग जब से आपके हाथ में आया है जनता की वह सब सुविधायें छिन गई हैं। जैसा कि अभी एक प्रश्न के उत्तर में भी यह आया था कि एक फैक्ट्री को २ आने मन पर चीड़ की लकड़ी दी जाती है और वहां के निवासियों को जो हमेशा से मुफ्त लकड़ी इस्तेमाल करते थे और घास इस्तेमाल करते थे, अपने पशुओं को वहां चराते थे, पानी पिलाते थे, वह जितनी सुविधायें उनकी थीं आज मन्त्री जी की वन नीति ने उनको उन सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको जो सुविधायें पहले हासिल थीं कम से कम वह सुविधायें तो मन्त्री जी दें। मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत से गांवों के किनारे तार के खम्भे लगाकर तार खींच दिये गए हैं ताकि उनके जानवर सोतों में पानी पीने न जा सकें। यह उचित बात नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो चीड़ के जंगल में कर्मचारी पहले रहते थे आज माननीय मन्त्री जी ने उन कर्मचारियों को साल और सागौन के जंगलों में गोरखपुर की तरफ भेज दिया है और वहां के जो साल वगैरह के जंगलों के कर्मचारी थे जिनको चीड़ के बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कोई ज्ञान नहीं है उनको लाकर कुमायूं में भर दिया है। मैं चाहता हूं कि किसी जगह पर उसी तरह के कर्मचारी रखे जायं जिनको कि उसकी जानकारी हो, यह बहुत खास चीज है।

तीसरी बात, मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९५८ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने एक दिन एक सवाल किया था कि एक कत्था फैक्ट्री है, कृष्णा कत्था फैक्ट्री, हल्द्वानी। उसको माननीय मन्त्री जी ने कुछ पेड़ दिये थे सस्ते रेट पर। मैं कहता हूं कि ये जंगल इस स्टेट की प्रापर्टी हैं, उत्तर प्रदेश की ६–७ करोड़ जनता की सम्पत्ति हैं, आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में उसका इन्तजाम है, आपकी जिम्मेदारी है कि जनता की सम्पत्ति को आप ठीक से देखें, उसका नुकसान न हो और वह जनता की भलाई के काम में खर्च हो। उसको इतने सस्ते रेट पर दे दिया गया मान्यवर, कि करीब ५ लाख रुपये का नुकसान हो गया है, यह इसमें है। लेखपाल ने सरकार को आगाह किया है कि सरकार बताये इन सब बातों को। और एक बरेली की कम्पनी को १६ हजार पेड़ सस्ते दाम पर दिये गए जिसका नतीजा यह हुआ कि ३०,४२,००० रुपये का नुकसान हुआ।

लीसा का जिक्र माननीय मन्त्री जी ने किया है। लीसा भी एक कम्पनी को दिया है जिसमें ६१ हजार रुपये का नुकसान हुआ है। २३ हजार रुपये का एक नुकसान और हुआ है और तीन लीज अपनी तरफ से सरकार ने दिये हैं। उसमें ४९,३९५ रुपये का नुकसान हुआ है। यह सब कहने का मतलब यह है कि आपके हाथ में जिम्मेदारी है, आप जनता की सम्पत्ति की रखवाली कीजिए। आप देखिए कि आपके अफसरान कहीं अनुचित तरीके से तो उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

एक बात और कहनी है चकिया के जंगल के बारे में। चकिया में जब स्टेट थी महाराजा बनारस की तब वहां के लोगों को सहूलियत थी, मुफ्त लकड़ी उनको मिलती थी। लेकिन आज माननीय मन्त्री जी की तरफ से वहां पता नहीं कौन-सी नीति लगा दी गई है कि ३ आने पेड़ उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। वहीं एक जयश्री राजा और कौन रानी को ले जाकर के माननीय मन्त्री जी ने छोड़वाया है। उनके लिए घेरा बनवा दिया है। लेकिन वह उस घेरे को तोड़कर के गाय, बैल और जहां तक मुझे मालूम हुआ है तीन-चार आदमियों को भी खा गए हैं। जिनकी जमीन माननीय मन्त्री जी ने घेरा बनवाने के लिए ली है करीब ५००, ६०० एकड़ उनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इसको अपने मंत्रिमंडल में रखें और उन बेचारों को जिनकी जमीन लेकर रानी जयश्री को छोड़वाया है कम से कम उनको मुआवजा तो मिल जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से चाहता हूं कि वह इन बातों की तरफ ध्यान दें।

श्री मोहन सिंह मेहता (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, इस विवाद में सभी बातें माननीय सदस्यों ने कह दी हैं और ५ मिनट का समय सुनते ही घबराहट में बोलने वाला बोल भी अधिक नहीं पाता है। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मन्त्री जी को, १, २ सुझाव दे देना चाहता हूं। अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि अगर जंगलों को काट दिया जाय तो इरोजन हो जाता है, जमीन टूट जाती है। इस बात को हम भी मानते हैं। और हम जो पर्वतों के रहने वाले लोग हैं वह यदि जंगलों की हिफाजत नहीं करना चाहते हों तब भी अपने हक-हकूकों की रक्षा के लिये, अपनी जमीन की रक्षा करने के लिये जंगलों को नहीं काटते हैं। इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं

[श्री मोहन सिंह मेहता]

कि उनका विभाग जो पेड़ों की कटान कराता है, उससे कहीं ज्यादा इरोजन हो जाता है। मैं आपकी आज्ञा से एक विभाग की एक चिट्ठी इस सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं :

"The area under investigation is in forest land as shown in the rough site plan enclosed. This settlement is in a length of 800 ft. just from the top of the peak down to the bed of the river Ghangli. This instability as could be gathered from local enquiry, has recently cropped in a duration of six years which was due to abnormal felling of trees, by Forest Department. The trees rendering valuable services for checking up the reaction of the rains, were the only measures for strengthening the stability of the hills and as soon as deforestation took place, the part of land as such made naked was weakened and settlement thereafter continuously took place."

इन्होंने यह लिखा है कि ८०० फीट जमीन धंसती जा रही है। इसी वजह से यह कटान हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतों के निवासी सिर्फ अपने हक-हकूक की मांग करते हैं और उनकी जरूरत के लिये जो यह सरकार लकड़ी आदि आवश्यक वस्तुयें नहीं देती है यह कह कर कि जंगल कटने से जमीन धंस जाती है और टूट जाती है यह मुझे उचित नहीं मालूम होता है। अगर माननीय मन्त्री जी यह समझते हैं कि वे जंगल बहुत जरूरी हैं और उनमें आप हमारे हक ज्यादा नहीं देते तो आप इसका क्यों नहीं खयाल करते कि गवर्नमेंट की जो सहयोग की नीति है उस पर तो अमल करे। वहां जंगलों में जो काम होता है वह सहयोग समितियों को दिया जाय और अगर वह भी नहीं दिया जाता है तो फिर उसमें इस तरह की बात पैदा होती है। स्टार पेपर मिल के बारे में कही गई बातें मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। पहले कुछ वर्षों के लिये तराई भाबर में एक समिति को ठेका दिया गया। वन खंड का वह ठेका २३ हजार का था। उस भाग में शायद शहद भी सम्मिलित थी। जब देखा गया कि इस समिति को कुछ फायदा हो रहा है तो पता नहीं कि क्या बात थी दूसरे साल से उनके ऊपर ४० रुपये मन के हिसाब से रायल्टी लगा दी गई। जबकि शहद का कुछ खर्चे सहित ७० रु० मन का भाव था। यह भी उनसे कहा गया कि आग लगने का डर है इसलिये तुमको यह काम नहीं दिया जायगा। उन्होंने कहा कि हम शहद निकालने का काम सीखे हुये हैं और करते आये हैं लेकिन समिति की बात कोई नहीं सुनी गई। बहाना उनके लिये कर दिया गया यह उचित नहीं है। ऐसी बातें विभाग की ओर से होती हैं जो ज्यादती की बात है। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। यही मेरा सुझाव है।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मनुष्य के जीवन से जिस प्रकार पशुधन को अलग कर देने से इसकी आधी मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार हम पर्वतीय लोगों के पास से वन अलग कर देने से हमारी मृत्यु हो जायेगी और हम इसे पसन्द नहीं करेंगे कि इस प्रकार हमारी आधी मृत्यु हो, हम अपनी रक्षा और बचाव के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना चाहेंगे। पिछला इतिहास बतलाता है कि अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जितने भी सत्याग्रह कुमायूं में हुए, सन् १९२१ से १९४२ तक, उनमें सबसे पहला सत्याग्रह हमारा वन का सत्याग्रह था। आज इस हुकूमत के जमाने में वन के संबंध में जो नीति है वह बड़ी संहारात्मक है और उससे हम लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है जिसका ब्योरा दूसरे माननीय सदस्यों ने यहां पर दिया है। उदाहरण के लिये गांव के नजदीक तार लगा दिये गये हैं, उनके जलाशय और गोचर बन्द कर दिये गये हैं, इस नाम पर कि वहां रचना और निर्माण का कार्य किया जा रहा है और अधिक से अधिक वनों की रक्षा की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी तथा दूसरे अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि आज नदियों के द्वारा जो जंगल कट रहे हैं उनके बचाव के लिये वह क्या उपाय कर रहे हैं और गांवों के आस-पास जो जमीन खाली पड़ी हुई है उनमें कौन से जंगल लगाये जा रहे हैं? जिन जंगलों की रक्षा हमारे पूर्वजों के द्वारा वर्षों से होती आयी है उन्हीं

पर इन वन अधिकारियों ने बलात् ढंग से कब्जा कर लिया है और हम लोगों को परेशान करने के लिये ही ये लोग इस प्रकार की कार्यवाही करते आ रहे हैं। इनका जब काफिला चलता है तो ऐसा मालूम होता है कि नादिरशाह अपना काफिला लेकर हमला करने आ रहा है। वन विभाग के मंत्री और कंजर्वेटर आदि जब दौरे पर आते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि अराजकता का राज्य हो गया हो और कहीं बलवा होने वाला हो। तो इस प्रकार से हम लोगों को आतंकित किया जाता है।

हम लोगों को पहले जो लकड़ी आदि हकूक मिलने से मिलती थी और जिसका हम लोगों को हक था उससे भी हम आज वंचित किये जा रहे हैं। हमारे हक-हकूक वही हैं जो आज के १०० या ५० साल पहले थे, उनमें आज भी कोई तब्दीली नहीं की गयी है। जब कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि रिसेटिलमेंट के समय पर तब्दीली की जायगी। सरकार की घोषणा है कि हम मुल्क में समाजवादी सरकार कायम करना चाहते हैं। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हम ने बड़े प्रयत्न से वन श्रमिक समितियों की स्थापना की और उनको रजिस्टर्ड भी कराया, उनके लिये माननीय मंत्री जी ने १०,००० रुपये का टुकड़ा एस्टीमेट रेट पर सेंक्शन भी किया था, लेकिन डी० एफ० ओ०, कालागढ़ ने वहां नीलाम १९,६०० रुपये, मार्केट रेट से भी अधिक पर किया है और इस तरह से उन गरीबों का नुकसान किया गया है कि जो आपके कायदे कानूनों का साथ देते हैं और सरकार की घोषणा पर विश्वास करते हैं। अधिकारियों की ओर से उन गरीबों को परेशान किया जाता है। खुद वन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि जो शायद पी० डब्ल्यू० डी० में भी न हो। जमींदारी उन्मूलन होने पर शेरकोट और शानपुर स्टेट, बिजनौर की लाखों रुपये की लकड़ी चोर बाजार में बिक गयी है और उसके लिये जिन छोटे अधिकारियों ने रोकथाम की, उन्हीं को नौकरी से निकाल दिया गया है। माननीय मंत्री जी के सामने मैंने उसको भी पेश किया कि जिसने वन विभाग की रक्षा की थी। वह इसीलिये निकाल दिया गया कि वह उस लूट में शामिल नहीं हुआ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं इस कटौती के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं जिस जिले से आ रहा हूं वह जिला शायद जंगल विभाग के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है लेकिन उसकी एक शाखा कानपुर जिले में भी काम कर रही है और उसका क्या हाल है उसका कुछ विवरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मेरे जिले में बहुत से कृषि योग्य भूमि के हिस्से वन विभाग ने अपने हाथ में ले लिये हैं। समुहा, धीरपुर और हृदयपुर का नाम माननीय मंत्री जी नोट कर लें। इनमें जो कृषि योग्य भूमि है उस पर वन विभाग ने अनायास ही कब्जा कर लिया है। काश्तकारों ने इसके लिये रिप्रेजेन्टेशन किया सरकार के पास और सरकार के अधिकारी भी इस संबंध में इस राय से सहमत हैं कि यह जमीन कृषि योग्य है, किसानों को मिलनी चाहिये, वह वन विभाग के पास कैसे चली गयी और वह क्यों छोड़ना नहीं चाहता। यह मामला एक पहेली-सी बन गयी है। वहां के काश्तकार उस जमीन पर काश्त भी कर रहे हैं, लेकिन उनको नोटिस तामील किये जा रहे हैं कि तुम्हारी जमीन छीन ली जायगी नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको वन विभाग लेकर किस प्रकार जनता का हित करेगा? हां, जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, जो ऊसर है उसे अगर आप लें तो उसका कुछ उपयोग हो सकता है। लेकिन जो कृषि-योग्य हैं उनको तो कृषकों को देकर ही इस समस्या को हल किया जा सकता है और करना चाहिये ताकि अधिक अन्न पैदा हो और वे कृषक जिनके पास जमीन नहीं है अपना जीवन-निर्वाह कर सकें। इसके साथ मैं वन विभाग के मन्त्री जी को एक उलाहना देना चाहता हूं। आश्वासन समिति का सदस्य होने के नाते मुझे याद है कि उनके पूर्वमंत्री जी ने सन् ५६ में यह आश्वासन दिया था कि वहां के कर्मचारियों, फारेस्ट गार्डों के वेतन में २ रुपये की वृद्धि पर विचार किया जायगा। चार साल हो गये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

और मुझे अभी सूचना मिली है कि उस पर विचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विचाराधीन की अवधि कितनी लम्बी होगी ? कुछ ऐसा नियम है कि आश्वासन समिति की ओर से महीने में या दो महीने में रिमाइन्डर जाते हैं और मैं समझता हूं कि इस संबंध में कई दर्जन रिमाइंडर हो चुके होंगे। मैं चाहता हूं कि कन्जर्वेटर साहब से कुछ मालूम हो सके मगर अब तो मंत्री जी से ही पूछने का सबसे सुन्दर अवसर है कि वही इस बात के लिये कुछ कहें कि इस आश्वासन को पूरा करने में क्या दिक्कत है।

श्री खुशीराम---अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग के बारे में मुझे यह कहना है कि यह तो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और सबका संबंध इससे है। कुमायूं में जो १० वर्षों से भूमिहीनों के लिये मांग की गई है वह इस वक्त तक पूरी नहीं हो सकी है। केवल, ३,००० एकड़ भूमि दी गई है जिसमे से १,००० एकड़ तो तुमड़िया बांध में ही चली गई। वहां के भूमिहीन लागों की करीब ३,००० दरख्वास्तें भी आई हैं। उनकी हालत यहां थोड़े दो मिनट के समय में मैं क्या कह सकता हूं, दशा वहां की बहुत दयनीय है। आगे के लिये जो मांग कर रखी थी वह भी पूरी नहीं हुई है। इससे भूमिहीनों में बड़ा असन्तोष है। उनके लिये दुनिया भर के तमाम मीन-मेख लगाये जाते हैं जबकि और सब काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, नहरें बन रही हैं और बिजली के काम हो रहे हैं। नानक सागर में अभी ४,००० एकड़ जंगल कट गये लेकिन यहां के भूमिहीनों के लिये कुछ नहीं किया गया है। उनको जमीन मिलने से अन्न पैदा करने के आन्दोलन में भी सहायता मिलेगी। कुमायूं में और कोई ऐसा रोजगार नहीं है जिससे वहां के लोग अपना गुजारा कर सकें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनको शीघ्रता से भूमि दी जाय।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सच्ची बातें इस महकमें के संबंध में यहां स्पष्ट रूप से रखीं। मैंने तो दबी जबान से, हल्के स्वर में, उन बातों को कहा लेकिन उन्होंने आप बीती भी सुनाई। इससे मंत्री जी को पता लग गया होगा कि अपोजीशन बढ़ाकर बात नहीं कहता बल्कि मिनिमाइज करके कहता है। अभी माननीय मोहनसिंह मेहता जी ने इंजीनियर साहब का पत्र पढ़कर सुनाया था कि जंगल विभाग अंधाधुंध पेड़ काट रहा है जिससे बहुत हानि हो रही है और वह लकड़ी जाती है स्टार पेपर मिल को। आज घर के अन्दर रखी हुई शहादत सरकार को मिल गई तो वह इसकी जांच कराये। अगर दोनों ओर के सदस्य किसी बात की जांच के लिये सरकार से कहें और वह न करावे तो क्या वह अपने को प्रजातांत्रिक सरकार कह सकती है ?

श्रीमन्, सीमावर्ती प्रदेश के २२ लाख आदमी सोचने लगे हैं कि उनको तिब्बत की तरफ से खतरा है। भगवान न करे वह दिन आये कि सारे देश की आजादी खतरे में पड़ जावे और लाल चीन की ओर लोग देखने लगें। २ साल से भी ज्यादा का बरेली फैक्ट्री में कत्थे का स्टाक पड़ा हुआ है। लेकिन उसका कभी सरकार की ओर से चेक नहीं होता कि कितनी ज्यादा वहां खैर के पेड़ों की लकड़ी कटी। विदेशी कम्पनी को लूट की छूट दी गई है और श्रीमन्, आप देखें कि नजीबाबाद में चुनाव में मदद देने के एवज में एक फैक्ट्री कत्थे की दी है, दूसरी हल्द्वानी की कृष्णा फैक्ट्री खड़ी की गयी है। पहाड़ी सड़कों के बारे में हम कह सकते हैं कि मंत्री जी ने कम रुपया रखा है। हम चाहते हैं कि धौलछीना-सेराघाट, दौड़म-भनौली, पौधार-मोटनौली, कठपुड़िया, कनारी छीना सड़कें बनें, ताकि वनों का एक्सप्लायटेशन ठीक तरीके से हो सके। लेकिन जो रुपया रखा जाता है वह भी लैप्स हो जाता है। मैं चाहता हूं कि कुमायूं में छोटे-छोटे लीसे के प्लान्ट लगाये जावें। रेजिन और टरपेंटाइन बनायें, पेपर इंडस्ट्री स्थापित करें, मैच इंडस्ट्रीज स्थापित करें ताकि लकड़ी के ढोने में रुपया खर्च न हो। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि कम से कम आप अपने तरफ बैठने वालों की बातों को अवश्य ही मानेंगे।

श्री सैयद अली जहीर——अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य गालिबन यह समझते हैं कि जितना ज्यादा जोर से और जितनी ज्यादा सख्त तकरीर की जायगी, शायद उतना ही ज्यादा उसका असर होगा । मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि जितनी बातें या चीजें ऐसी होती हैं जिनका कुछ भी महत्व होता है, कुछ भी अहमियत होती है, उन सब पर गौर किया जाता है और तब उन पर फैसला किया जाता है । सवाल यह पूछा जा सकता है कि इतनी ज्यादा आवाज गुजिश्ता दो सालों में ही क्यों वन विभाग के खिलाफ उठायी गयी है । मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह मेरी बदकिस्मती है कि इस जमाने में यह विभाग मेरे पास रहा । इस बीच जो बातें मैंने कीं, उनका मैं जिक्र कर दूं और शायद उसकी एक वजह यह भी है कि एक उसूल भी इस विभाग ने बना लिया है ।

अधिष्ठाता महोदय, पुराने जमाने में एक तरीका था कि प्राइवेट ट्रीटी के तौर पर कंसेशनल रेट्स पर जंगलों से कुछ चीजों को दे दिया जाता था । यह तरीका अच्छा था या न था लेकिन यह अधिकार मंत्री को या डिपार्टमेंट वालों को था कि कुछ हद तक ऐसी रियायतों को जिनको वे मुनासिब समझते थे दे दिया करते थे । बहरहाल होता यह था कि दो आदमियों को अगर ऐसी रिआयत दी जाती थी तो ८–१० आदमी ऐसे भी होते थे जो बिला डिपार्टमेंट की मंजूरी के फायदा उठा लिया करते थे । इसी आड़ में जंगलों से तरह-तरह का जायज और नाजायज फायदा उठाया जाता था । जब से यह विभाग मेरे पास आया, यह मामला कैबीनेट के सामने भी गया, मेरी यह राय हुई कि यह चीज मुनासिब नहीं है और इसका एक खास तरीका होना चाहिये जिस तरीके से जंगल की दौलत लोगों को दी जाय और सख्ती के साथ इसकी पाबंदी की जाय । चुंनाचे प्राइवेट ट्रीटी का तरीका बंद किया गया और तय किया गया कि जो कुछ भी दिया जायगा वह नीलाम करके दिया जायगा । लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मामला दूसरा होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को तरह–तरह की सहूलियतें दी जाती हैं । उनके लिये आक्शन वाली चीज लागू नहीं की जाती, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा ।

दूसरी बात यह है कि बाज-बाज कोआपरेटिव फैक्ट्री ऐसी थीं जो बेजा फायदा उठा रही थीं जो हमसे कोआपरेटिव के नाम पर लेकर पूंजीपतियों को बेच दिया करतीं थीं । इससे कोआपरेटिव मूवमेंट को कोई फायदा नहीं होता था, दो-चार लोगों को हो जाय यह दूसरी बात थी । इस किस्म की कोआपरेटि स को देना हमने मुनासिब नहीं समझा । कुछ ऐसी कोआपरेटिव्स थीं, जिन पर सरकारी रुपया था और उसको देने की वह फिक्र नहीं करती थीं । उन पर काफी रकम हो गयी थी, उनसे हमने कह दिया कि जब तक बकाया न दिया जायगा तब तक न दिया जायगा । ३ कोआपरेटिव्स जो अच्छी तरह काम कर रही हैं उनको हम देते हैं । रानीखेत कोआपरेटिव सोसाइटी को हमने ५ हजार मन लीसा दिया है । कोटद्वारा कोआपरेटिव सोसाइटी को भी हमने दिया है, दूसरे एक और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फैडरेशन को भी हमने पहले पहल दिया है । तो बह हाल जो अच्छी कोआपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जिनके ऊपर इत्मीनान होता है और वे ठीक तरह से काम करती हैं, उनके लिये हम कुछ कार्यवाही करते हैं ।

अधिष्ठाता महोदय, वाकया यह है कि हमारे यहां इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि एक ऐसा आफिसर जो बहुत बड़े रैंक का था, जिसके मुताल्लिक यह खबर आयी कि इनके यहां काफी भ्रष्टाचार हो रहा है । यह भी पहाड़ की ही बात है, वे पहाड़ के ऊपर ही किसी जगह पर तैनात थे । जब उनके तबादले की बात की गयी तो उन्होंने कहा कि हम तबादले के लिये तैयार नहीं हैं, आप जी चाहे नौकरी में रखें जी चाहे न रखें । नतीजा यह हुआ कि उनको नौकरी से अलग करना पड़ा और उनके ऊपर इस वक्त गालिबन फौजदारी अदालत में मुकदमा चल रहा है । बहरहाल गवर्नमेंट का सेंक्शन हो

[श्री सैयद अली जहीर]

गया है । वे वहीं पर मुकीम हैं और ११ साल से मुस्तकिल तौर पर वहीं रह रहे हैं। अब उसका नतीजा आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वे छोटी-छोटी बातों को लेकर जो लोगों में बेचैनी है, उनमें भर कर इस तरह से एजिटेशन करने की बात कर रहे हैं ।

एक चौथी बात यह है जिसके बारे में मैं थोड़ा-सा अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमने कोयले की कीमत थोड़ी-सी जरूर बढ़ा दी है और उस किस्म की लकड़ी की कीमत भी थोड़ी-सी बढ़ा दी है जो इमारत वगैरह के काम आती है। उसकी वजह यह है कि अब हमको आसपास के जंगल में वह लकड़ी न मिलने पर दूर से लानी पड़ती है । इसके अलावा एक मन कोयला के लिये ५ मन लकड़ी जलानी पड़ती है तब वह निकलता है। ऐसी हालत में लकड़ी की कीमत का खयाल रखना ही पड़ता है। तो कोयले का दाम कुछ बढ़ा है, लेकिन लकड़ी का जो दाम है वह अपनी जगह पर कायम है । कोयले का दाम और जगह कुछ बढ़ा है, लेकिन रानीखेत में वही कायम है । नैनीताल में ४.४० नये पैसे प्रति मन है और रानीखेत में साढ़े ३ रुपये मन कोयला है । तो यह कहना गलत है कि हम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं । यह हम समझते हैं कि पुरानी पालिसी गवर्नमेंट की थी कि जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को, खासकर पर्वतीय हिस्से के लोगों को स्पेशल कंसेशन दिया जाय। जहां तक कंसेशन का तालुक है जंगलात को कायम रखने के उसूल से कोई उनके द्वारा नुकसान न हो जाय, उनको हर तरह की सहूलियत मिल जाय, इसके लिये हम तैयार हैं। कुछ माननीय सदस्यों का यह खयाल है कि गवर्नमेंट का मंशा इसके खिलाफ है, लेकिन जो मुनासिब बातें हैं उनको हम मानने के लिये तैयार हैं और रहते हैं ।

स्टार पेपर मिल का भी बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है । आज भी एक सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर चुका हूं। उसकी सूरत यह है कि सन् १९५४ के सितम्बर महीने से यह मामला चल रहा है। सन् १९५४ से कई बार कागज के लिये कई मुख्य मंत्रियों के सामने दरख्वास्तें आयीं और उस पर गौर हुआ । हमारे जो चीफ कंजरवेटर उस जमाने के थे उनकी भी रिपोर्ट आयी जो हमारे सामने है । उन्होंने यह कहा है कि ट्रोस्टेड चीड़ का जहां तक ताल्लुक है, वह ऐसी लकड़ी है जिसकी वजह से बजाय फायदे के नुकसान है। यह लकड़ी किसी काम में नहीं आती है । उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रोस्टेड चीड़ के दरख्त की वजह से जो रेजिन बनता है गालिबन वह भी बन्द हो जायगा और पूरी इंडस्ट्री खतम हो जायगी लिहाजा इनको काटना बहुत जरूरी है । १९५४ के पहले जब कि दरख्वास्त आयी, यह लकड़ी जलाने के काम में भी नहीं आती थी । मेरे पास चीफ कंजरवेटर की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बहुत अच्छा और जरूरी है कि उनको दिया जाय । इससे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा । चुनान्चे बातचीत के बाद यह तय हुआ कि ५ वर्ष के अन्दर १ आना क्युबिक फुट रायलटी और १ आना क्युबिक फुट रिजनरेशन कास्ट के वे देंगे। इसके अलावा जंगल के काटने का खर्चा, ढोने का खर्चा, पहाड़ों से सहारनपुर के ट्रान्सपोर्ट चार्जेज यह सब उनको करना होगा, इससे आप ख्याल कर सकते हैं कि उनको क्या कीमत पड़ेगी । उस जमाने में लिहाजा गवर्नमेंट ने तय किया कि एक्सपेरीमेंटल परपजेज के लिये उनको २ लाख क्युबिक फुट दे दी जाय । फिर यह दरख्वास्त उनकी है कि हमको एक लम्बे टर्म के लिये कांट्रेक्ट दिया जाय और टर्म्स तय कर लिये जायं, लेकिन यह मालूम होने पर कि माननीय सदस्यों को इस पर एतराज है मैंने इसको सरेदस्त रोक दिया है और इसके हर पहलू पर गौर हो रहा है और आखिरी कांट्रेक्ट की क्या शक्ल होगी यह मैं इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन जो २ लाख पहले से उनको मिल रही थी उसको वे एक्सप्लायट कर रहे हैं । एक शिकायत का जिक्र किया गया जो किसी माननीय सदस्य ने भेजी थी तो वह बिलकुल जनरल शिकायत थी और यह थी कि उनके पास मशीन नहीं है । क्या करते हैं क्या नहीं करते

हैं यह उसमें नहीं दिया हुआ है और न यह है कि लकड़ी को ले कर किसी दूसरे फर्म को बेच देते हैं, इस सबका हवाला जब हमारे पास आयेगा तो हम उसका खयाल करेंगे ।

कत्था फैक्टरी का मामला भी मैं अर्ज कर दूं । एक फैक्ट्री बरेली में पहले-पहल कायम हुई जिसने यह तय किया कि पुराने तरीके को बदल कर नये तरीके से कत्था निकाला जाय । यह १९२१ का किस्सा है । जब कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उसको एनकरेज करना होता है । उस वक्त ८ आना फी दरख्त कीमत होती थी और मजदूरों को जंगल में ले जा कर मिट्टी का बर्तन बना कर आग लगाते थे और जंगल से ही कत्था निकाल कर ले आते थे । उनका कोई खर्चा नहीं होता था । कानपुर के लोग मजदूरों को ले जाते थे । फिर जब यह फैक्टरी कायम हुई तो ३ रुपये फी दरख्त कीमत मुकर्रर हुई । यह कीमत कम जरूर थी लेकिन यह बढ़ती रही । अब १ अक्तूबर, १९५० से १९५३ तक जो ठेका हुआ उसमें ७२ रु० ८ आना० फी दरख्त लिया गया । १९५३–५४ में ९० रु०, १९५४ से ५७ तक ९५ रु० फी दरख्त पर ठेका दिया गया और १९५७ में फिर से ठेका देने की नौबत आई । जिस समय यह मुआहिदा हुआ था सन् १९६० तक देने के लिये हुआ था । सन् १९५० में यह मुआहिदा हुआ था । अब यह कीमत ९५ रुपये से बढ़ा कर ११४ की गयी, क्योंकि मुआहिदे में यह भी तय हुआ था कि कीमत निगोशियेशंस के जरिये से तय हुआ करेगी । तो इसमें कोई ज्यादती नहीं हुई है ।

एक नई फैक्ट्री कृष्णा कत्था के नाम से कायम हुई है । १९५३–५४ में ३ वर्ष के लिये ठेका दिया गया था जब कि कीमत कम थी, लेकिन अब जब दोबारा ठेका देने का वक्त आया तो १,५०० एक दफा, और १,५०० एक दफा दरख्त दिये गये हैं, लेकिन कीमतें तय नहीं हुई हैं । समय समाप्त हो गया है नहीं तो तफसील से मैं जिक्र करता और किसी माननीय सदस्य की इच्छा भरी न हो तो वे मेरे कमरे में आ जायं वहां पर मैं उन्हें बतला सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रु० कर दी जाय । साथ ही कटौती के प्रस्ताव संख्या २, ३, ५ और ६ पर भी एक साथ ही राय ले रहा हूं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में —३२,

विपक्ष में—५३) ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक: १०—वन के अन्तर्गत २,६८,७९,५०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक १८—अभियन्त्रण संस्थायें

राजस्व मन्त्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल (गवर्नर) महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें—लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत २९, १५, १०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें—लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत २९, १५, १०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक: ४०—उपनिवेशन

श्री धर्मसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल (गवर्नर) की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उपनिवेशन—लेखा शीर्षक: ४०—कृषि के अन्तर्गत ४९, ८६, ९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उपनिवेशन—लेखा शीर्षक: ४०—कृषि के अन्तर्गत ४९, ८६, ९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक: ४१ और ८१–क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री धर्मसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल (गवर्नर) की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय, लेखा शीर्षक: ४१—और ८१–क के अन्तर्गत १, ४९, ३३, ००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय–लेखा शीर्षक: ४१—और ८१–क के अन्तर्गत १, ४९,३३,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक: ८१–क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री धर्मसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल (गवर्नर) की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)—लेखा शीर्षक: ८१–क के अन्तर्गत ६, २७, ९६, ५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)—लेखा शीर्षक ८१–क के अन्तर्गत ६, २७, ९६,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक: ४—वृहत् जोत-कर की उगाही पर व्यय

श्री धर्मसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल (गवर्नर) की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत जोत-कर की उगाही पर व्यय, लेखा

शीर्षक: ४—निगम कर और सम्पति शुल्क को छोड़ कर आय पर कर के अन्तर्गत ३, ८२, २०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—वृहत जोत–कर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक: ४– निगम कर और सम्पति शुल्क को छोड़ कर आय पर कर के अन्तर्गत ३, ८२, २०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—श्रीमन् एक वैधानिक आपत्ति है। मंत्री महोदय ने कहा कि श्री राज्यपाल (गवर्नर) की सिपारिश से। तो हिन्दी सदन की भाषा है अगर गलती से उनके मुखारविन्द से निकल गया तो ठीक है—लेकिन हिन्दी शब्द ही उन्हें कहना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—दोनों शब्द प्रयोग हो सकते हैं।

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक: ५४—दुर्भिक्ष सहायता

***राजस्व मन्त्री (श्री चरण सिंह)**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्पाल की सिपारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—दुर्भिक्ष सहायता—लेखा शीर्षक: ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि (Famine Relief Fund) को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ३५, ६७, १०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस मांग को पेश करते समय कोई भाषण करने की आवश्यकता नहीं समझता। मेरे मित्र जो इधर या उधर बैठे हैं जब कुछ सुझाव देंगे और फरमायेंगे तब मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसी वक्त उसका जवाब दूंगा।

***श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं। आपका प्रस्ताव इस तरह से है कि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री गेंदासिंह—ठीक है उसको इस तरह से मान लिया जाय कि सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

अधिष्ठाता महोदय, दुर्भिक्ष कोई अच्छा तो है नहीं और मैं ऐसा सोचता था कि इस वर्ष दुर्भिक्ष पर कुछ दूसरे लोग कहें तो सम्भव है कि दूसरे वर्ष दुर्भिक्ष भी उसपर विचार करे और वह न आवे लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस प्रश्न पर फिर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूं। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले तक जब हम दुर्भिक्ष की चर्चा किया करते थे तो वह किसी एक कोने की चर्चा होती थी, परन्तु आज बिलकुल अगर इस दायरे में न रहे कि दुर्भिक्ष क्यों और दुर्भिक्ष क्या तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि प्रदेश के कोने-कोने में दुर्भिक्ष जैसी चीज दिखाई दे रही है। सन् १९५२ से लेकर इन गत ५-६ वर्षों में अनाज के भाव को देखते हुये जिसे आदमी खाकर अपना जीवन चला सकते हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि सन् १९५२ में एक मर्तबा किसी महीने में भाव बढ़कर के २२ रूपये मन तक गेहूं, चना १७ और१८ रुपये मन तक, १४ रुपये मन तक जौ और ज्वार और मकाई ११ और १२ रुपये मन तक के बीच में थी। अब उसको देखते हुये अगर इस वर्ष हम देखें तो मालूम होगा कि ३२ रुपये मन गेंहूं और उसी प्रकार दूसरे अनाजों के बारे में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

हमको कहने की जरुरत नहीं है सारा देश जानता है कि एक रुपये सेर की दाल है, काफी मुसीबत से मुल्क निकल रहा है। हमारी हैसियत सन् १९५२ में आज से अच्छी थी। सरकार इस बात को मानती है कि सन् १९५२ में सारे मुल्क की हालत आज के मुकाबले में अच्छी थी। सरकारी आंकड़ों के आधार पर हम यह कह सकते हैं और सरकार को भी इस बात में आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

(इस समय २ बज कर ३८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

तो अगर हमारी हैसियत नीचे गिर रही है तो उसमें सबसे अधिक उन लोगों की गिर रही है जो दुर्भिक्ष के शिकार होते हैं और जो सबसे ज्यादा गरीब हैं। उद्योगपति या जो नौकरीपेशा हैं या किसी तरह से जिनके पास अपनी जीविका भली प्रकार प्राप्त करने की क्षमता है और साधन हैं उनकी हैसियत तो नीचे नहीं आ रही है। यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं बल्कि जो देश के बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हैं उनके मत को व्यक्त कर रहा हूं कि आज उनकी हैसियत उठी है और जो नेशनल इन्कम बढ़ी है उसका ज्यादा हिस्सा उनके पास गया है जो इन्कम टैक्स अदा करते हैं। तो निश्चित रूप से यह मानना पड़ेगा कि दूसरे लोग जो हैं नीचे वाले उनकी हैसियत बिगड़ी और खास तौर से उनकी हैसियत पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सदन का कि जो साधन विहीन हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं थी और जिनके पास थोड़ी जमीन थी और जो अपने जीवन यापन के लिये अन्न नहीं पैदा करता था तो उनकी हालत इधर क्या है। सन् १९५७–५८ में सरकार यह स्वतः मानती है कि अनाज में कमी आयी और नेचुरल कैलेमिटीज का प्रभाव सन् १९५२–५३ के मुकाबिले में सन् १९५७–५८ में अधिक हुआ और उसकी वजह से ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत धक्का लगा। कोई धक्का ऐसा जिसकी गिनती की जाती है। सन् ५७–५८ में जो हमने दुर्भिक्ष के लिए रकम खर्च की थी उससे अब हम कम खर्च करने का इरादा रखते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी माली हालत खराब हुई, हमारा ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन घटा, उसका असर उन लोगों पर क्या पड़ने वाला है जिनके लिए हम यह दुर्भिक्ष की नीति की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ इन्तजाम कर रहे हैं अपने बजट में? तो मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार की दृष्टि कुछ सीधे देखने की नहीं है—कोई यह न समझे कि मैंने किसी के विरोध में यह बात कही। मुझे अफसोस जरूर होता है कि जब नया कोई विभाग किसी को मिलता है तो उसमें हड़बौंग की गुंजायश है कि नये के हाथ में आ गया है, सम्भल कर चलो, कुछ खाने पीने में कमी करो, लेकिन मैं समझता हूं ८–१० वर्षों से बल्कि चौधरी साहब जब मिनिस्टर नहीं थे उसके पहले भी वह इस विभाग से संबंधित थे।

श्री चरणसिंह—जब से होश संभाला है।

श्री गेंदासिंह—जी नहीं, यह मतलब नहीं है। मैं यह जरूर समझता हूं कि रेवेन्यू से हर पब्लिक वर्कर का सम्बन्ध रहता है।

श्री चरणसिंह—मैं एक बात सजेस्ट कर दूं कि दुर्भिक्ष का मजमून जरूर ऐसा ही है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि माननीय सदस्य मुहर्रमी शक्ल ही बनाये रखें। हंसी-खुशी के साथ भाषण दीजिये।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि अभी तक नाराजगी नहीं हुई, मैं भी चाहता हूं कि नाराजगी से यह बजट अधिवेशन न गुजरे। क्योंकि उसका बदला मुझे मिलता है और मैं डरता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं कि चौधरी साहब की नाराजगी इस हाउस के बाहर भी मुझे सताती है और चौधरी साहब अगर थोड़े नाराज भी होते हैं तो उनके कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार समझते हैं कि ऐसे आदमी को तो कुछ और दुरुस्त करो तो भी कुछ हर्ज नहीं है, कोई इसको मार कर आवे तो इनाम देंगे। तो आपकी नाराजगी की मुझे

कितनी कीमत चुकानी पड़ती है वह मैं जानता हूं, आप नहीं। हम अगर नाराज हों तो समझा जायगा कि यह तो कोड़ा मकोड़ा है, नाराज हुआ करे, उसका कोई असर नहीं, लेकिन आपकी नाराजगी की मुझे कीमत चुकानी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं अब यह कहना चाहता हूं कि अन्य सूबों में भी एक ही हिसाब हर आदमी का कराब-करीब है तो वहां जो मजदूरी रखी जाती है, वही यहां दी जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारे भारत में सब से कम मजदूरी यहां दी जाती है। जैसा मैंने निवेदन किया था दुख सबसे ज्यादा देवरिया का रहता है कि हमेशा टेस्ट-वर्क्स, रिलीफ वर्क की क्या चर्चा किया करते हो, लेकिन आखिर क्या बात हो गयी कि कुछ दिनों से हुक्म है कि कोई टेस्ट वर्क, रिलीफ वर्क नहीं लिया जायगा, चाहे जो भी मुसीबत आवे? मैं डरता हूं रोज-रोज चर्चा करने से, अपने साथियों में भी गलतफहमी का मौका आ सकता है। तो इस वर्ष ५७–५८ के आंकड़ों के अनुसार सारे देश में अनाज की इतनी कीमत फिर चढ़ गयी लेकिन उस चढ़ने के बाद कोई हैसियत उस आदमी की बढ़ गयी जो कम जमीन वाला है। अगर इस मंहगाई की वजह वे उसकी हैसियत नीचे गयी है तो दुर्भिक्ष के नाते उसको मदद मिलनी चाहिये और मैं उसकी एक ही कसौटी समझता हूं कि टेस्ट वर्क शुरू किया जाय, ८ आने मजदूरी पर। मैंने दूसरे सूबों के बराबर मजदूरी बढ़ाने की चर्चा की थी, मगर मैं उसको भी छोड़ देता हूं। तो जो मजदूरी इस वक्त है उसपर काम शुरू किया जाय और काम शुरू करने के बाद अगर आदमी नहीं आते हैं तो सरकार को हक है कि बन्द कर दे। मैं चौधरी साहब को खत नहीं लिखता हूं इस वजह से कि खत लिखने पर वे नाराज होते हैं। चाहता हूं कि वे किसी तरह से सुन लें, दूसरे लोगों से कहता हूं, लेकिन वह काम नहीं शुरू किया गया। कोई अधिकारी ऐसा बाकी नहीं है जिसका दरवाजा खटखटाने से बाकी रह गया हो। किसी ने नहीं सुना। तो इस बात पर विचार करना चाहिये।

अब रहा यह कि रेमिशन का ताल्लुक दुर्भिक्ष से है या नहीं है। तो मैं कहता हूं कि रेमिशन और दुर्भिक्ष दोनों का संबंध अन्योन्याश्रित है। दुर्भिक्ष तभी माना जायगा कि जब रेवन्यू डिपार्टमेंट पटवारी से लेकर लैन्ड रेफार्म्स कमिश्नर तक कहे कि यहां पर फसल की बरबादी हुई और एक्सटेंट भी उसी को कहने का अधिकार है। कोई दूसरी रेमेडी नहीं है, कोई अपील नहीं है लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर के बाद और यह फैसला लैंड रिफार्म्स कमिश्नर का नहीं होता बल्कि लेखपाल और कानूनगो का फैसला होता है। अगर उन्होंने एक मर्तबा फैसला कर दिया कि रुपये में चार आने फसल बरबाद हुई है तो दुनियां की कोई ताकत नहीं जो उस फैसले को फिर बदलवा सके। एक मर्तबा बदलने की नौबत आयी जब चौधरी साहब राजी हुये लेकिन उसको उन्होंने समझ लिया कि बड़ी भारी गलती हुई। मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मामले में कहीं कोई रेमेडी न हो, कोई अपील न हो तो उसमें जरा ज्यादा विवेक से काम लेना चाहिये। उसमें नाराज होने से बहुत लोगों का नुकसान होता है।

मैं एक बात बताऊं और माननीय दीपनारायण जी यहां बैठे हुए हैं, वे मेरी तरफ से उस बात पर कुछ रोशनी डाल दें तो अच्छा होगा कि देवरिया में गंधी मक्खियों ने अरली पैडी को किस कदर नुकसान पहुंचाया। उसके कोई आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। एक जगह के आंकड़े जरूर हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक चिट्ठी लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को लिखी कि ये लोग इस वक्त तो कुछ नहीं कह रहे हैं धान की फसल के बारे में लेकिन ज्यों ही कट जायगी तो कहेंगे कि सारा धान लुट गया, खराब हो गया। लेकिन मैं सारे सूबे की पीलीभीत से लगाकर देवरिया जिले में हाटा और पडरौना तहसील तक की बात कहता हूं कि सब जगह गंधी मक्खी से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। यहां सारे नुकसान की चर्चा करने के लिये तो समय नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि हमारे कलेक्टर ने खत लिखा कि जो झूठे लोग हैं ये अभी शोर करेंगे। वैसे अबकी देवरिया में तो खरीफ की फसल

[श्री गेंदा सिंह]

ऐसी हुई है जो पिछले ८-१० सालों में नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि सिर्फ ७ हजार एकड़ में नुकसान हुआ। मगर मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जिले में हाटा और पडरौना तहसीलों में १ लाख एकड़ से कम में नुकसान नहीं हुआ और यह ऐसा नुकसान हुआ कि जो धान की फसल काटी नहीं गयी। खरीफ की जो सबसे बड़ी फसल है वह बरबाद हो गयी। अब चूंकि कलेक्टर ने लिख दिया कि केवल ७ हजार एकड़ में नुकसान हुआ और वह प्रोपोर्शन ऐसा नहीं था कि रिलीफ दी जा सके, नतीजा यह हुआ कि सारा बकाया जिस तरह से वसूल किया जाता है वह किया जा रहा है और उनको एक दुअन्नी की मजदूरी भी नहीं दी जा सकती है। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इसकी कोई अपील नहीं है। बाढ़ से गांव बह गये लेकिन उसका कोई नक्शा हमारे सामने नहीं है। उनके पास जमीन नहीं है, खाना नहीं है, मकान नहीं है और भीख मांगकर भी गुजारा नहीं हो सकता है तो ऐसे लोगों को दुर्भिक्ष सहायता निधि से मदद दी जानी चाहिये। लेकिन उसका कोई नक्शा हमारे सामने नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि नेचुरल कैलेमिटीज से ही सारी चीजें होती हैं। लेकिन देखना यह है कि हम क्या कर रहे हैं। एक बात मैं कहूंगा कि स्केरसिटी या फेमिन की परिभाषा आजाद हिन्दुस्तान में कभी बदलेगी या नहीं। पता नहीं कब, शायद १९१२ में फेमिन कोड बना था। उसकी भी चर्चा नहीं होती। एक दफा मैंने कहा था कि इसकी फलां धारा के मुताबिक मीटिंग बुलाई जाय। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अन्त में मंत्री जी ने कहा कि तुम जाओ लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबके पहुंचने पर कह दिया कि आज मीटिंग नहीं होगी। यह किस्सा तो आपने सुना होगा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने से कागज ले लिये यानी मैंने उनका बड़ा भारी अपमान कर दिया। ५० आदमी जिला परिषद् के वहां बैठे हुये हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि कोई विचार नहीं हो सकता है। सिर्फ इस प्रस्ताव से बचने के लिये उन्होंने ऐसा किया। अब मैं उनसे पूछता हूं कि हमारा कर्त्तव्य उस समय क्या था? मैं जानता हूं कि वह उसको नहीं बैठने दे सकते थे। मैंने तो केवल कागज ले लिया और मैंने समझा कि मुझे गुस्सा आना चाहिये लेकिन होश हवास रखने चाहिये।

दुर्भिक्ष ऐसी चीज है कि इसके संबंध में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, जो हालत आज पहाड़ों की या यहां की हो रही है वह देखने के काबिल है। मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक महत्वपूर्ण आदमी का बयान मथुरा के बारे में पढ़ा तो मैं समझ गया कि अब फैमिन के बारे में राय बदली है और यह सोचा जाय कि किस तरह से राहत दी जा सकती है। आपने रकम कम कर दी है लेकिन मैं समझता हूं कि यह कम नहीं होनी चाहिये थी। जब हमारी बीमारी थोड़ी थी और हम शोरगुल करते थे तो कहा जाता था कि यह वोट लेने के लिये करते हैं। अब तो मैं दूसरी मर्तबा भी जीतकर आ गया हूं। अगर चौधरी साहब कह देंगे तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। यह मैं उनसे वायदा करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक मर्तबा बैठ कर दुर्भिक्ष के बारे में गौर किया जाय कि किस तरह से हालत दुरुस्त की जा सकती है।

अभी जो पार्लियामेंट के मेम्बर बुलाये गये थे वह किस लिये बुलाये गये थे। हम कहते थे कि लोग भूखों मर रहे हैं, दूसरे काम कीजिये, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लाइये, इंडस्ट्रीज बढ़ाइये, हम बैकवर्ड बने हुए हैं लेकन उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था, सेंटर से कुछ नहीं होता था और ७-८ साल में सारा रुपया बहकर दूसरी जगह चला गया। आप बिजली पैदा कीजियेगा तो इंडस्ट्री आप को भी मिलेगी। फारेन एक्सचेंज की कमी है तो फारेन एक्सचेंज अर्न कीजिये। तो यह बीमारी हमारी थोड़ी थी लेकिन वह सारे सूबे में फैल गयी। मैं फिर कहता हूं कि जो सही तस्वीर सारे सूबे के लोगों की है उसको छिपाने की कोशिश न कीजिए। जो ४८ हजार दूकानें खुली हैं, मैं माननीय राजस्व मंत्री से पूछना चाहता

हूं कि क्यों खुली है । सारे भारत में जो स्केयरसिटी है उससे कम उत्तर प्रदेश में नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है । तो क्या अनाज की मांग नहीं है ? लेकिन हम नहीं दे पाते हैं । हम ने अपनी बीमारी दबायी उसका फल जनता भोग रही है । अब आइन्दा इस गलती को न दोहरायें तो हम अपने देश की बड़ी खिदमत कर पायेंगे और शायद इस प्रजातन्त्र की भी रक्षा कर पायेंगे ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में कई वर्षों से अतिवृष्टि, अनावृष्टि और असामयिक वृष्टि आदि दैवी प्रकोपों के कारण हमारे प्रदेश की सरकार और प्रदेश की जनता को भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा है । श्रीमन्, हमारे प्रदेश के पूर्वी जिले ही नहीं बल्कि अब तो प्रति वर्ष हमारे प्रदेश के विभिन्न अंगों में जमीन पर पानी भरा रहता है । श्रीमन् हमारे प्रदेश के अन्दर ग्रामीण आबादी अधिक है जिसमें दो वर्ग हैं । एक तो खेती करने वाले किसान हैं और दूसरे खेतिहर मजदूर । मान्यवर, प्रथम तो खेती करने वाले किसानों को ही चार महीने का ही कार्य होता है फिर भी यदि अच्छी अवस्था हो तो खेतिहर मजदूरों के लिये कुछ न कुछ काम मिलता रहता है और उससे वह अपना गुजारा कर लेते हैं परन्तु इस संकटग्रस्त समय में जब कि किसान के पास ही खेती पर काम करने के लिये नहीं है तो खेतिहर मजदूर की दुरवस्था कैसी रहती है उसका अन्दाजा मेरा खयाल है कि माननीय राजस्व मंत्री जी को सब से अधिक होगा । श्रीमन्, हमारा फेमीन कोड, १९३६ में बना था जिसके मातहत यह धनराशि रखी गयी है । श्रीमन्, परतन्त्रता के काल में, परतन्त्र सरकार के अधीन यह बना था । अब हम स्वतंत्र हैं और परिस्थितियां भी परिवर्तित हो गयी हैं । इसलिये मान्यवर, मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि इस कोड का आमूल परिवर्तन होना चाहिये ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से निवेदन किया चाहती हूं कि हमारे जो खेतिहर मजदूर हैं, मैं दुर्भिक्ष न भी कहूं तो आज की परिस्थिति में भी जब कि ३२ रुपये मन गेहूं और १४ छटांक या १ सेर की दाल बिकती हो उस समय में संकट-ग्रस्त और बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के खेतिहर मजदूरों की कैसी हालत हो रही है, इसका उनको स्वयं अन्दाजा है । अतः, श्रीमान्, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो उनके लिये टेस्ट वर्क दिया जाता है उसमें जो उनके लिये मजदूरी दी जाती है वह बहुत ही कम है, संभवतः वह आनों के अन्दर है १० आनों, ८ आने और ६ आने है । तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वास्तव में उस दरिद्रनारायण की दुर्दशा का ध्यान रखते हुए उनके लिये टेस्ट वर्क की मजदूरी कृपा करके उतनी कर दें जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में दी जाती है । मान्यवर, मुझे पूर्ण आशा है कि सतत दैवी विपत्ति और अन्न संकट से ग्रस्त जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं आज उनकी दुर्दशा का खयाल रखते हुए माननीय मंत्री जी उनके लिये अधिक से अधिक सहायता कार्य आरम्भ करेंगे और उनकी मजदूरी सार्वजनिक निर्माण विभाग के बराबर देने की कृपा करेंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी । समय आपके लिये बहुत कम है । केवल १० मिनट है ।

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--तय हो गया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष--जी हां, माननीय अध्यक्ष ने संभवतः सुबह तय कर दिया है ।

श्री राजनारायण--हमको यह मालूम नहीं था । हम लोगों की तो .....

श्री उपाध्यक्ष--आपको गलतफहमी रही तो दो चार मिनट और दे दिया जायगा आपको ।

श्री राजनारायण--संपूर्ण अनुदान के अधीन.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---उसकी आवश्यकता नहीं है। आप भाषण करें। बाद में उस पर मत ले लिया जायगा।

[श्री राजनारायण---संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। १---विभाग द्वारा अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना।]

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस दुर्भिक्ष सहायता के लिये सही माने में जो निधि रखी गई है वह नितान्त कम है। दुर्भिक्ष इस समय हमारे प्रदेश में है या नहीं, मैं यह समझ सकने में बहुत असमर्थ हो रहा हूं कि अब तक सरकार के सामने यह बात स्पष्ट क्यों नहीं हुई? अब तो यदि यह देखा जाय और बहुत ही सफाई के साथ देखा जाय तो करीब-करीब स्थायी दुर्भिक्ष हमारे प्रदेश में है। पहले जब दुर्भिक्ष कभी-कभी आते थे तो जितनी मंहगाई होती थी उस समय उससे अधिक मंहगाई हमारे प्रदेश में लगातार चल रही है। इससे बड़ा दुर्भिक्ष होने का प्रमाण और क्या हो सकता है? दुर्भिक्ष जब कभी पहले आते थे तो उस समय मृत्युएं भी हुई हैं मगर मैं आपको बताना चाहूंगा: इस समय हमारे वे मंत्रिगण यहां नहीं हैं। चन्दौली तहसील जो वाराणसी में है, वहां पर उस गांव का नाम भी मुझे स्मरण है, बसावर गांव में एक दो हरिजन इसलिये मर गए कि उनके पास एक छटांक दाना नहीं रह गया था। उनको जूस तक नहीं मिला। वहां के सभापति की रपट हमारे सामने मौजूद है जिसको यहां पर पेश किया था। वहां के सभापति का बयान यह हुआ कि ७ दिन के बाद उसे मालूम हो गया था कि बेचारा भूख से तड़प रहा है तो उसने एक दिन दाल का जूस उसको दिया था। उसके बाद सभापति गोल हो गया। यह हालत अब होती चली जा रही है। अभी देखा जाय कि इस समय जो हवा चल रही है, जो दैविक प्रकोप हो रहा है आखिर उसका भी कुछ उपाय हो। सन् ५३ में महात्मा गांधी की एक वाणी मैंने इस सदन में रखी थी। गांधी जी ने बार-बार इस बात को कहा है कि दैविक प्रकोप को सामने रखकर बाढ़ और सूखे से सरकार जनता की रक्षा नहीं करती है तो वह सरकार नालायक है। बराबर इस बात को गांधी जी ने कहा है। अगर दैविक प्रकोप सामने है उसको भी सरकार देखे और समझे। मुझे याद है कि माननीय चरणसिंह जी ने इसी सदन में, मैं उस समय कानपुर जेल में था, कनफ्यूशियस की वाणी का यहां पर बतलाया था। हमने भी उसका अध्ययन करने का कष्ट किया है। कनफ्यूशियस ने कहा कि किसी स्टेट के लिये किन-किन बातों की विशेष आवश्यकता होती है। पहले उसके पास सेना हो। इसके बाद प्रचुर मात्रा में अन्न हो और इसके बाद जनता का विश्वास हो। इन तीन बातों की आवश्यकता किसी भी हकूमत को चलाने के लिये नितान्त रूप से है। उनके शिष्य ने पूछा कि जिनके पास यह तीनों न हों तो बताया कि सेना को हटा दे। मगर अन्न का रहना और जनता का विश्वास रहना जरूरी है। उसने फिर पूछा कि अगर प्रचुर मात्रा में अन्न न हो तो उसको जनता का विश्वास करना पड़ेगा और अगर वह भी न कर पाये तो वह सरकार चल ही नहीं सकती है। मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या आज प्रदेश की जनता को पेट भरने के लिये अन्न मिल रहा है? उसमें हरिजन हैं, खेती के मजदूर हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं, उसमें गरीब हैं जिनके पास खेत नहीं हैं और न अच्छी नौकरी है और न कारोबार है। ऐसे आदमियों में ब्राह्मण, ठाकुर और द्विज सभी लोग शामिल हैं। इस तमाम आबादी को देखा जाय तो कितनी आबादी हो जाती है। इसमें ९७ फीसदी आबादी हमारे प्रदेश की हो जाती है। आज जिनके पास खाने की दिक्कत है वे भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐशोइशरत की जिन्दगी लोग बिता रहे हैं। एम० पीज० आते हैं और बढ़िया दावत खाकर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति प्रदेश की है। उस स्थिति में दुर्भिक्ष की सहायता के लिये कम धन रखना यह सरकार की नालायकी साबित होगी।

[कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रस्तुत किया हुआ माना गया।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके द्वारा सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं कि देखा जाय कि कितना धन इसमें खर्च हुआ है और अब इसमें कितना धन इसके लिये रखा जा रहा है ? सन् १९५८ में वास्तविक आंकड़े हैं १,०९, १०,७८४ और दोहराये तखमीने का रुपया ३६,६६,२०० रुपया है और जो दोहराये तखमीने का रुपया है वह ९१, ८७,४०० रुपया हुआ । अब इस साल के लिये ३५,६७,१०० रुपया ले रहे है । कौन-सी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है जिससे यह कम रुपया रखा जा रहा है । क्या अन्न प्रचुर मात्रा में दे सकेंगे ? क्या पशुओं को चारा इससे दे पायेंगे ? क्या जहां पर अन्न की स्थिति दयनीय है, जहां पर लोगों की कठिनाई है वहां के लिये सरकार दवाई कर पायेगी ? क्या इससे बच्चों को फीस दे पायेगी ? जिसके लिये इस सदन में कहा जाता है कि बच्चों को फीस माफ होनी चाहिये । जहां पर प्रदेश में बाढ़ आई है क्या वहां पर सरकार यह व्यवस्था कर सकेगी ? आज यहां पर सवा सेर का अन्न बिक रहा है । लखनऊ के अखबारों में निकला कि यहां पर सवा सेर की दाल बिक रही है । मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि प्रदेश में कौन-सी स्थिति ऐसी होगी जिसको सरकार मानेगी कि यहां पर दुर्भिक्ष है । आज हमारा प्रदेश दुर्भिक्ष के गाल में चला जा रहा है । क्या सरकार इसका निराकरण कर पायेगी ? अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र पुजारी टीकाराम जी ने मथुरा के बारे में कहा था कि वहां पर पानी जमा हुआ है । उसको सरकार ने स्वीकार किया था । आगरा और मथुरा में जब पानी भरा है तो क्या वहां पर दुर्भिक्ष नहीं होगा ? माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि कई पुरानी नदियां जो सूख गई है तो उनका पानी खेतों में आ रहा है । तो इससे क्या स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी ? निश्चित बात है कि वह स्थिति खराब करेगी ।

इसके साथ-साथ नदी का कटाव गोरखपुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर जिलों में निरंतर दुर्भिक्ष की स्थिति रखे हुए है । वहां अन्न का संकट रहा है और फसल मारी जाती है इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के दिमाग में कौन सी ऐसी बात आ गयी कि एकाएक जब इस मद में १९५७–५८ में १ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुआ था, इस साल उसे घटा कर वह ३५ लाख रुपया करने जा रही है । मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की नीति क्या है । जैसा श्रद्धा देवी जी ने कहा , मैं भी उसी को दोहराना चाहूंगा । टेस्ट वर्क खोले जायंगे या नहीं, लोगों को काम दिया जायगा या नहीं ? उनकी मजदूरी के साथ क्या होगा ? वही ६, ७ और ८ आने वाली बात रहेगी अथवा मजदूरी दूसरी दी जायगी ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम पुराने कोड से बंधे हुए हैं । अगर दुर्भिक्ष घोषित कर देते हैं तो मजदूरी का कम पैसा देना पड़ेगा और इसलिये दुर्भिक्ष घोषित नहीं कर रहे हैं ताकि जनता का ज्यादा हित हो पाये । मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे जनता का ज्यादा हित कर पायेंगे इसको साफ साफ सामने रखें और स्थिति का स्पष्टीकरन करें । मजदूरी का एक महत्वपूर्ण सवाल है । मैं चाहूंगा कि मजदूरी ज्यादा हो और अन्न का, चारे का, दवा का, पढ़ाई का इंतजाम हो । यह बातें हर सभ्य सरकार को करनी चाहिये । मैं जानना चाहूंगा कि गांव ऊंचे होंगे या नहीं, बाढ़ से कैसे हिफाजत होगी ? होगी या नहीं ? चरण सिंह जी ने कहा कि गांव ऊंचे कराने के काम की वह जांच पड़ताल कर रहे हैं । उनके दिमाग में कहीं यह तो नहीं आ गया कि इस काम को ही बन्द कर दिया जाय । जो पुराने कुकर्म हैं उनकी आप जांच जरूर कराइये , उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं, जनता आपकी तारीफ करेगी, लेकिन उसके नाम पर काम रोका न जाय ।

श्री चरणसिंह---इस मद से इसका वास्ता नहीं है ।

श्री राजनारायण---जब गांव ऊंचे होंगे तो वह दुर्भिक्ष में नहीं जायंगे, टेस्ट वर्क में नहीं जायंगे ? सड़कें बनती हैं ....

श्री उपाध्यक्ष---आपका कहना है कि मजदूरी मिलेगी ज्यादा दुर्भिक्ष में .....

श्री राजनारायण---हां, मैं यही चाहता हूं और चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरी दी जाय और ध्यान रखा जाय कि वह उससे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। एक सवाल के जबाब में उधर से एक साहब ने कह दिया कि अगर स्त्री मिट्टी फेंकेगी तो उसे ८ आना ही मिलेगा कह दिया कि स्त्री खुदाई नहीं करेगी। मैं जानना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से कि यदि कोई स्त्री स्वतः अपने को तैयार कर दे फावड़ा चलाने के लिये तो उसके लिये सरकार ने किस कानून से व्यवस्था की है कि वह मिट्टी की खुदाई न करे, वह फावड़ा न चलाये। इस सदन में ऐसे मंत्री हैं कि वे जो बातें कहते हैं वे संविधान के विपरीत होती हैं कानून के होते हुए भी। जब उनके कामों को लेकर, स्त्री पुरुष में भेद मिटाया गया है तो उनके कामों की मजदूरी भी एक होनी चाहिये। उन स्त्रियों को भी, एक, दो रुपया मजदूरी क्यों न मिले? तो उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिये। इन तमाम बातों को मैं आपके द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार आगे आये, स्थिति को देखे, स्थिति से गम्य हो। उसको मालूम होना चाहिये कि हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है।

गेंदा सिंह जी ने थोड़े में अपने जज्बात का इजहार किया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि गल्ले की जो परेशानी है वह चाहे बनारस को ले लिया जाय या देवरिया को, बस्ती का जिला लिया जाय या आपका जिला फैजाबाद ले लिया जाय, सब जगह एक सी है। आज गल्ले की कमी विकराल रूप धारण करती चली जा रही है और इतनी विकराल हो गयी है कि यदि यह सरकार इसी मंथर गति से चलती रही तो शायद रह भी न पाये। माननीय मंगला प्रसाद जी बगल में आकर बैठ गये। पहले मिनिस्टर थे। उन्होंने अभी एक बयान दिया कि ४० करोड़ का खर्च इस सरकार का बिलकुल अपव्यय हुआ है। आज तक उसका कोई खंडन नहीं हुआ है। अखबार में यह खबर आयी थी। उन्होंने ठीक बात कही। कम से कम एक ठीक बात कही तो गयी।

श्री मंगला प्रसाद (जिला इलाहाबाद)---खंडन हो गया है।

श्री राजनारायण---मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह सरकार जब यह दुर्भिक्ष परमानेंट हो गया है तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करती। सरकार को ५९-६० के बजट के अवसर पर निश्चित रूप से इस बात का ऐलान करना चाहिये था कि अपने प्रदेश में किसी को भूखों मरने नहीं दिया जायगा। जब सरकार इस प्रकार का एलान कर देगी तो इस मद में कई करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सोशलिस्ट पार्टी ने जिन लोगों के पास न अन्न है और न उसके खरीदने के लिये पैसा है, खुले रूप में यह मांग की थी उनको पकी पकायी मुफ्त रोटी दी जाय। श्रीमन्, क्या हमारे प्रदेश के नागरिकों का यह अधिकार नहीं है कि अगर किसी के पास अन्न नहीं है, अगर अन्न खरीदने के लिये उसके पास पैसा नहीं है, तो भी अपने जीवन की रक्षा कर सके? मैं चौधरी साहब से जानना चाहूंगा कि चौधरी साहब के पास क्या उपाय है ऐसे लोगों के जीवन की सुरक्षा का, जिनके पास न अन्न है, न जमीन है, न पैसा है और न उनके पास कोई काम या धन्धा है। हमने महज देवरिया जिले को लेकर यह हिसाब लगाया है कि वहां पर ३० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को अन्न नहीं है और न पैसा है। क्या सरकार उनके लिये मौत का पैगाम ही मुनासिब समझती है? मेरी यह निश्चित मांग है और मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि सरकार दुर्भिक्ष सहायता के अधीन उन लोगों को मुफ्त रोटी दे जिनके पास न अन्न है और न पैसा है।

एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में बातें हुई थीं कि किसको मुफ्त रोटी दी जाय। उसकी आप एक कसौटी बना लें। जो आदमी असहाय है, जो अन्न संकट से बिलकुल पीड़ित है और जो इस मांग को लेकर तैयार होता है कि रोटी दो या जेल दो। जिसके पास रोटी न होगी वही तो कहेगा कि अगर आप रोटी नहीं दे पाते हैं तो जेल दो। इसलिये इस मद में माननीय चौधरी साहब कम से कम ३ करोड़ रुपया रखें और जो जनता अन्न संकट

से पीड़ित है उसको मुफ्त रोटी दी जाय। अगर इसमें ३ करोड़ से भी ज्यादा रुपये की आवश्यकता हो जाय तो वह भी किया जाय, क्योंकि आखिर रुपया और कानून इंसान के लिये है न कि इंसान रुपये और कानून के लिये। अगर इंसान दयनीय स्थिति में कराह कर मरता है और आप दूसरे कामों में रुपया खर्च करते हैं, बड़ी-बड़ी आलीशान अट्टालिकाओं में रुपया लगाते हैं तो वह बेकार है।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुने और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने विचारों को इस सदन में व्यक्त किया, और जो दर्द उनके दिल में मुल्क की बहबूदी के लिये है, मैं उनकी उस उदारता का सम्मान करता हूं। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि विचार और भावना के द्वारा कामनसेंस को बहा दिया जाय और फिर सदन में भाषण कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। जब उन्होंने यह कहा कि सरकार को इस मद में अधिक रुपया लगाना चाहिये था तो उसके साथ उनको यह भी बता देना चाहिये था कि सरकार कहां से उस रुपये की बचत कर सकती थी जहां कि आज जरूरत से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। उस रुपये को इस आइटम में डाइवर्ट होना चाहिये। केवल वैसे ही दिमागी उड़ान में अपने तर्क को ले जाते हैं तो हम मुल्क को भूल जाते हैं। जब हम मुल्क के अन्दर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिये हमारे पास जरिये और साधन होंगे तभी कोई काम किया जा सकता है। अगर ऐसे भाषण किये जाते हैं जिनमें उस दृष्टिकोण को न रख कर हम दिमागी ऊंची उड़ान उड़ते हैं तो हम समय को बरबाद करते हैं।

मैं बतला देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो दुर्भिक्ष की परिभाषा बतलायी जाती है उसे हम किसी तरह से भी दुर्भिक्ष नहीं कह सकते हैं। जब किसी कंट्री में रेगुलर फीचर ही दुर्भिक्ष का हो जाता है तो वह दुर्भिक्ष न रह कर एक साधारण-सी चीज हो जाती है। दुर्भिक्ष तो वह है जो ५ साल, १० साल या १५, २० साल के बाद कभी-कभी कोई असाधारण परिस्थिति मुल्क में उपस्थित हो जाती है। लेकिन अगर वर्षों से उसी प्रकार की परिस्थितियों का दौर चलता है तो उसे हम दुर्भिक्ष कहने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आपको बतलाऊं कि दुर्भिक्ष केवल गड मेड चीज नहीं है बल्कि उसके पीछे इन्सान का भी हाथ है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बजट के आइटम्स को देखने के बाद मैं आपसे निहायत अदब के साथ कहूंगा कि मुल्क के साथ इन्साफ होना चाहिये। क्या कारण है कि इस उत्तर प्रदेश के बजट में जनता के उस वर्ग के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिनके पास कोई जरिया नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई खेती व तिजारत नहीं है? इस बजट में बाढ़ की बात भी आयी है लेकिन मैं देखता हूं कि उन गरीबों के लिये कुछ भी बजट में नहीं रखा गया है। सन् १९५४ में इस मद में कम्बल बांटने के लिये रकम रखी गयी थी और कम्बल बंटे भी थे लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या कोई शख्स जो भूखा हो वह कम्बल खाकर रह सकता है? मैं आपको उन आंकड़ों को दृष्टिगत कराना चाहता हूं जिससे मालूम होगा कि कोई भी आदमी हमेशा के लिये भूखा नहीं रह सकता है। जहां हम बाढ़ के बारे में विचार करते हैं वहां विचारों की बाढ़ में अधिक बह जाते हैं और इस सदन में भी भाषणों की बाढ़ आ जाती है। अगर हम कामयाबी के साथ अपने बजट के ऊपर कंट्रोल रखें और आइटम के अनुसार मुल्क की व्यवस्था करें तथा आगे चलने की कोशिश करें तो क्या कारण है कि हम उत्तर प्रदेश के इन करोड़ों आदमियों के खाने का इन्तजाम नहीं कर सकते।

मुझे बड़ा खेद है कि इस बजट में व आइटम में जो व्यवस्था की गयी है वह केवल उन्हीं लोगों के लिये है जिनके पास खाने-पीने को है, उन्हीं के लिये है जो पूंजीपति हैं और बड़े-बड़े लोग हैं। बड़े-बड़े लोन भी उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं। क्या आप गरीबों को लोन देने के कोई आंकड़े बतला सकते हैं? आप अपनी किताबों में उनके आंकड़े ढूंढें कि अब तक आपने कितने लोगों को रिहैबिलिटेट किया है। मैं कहता हूं कि आपने अभी तक इस सम्बन्ध में

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कुछ नहीं किया है और न कर रहे हैं और इसके लिये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप ग्रामीणों की बात तो करते हैं लेकिन उनके लिये कुछ नहीं करते हैं। प्लानिंग की बात भी बहुत कही जाती है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो मालूम यही होगा कि प्लान तो कुछ नहीं बना लेकिन जिस तरह से पानी नहीं बरसने की वजह से खेत सूख जाते हैं उसी तरह से हमारे चरित्र सूख गये और विचार मुरझा गये, और हमारे उच्च विचार और काम खत्म होते हुए नजर आते हैं। इस बात का हमें अफसोस है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर हमको १० रुपया डी० ए० और २०० रु० एलाउन्स मिलता है तो हम कोई सरकारी नौकर तो हैं नहीं। आज यह असेम्बली स्वतन्त्र देश की है, हम गुलाम नहीं हैं। जो हमारे विचारों पर प्रतिबन्ध लगाता है, मुल्क के विचारों को सदन में आने से रोकता है वह मुल्क के साथ दगा करता है। जो मुल्क की असली हालत को छिपा कर दिमागी उड़ान से मुल्क को ऊंचा उठाना चाहते हैं उससे काम नहीं चलेगा। मैंने सरकार से कहा कि जो कदम उठाये दृढ़ता के साथ उठाये। जो बाढ़ की बात है, मैं कहता हूं कि हमारे विचारों और बजट में भी बाढ़ है। किसी तहसील में कोई बजट ही नहीं है। बजट ने उसको भी सुखा डाला। मैं मानता हूं आसमान में बादल आये, कहीं बरसे कहीं नहीं बरसे, आपका बजट भी उसी की नकल कर रहा है। ऐसे बजट की क्या तारीफ करूं?

"The common problem your's, mine, everyone's, is not to fancy what were fair in life, provided it could be, but first finding what may be and then find how to make it fair up to your means—a very different thing.

No abstract intellectual plan of life, quite irrespective of life's plainest laws But once a man, who is man, and nothing more,'may lead within this world."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका तर्जुमा किये देता हूं। यह दुनिया साधारण बुद्धि से चला करती है पोयट और फिला फ़र्स से नहीं चला करती है। इसमें इंसान का तजुर्बा रखने वाला, जिसने इनसान को हैंडिल किया है वही दुनिया को हैंडिल कर सकता है। हम किताबों और अखबारों को हैंडिल करने के लिये सदन में नहीं आये। हम दुनिया में मानवता का संचार करने के लिये, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये सदन में आये हैं। इसलिये मैं कहता हूं साधारण बुद्धि से काम लेने की जरूरत है।

मुझे खेद है हमारा जिला बिल्कुल अन्धकार में पड़ा हुआ है। मैं जब बरेली से इलाहाबाद जाता हूं तो क्या अर्ज करूं उपाध्यक्ष महोदय, रास्ते में कोई भी डाका डाल सकता है। कहीं बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बड़े-बड़े लोगों को बिजली मिल जाती है। अगर हममें मानवता है तो हम उस गरीब की जगह पर अपने को क्यों नहीं खड़ा करते हैं?

अब मैं दुर्भिक्ष के बारे में अर्ज करूं कि १५,००० नौजवान मुल्क में आज नौकरियों पर नियुक्त होते हैं। लेकिन यह भी ३, ४ साल से बन्द हो गया है, रिटायरमेंट की एज ५८ कर दी गई। बुड्ढों को बरकरार रखा जा रहा है जिनको कुर्सियों पर नींद आ रही है। क्या तरक्की चाहते हैं? उनकी तरक्की जो कुछ होनी थी हो गई। मैं कहता हूं 'दे आर अनफिट टु कन्टीन्यू एनी फर्दर'। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि वह फौरन उसको वापस ले और रिटायरमेंट एज ५५ साल ही रहना चाहिये अगर मुल्क के अन्दर से दुर्भिक्ष खत्म करना है। आल इंडिया बेसिस पर जब यह डिसीजन हुआ तो हर स्टेट ने इसका विरोध किया तो फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे मान्यता दी? क्या उत्तर प्रदेश इतना समृद्धशाली है जो इस प्रकार का डिसीजन उसने लिया? यह बहुत बुरी बात है। जो लोग मरने को हैं, कब्रिस्तान की तरफ अग्रसर हैं उनको अ, आ, इ, ई पढ़ाई जा रही है और जो दूध पीते बच्चे हैं उनके लिये कोई कम्पल्सरी एजूकेशन की व्यवस्था नहीं है और उनकी यह अज्ञानता १०० साल तक इस मुल्क को बरबाद करेगी। ५ साल में वे मरें या १० साल में वे मरें, उनके पढ़ने से क्या फायदा मुल्क

को होगा ? यह बुद्धि का दुर्भिक्ष नहीं है तो क्या है ? अगर दुर्भिक्ष को हटाना है तो फिर पहले अपने विचारों के दुर्भिक्ष को हटाओ, लेकिन आप बात करते हैं मुल्क के दुर्भिक्ष को हटाने की।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)——मैं निवेदन कर रहा हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय। किसान जो है बेचारा, पीछे बैठने वाला वह भी बोल सके। सबको मौका दिया जाय। यह खास विषय बोलने का है जो कि किसानों से सम्बन्धित है। दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में तो हमारे नेता जानते भी नहीं हैं कि दुर्भिक्ष किस को कहते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका आपने दिया। इस कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि इसमें जो रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। यह दुर्भिक्ष का मसला खास कर पूर्वी प्रान्त के लिये ऐसा मसला बना हुआ है कि और इसमें धन-जन लगा कर न जुटा गया तो यह चीज हमेशा के लिये हमारे प्रान्त पर लद जायगी। कई साल से पूर्वी जिले दैवी आपत्तियों से ग्रसित रहे हैं और जब हम लोग यहां कहा करते थे, तो हमारे बहुत से मित्र हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। आज हमारे पश्चिमी अंचल में ३ साल से जो बाढ़ व बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने परमात्मा को हंस कर रुष्ट किया था, और यह बवाल अपनी ओर मंगा लिया।

माननीय चन्द्रसिंह रावत जी ने राजनारायण जी के भाषण पर एतराज करते हुए कहा कि इस मद में कम रकम रखने के लिये जो कहा गया तो उन्होंने यह नहीं बतलाया कि वह रुपया कहां से लाया जाय। मैं उसके लिये बतलाऊंगा कि दूसरी मदों में जो रुपया रखा गया है, विलासिता की सामग्री के लिये उसे कम किया जाय। कितने शर्म की बात है कि एक तरफ तो देश के नागरिक दाने-दाने को मोहताज हैं, सड़कों पर जो मैला-कुचैला पड़ा रहता है, उसमें से अन्न बटोर कर गरीब किसान व मजदूर अपना जीवन निर्वाह करते हैं या जो खेत कट जाते हैं उनमें मिट्टी छान कर अन्न निकाल कर गुजारा करते हैं और दूसरी तरफ ८, ८ लाख रुपये सजावट में खर्च किये जाते हैं, १८, १८ लाख रुपये नाचघर तथा अजायबघर बनाने के लिये खर्च किये जाते हैं। जरा-जरा से फासले पर बंगले हैं और १५०–१५० रुपये भत्ता सवारी का दिया जाता है। सन् १९५७ से पहले जब चुनाव हुआ था तो वित्त मंत्री जी ने पान व फूल के नाम पर १०० रुपये की कटौती मंत्रियों के वेतन में की थी मैं तो यह कहूंगा कि दुर्भिक्ष को रोकने के लिये मंत्री महोदय अपने भत्ते तथा तनख्वाह में से काट कर दें। पैसे की कमी बजट में नहीं है। पैसा बहुत है। बजट में थोड़ी बहुत चीजें तो ऐसी रख दी गई हैं जो जनसाधारण, किसान और मजदूर के लिये हैं। लेकिन होता क्या है कि दुनिया भर के विलासिता के सामान, ऐशो-इशरत के सामान बनाये जा रहे हैं। हर जगह वही काम होता है जिससे बड़े बड़ों को फायदा होता है। अगर १६ हजार रुपया लगा कर हमारे जिला में बंधा बनवा दिया गया होता तो कम से कम एक हजार एकड़ जमीन बाढ़ से बचती और उसमें १० हजार मन गल्ला बचता, लेकिन नहीं हुआ और १६ हजार रुपया ए० बी० ब्लाक के बीच ५० गज की सड़क—जहां पर मंत्री महोदय के जाने पर कभी हचका लग जाता है——उसके लिये मंजूर किया गया है। तो पैसे की कमी नहीं है। जहां मंत्री जी अपने और विभागों में मेहनत करते हैं और जोर देते हैं, उसी तरह दुर्भिक्ष वाले मामले पर भी काफी जोर दें, क्योंकि यह एक मूल चीज है अपने प्रान्त में। जब तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा कुछ नहीं होगा।

यह ३५,६७,१०० रुपये की रकम है, मैं इसमें भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका दसवां हिस्सा भी जनसाधारण के काम में नहीं आता है। यह फिजूलखर्ची में बरबाद होता है। मैंने भी अब की बाढ़ के समय घूम कर देखा है। एक नाव देते हैं, उस पर एक पेशकार रहता है, चार-चार मल्लाह रहते हैं, और तीन-तीन चपरासी रहते हैं। सामान एक बोरा

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

नमक, दो दर्जन सलाई और एक टिन मिट्टी का तेल। मैंने उनसे पूछा कब तक बंटेगा? उन्होंने कहा कल तक बांटेंगे। तो २० रुपये का सामान और उस पर २०० रुपया खर्च किया जाता है।

एक बात मैं फरेंदा तहसील के बारे में कहूंगा। जो रुपया वहां पर हर साल दुर्भिक्ष के लिये बरबाद किया जाता है अगर वह रकम उन कारणों पर खर्च किया जाय, जिनसे कि वह चीज (दुर्भिक्ष) पैदा होती है तो बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। हमारे यहां रोहिन, बघेला, महाव और प्यास (झरई) नदियां हैं। मामूली बंधों से उनका काम चल सकता है। सन् १९४७ से लगातार टूटते-टूटते आज उनके किनारों की हालत ऐसी खराब हो गई है कि किसान उसको श्रमदान द्वारा नहीं सम्हाल पाते हैं। अगर उनकी सहायता कर दी जाती तो वहां बाढ़ नहीं आती और कम से कम ४ हजार एकड़ की फसल बच सकती थी। कम से कम ६० हजार मन गल्ला बचा कर हम प्रान्त का कितना बड़ा कल्याण कर सकते हैं? लेकिन उस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता। ६२--६२, और ६६--६६ हजार रुपये से ट्यूबवेल बनाये जाते हैं, लेकिन बिजली नहीं पहुंचती और ट्यूबवेल नहीं चलते। हमारे यहां छोटे-छोटे नालों पर पुल बनाये जा सकते हैं ४ हजार रुपये में। इससे तीन फायदे हो सकते हैं। आवागमन के साधन बन सकते हैं और लोगों को व्यवसाय मिल सकता है और उसी में फाटक के लिये दराज खोल कर पहरा डाला जा सकता है जिससे नदी के किनारे के खेतों की सिंचाई हो जायगी। जिससे खरीफ की फसल हो जायगी और उसी से रबी की सिंचाई भी हो सकती है और रुपया सिर्फ ४ हजार, ६ हजार लगेगा, लेकिन किसी का ध्यान इधर नहीं है। सिर्फ इसलिये कि अधिकारियों को उसमें खाने को नहीं मिलेगा। जितना बजट बढ़ता जाता है उतनी ही हमारी तकलीफें बढ़ती जाती हैं। मैं आदरणीय राजनारायण जी का समर्थन करूंगा कि कम से कम इससे (दुर्भिक्ष) तिगुनी, चौगुनी रकम और रक्खी जाय। और खर्च इस तरह से किये जायं जैसे कि मंत्री जी ने बिजली तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कंट्रोल करके उन्हें परेशान किये हैं और अधिकारी सोचते हैं कि कहीं मोअत्तिल न हो जायं इस रुपये को भी उतनी ही मुस्तैदी से खर्च करावें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे हल्के में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है और प्रदेश को भी सहायता मिल सकती है, क्योंकि काफी गल्ला वहां से मिलेगा।

अब की बार बहुत कम रुपया रखा गया है और उसकी वजह यह भी बतायी जायगी कि इस बार बहुत बम्पर क्राप हुई है। इस साल के आंकड़े जो अधिकारियों ने आप को दिये हैं वे फिर बहुत गलत हैं। खरीफ की लेट पैडी में तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अर्ली पैडी उसके मुकाबिले में १६ आने बरबाद है। लेकिन रिपोर्ट यह है कि बम्पर क्राप हुई है और इसका नतीजा यह हुआ है कि चावल १ सेर ४ छंटाक का बिकने लग गया है। सरकारी अधिकारियों के आंकड़ों और उनकी बातों का ख्याल कर के यह अनुदान रखा गया है तो यह बहुत बड़ी भूल होगी, प्रान्त के लिये बहुत बड़ी मुसीबत का वायस होगा, और उसका नतीजा बाद को भुगतना पड़ेगा। अगर थोड़ी कमजोरी हो, उस वक्त इलाज कर दीजिये तो मरीज जी सकता है। लेकिन जिस वक्त मरीज का मर्ज लाइलाज हो जाय और वह काफी कमजोर हो जाय अगर उस वक्त आप उस को कुछ भी दे दें, तो उसके लिये सब बेकार हो जायगा। तो पैसा ही खर्च करना काफी नहीं होगा, बल्कि यह भी देखना होगा कि एक-एक पैसा जो खर्च किया जाय वह बेकार न खर्च किया जाय।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अभी दो-तीन माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मेरे मन में भी यह अभिलाषा हुई है कि मैं भी अपने विचार व्यक्त करूं। माननीय राजनारायण जी जिस समय बोल रहे थे उस समय उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि दुर्भिक्ष

है भी या नहीं सरकार इसको भी नहीं मानती । मैं नहीं समझ सका कि ऐसे आदमी भी ऐसी बात कह रहे हैं । यदि दुर्भिक्ष न मानती तो यह ग्रान्ट कहां से आयी ।

दूसरे हमारे साथी माननीय सदस्य श्री गेंदासिंह जी ने एक बात कही थी । उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के कोने-कोने में दुर्भिक्ष है । पहले तो प्रदेश के एक कोने में पूरब में दुर्भिक्ष था, लेकिन आज पश्चिम में भी है और हर कोने में है ।

रावत जी ने एक तीसरी बात कही कि दुर्भिक्ष यदि ऐसी परिस्थितियों में हो जिसमें दो तीन साल तक लगातार यह व्यवस्था रही हो कि अनाज की पैदावार कम हो, अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो या असामियक वृष्टि हो, यदि इस तरह की चीज लगातार चलती रहे तो वह दुर्भिक्ष नहीं कहलाती । मैं माननीय रावत जी के इस सिद्धांत को मानता हूं । अकाल एक विशेष समय के लिये होता है जिसका कोई समय नहीं होता ।

माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि हर साल उन्हीं को इस विषय पर बोलना पड़ता है । उनकी इस बात पर मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ गया । "यादृशी भावना यस्य, सिद्धि-र्भवति तादृशी" । मैं अपने २ साल के अनुभव से कह सकता हूं कि जब कभी माननीय गेंदासिंह जी यहां हाउस में कुछ कहते हैं तो उनको दुर्भिक्ष ही नजर आता है । किसी भी प्रश्न पर बोलेंगे उनके पास एक ही बहस है कि हमारे प्रान्त के अन्दर दुर्भिक्ष है । उनको कमी ही कमी नजर आयेगी । मैं मानता हूं कि दुर्भिक्ष है, अकाल है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, परन्तु इसके साथ साथ जैसा कि माननीय लहरी जी ने कहा कि हमको यह भी देखना चाहिये कि यह सब चीज है तो सही, लेकिन उसके निराकरण को सोचने की बात है । जैसे कि राजनारायण जी ने कहा कि हरिजन वहां मर गये और पिछड़े भाई मर गये, जैसी कि उनको कभी-कभी हरिजनों की याद आ जाती है वैसी ही यह दुर्भिक्ष की बात है और वैसे ही सरकार कह दिया करती है कि पैसा कम है । पैसा तो कम है मगर वैसा ही है जैसे कि हरिजनों को ऐसी बातें कह कर खुश कर देते हैं । जैसा कि माननीय गेंदासिंह कह रहे थे कि प्रान्त के हर कोने में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण ऐसी व्यवस्था हो गयी है जिससे गेहूं के और अनाज के भाव ऊंचे हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से नहीं होता है । तो यह चीज तो सब मान रहे हैं कि यह चीज है ।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि स्त्री पुरुष में कोई भेद की बात नहीं होनी चाहिये । वह अपने शरीर को नापने के बाद अनुभव करते होंगे कि अगर सबसे ज्यादा बोलने की बात आ जाती है तो वही सबसे ज्यादा बोल लेते हैं, हम तो वंचित रह जाते हैं । उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त है जिसकी वजह से बोल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिसके अन्दर क्षमता होती है वही यह कर सकता है । जिस संस्कृति में हम पले हैं, हम जानते हैं कि स्त्रियों के अन्दर पुरुषों से कम क्षमता होती है । उधर से स्त्री पुरुषों की मजदूरी में बराबरी की बात कही जाती है अगर बराबरी और अधिकार की समानता की बात है तो क्यों नहीं उधर के बैठने वाले जो हैं उन्होंने किसी मेम्बर को स्त्रियों की तरफ से चुनकर भेजा ? अगर अपने साथ किसी देवी को लाये होते तो हम समझते कि उनकी करनी और कथनी में अन्तर नहीं है, परन्तु कथनी और है, करनी और है । मुश्किल से इस विरोधी पक्ष में केवल एक महिला आई हैं और वह भी बाई-एलेक्शन में । तो मजदूरी के अन्दर कहते हैं कि बराबरी के अधिकार देने चाहिये, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है । स्त्रियों के प्रति तो हम अपने से ज्यादा आदर का भाव रखते हैं, उनसे इस प्रकार से परिश्रम कराना तो हमारी परम्परा और संस्कृति के विरुद्ध है । अगर कहीं सामान ले जाने की बात आती है तो पुरुष अपने आप वहन करता है । आपने देखा होगा कि प्राचीन पद्धति ऐसी है कि अगर कोई वाहन है, घोड़ा है तो पुरुष स्वयं नहीं बैठता बल्कि अपनी स्त्री, माता और बहिन को बिठाता है । तो स्त्रियों का दर्जा तो हमारे यहां ऊंचा रहा है । तो मैं माननीय राजनारायण से कहूंगा कि अगर वह अधिकार की बात करें तो उनको ऐसे अधिकार दें जो उनको शोभा दे और हम को भी शोभा दे ।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुर्भिक्ष की अवस्था है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण बड़ी परेशानी सारे मुल्क में फैली हुई है । उसके साथ में जैसा कि माननीय रावत ने कहा कि हम व्यवस्था अगर उस दिशा में कर सकें जहां से खतरा उत्पन्न होने वाला है तो मेरा विश्वास है कि हम बहुत-सी समस्यायें हल कर सकेंगे । आज हालत यह है कि रुपया तो जो कुछ मिलता है वह है ही लेकिन वह इतनी देर में पहुंचता है कि जो कुछ काम होना चाहिये वह नहीं हो पाता । मैं आगरे की बात कहूं कि एक नाले के लिये ३५–४० हजार रुपया खर्च होना था । गांव वालों ने कहा कि हम नाला अपने परिश्रम से बनायेंगे और मैं मंत्री जी को बतलाता हूं कि वह नाला ५,००० रु० के अन्दर बन गया और ३५ हजार रुपया बच गया और बड़ी राजी-खुशी से वह आदमी जो अपने खेतों से नाला निकालने के लिये मना कर रहे थे वह निकाल सके। तो यदि हम इसमें थोड़ा-सा ध्यान दें तो अपने प्रान्त का भला कर सकेंगे और जो कठिनाइयां हमारे सामने हर साल आ जाया करती हैं उनको दूर करने में सहायक होंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण जी द्वारा किये गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कुछ कंट्राडिक्टरी तथ्य रखे जो मेरी समझ में नहीं आये । उन्होंने कहा कि गेंदा सिंहजी न मालूम क्यों रोज खाने की बातों की चिल्लाहट करते हैं ? श्रीमन्, यह खाने का रोदन ही तो है जिससे हमें एक अलग आइटम बनाना पड़ा और उसका दुर्भिक्ष नाम रखना पड़ा । लेकिन खैर, उन्होंने इतना तो माना कि दुर्भिक्ष है । हमारा यही तो झगड़ा है कि फैमिन कोड के अन्दर जैसी चाहिये वैसी रिपोर्ट कलेक्टर या पटवारी नहीं देते इसलिये आप दुर्भिक्ष नहीं मानते । माननीय सदस्य को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह तो माना कि फैमिन कन्डीशन्स एग्जिस्ट करते हैं । माननीय मंत्री जी से यही तो झगड़ा है कि वे दुर्भिक्ष नहीं मानते क्योंकि कलेक्टर नहीं कहता और कलेक्टर इसलिये दुर्भिक्ष नहीं मानता क्योंकि तहसीलदार नहीं कहता और तहसीलदार इसलिये दुर्भिक्ष नहीं मानता क्योंकि लेखपाल नहीं कहता । और यह बात श्रीमन्, एक ही जगह की नहीं है । मैं अपने यहां की बताता हूं कि न मालूम कितने पत्र मैं लिखता रहा हूं कि अल्मोड़े जिले की बड़ी खराब हालत है और माननीय अली जहीर साहब जो पहले खाद्य मंत्री थे उन्होंने यह तसलीम किया है कि नार्मल कन्डीशन्स में भी पहाड़ों पर उनकी जरूरत का १/३ पैदा होता है तो अबकी तो ऐबनार्मल स्थिति थी, लेकिन हम कहते ही रह गये मगर कुछ हो नहीं सका ।

एक दिक्कत हमारे यहां यह है कि डिप्टी कमिश्नर बड़ी जल्दी-जल्दी ट्रांस्फर होते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि हम जल्दी ही रिपोर्ट भेज देंगे मगर उनका ट्रांसफर हो गया । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिनको ट्रेनिंग देनी होती है उनको अल्मोड़े के बार्डर जिले में न भेजा जाय, क्योंकि बार्डर का मसला बड़ी अहमियत रखता है, वहां से एक दूसरा मुल्क शुरू होता है । लेकिन वहां नये-नये डिप्टी कमिश्नर आते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम सच्ची हालत लिख दें तो मंत्री जी नाराज हो जायं और कहें कि तुम इनएफिशेन्ट हो, बहुत ज्यादा रुपया मांगते हो । और अकाल की बात केवल गेंदा सिंह जी ही नहीं कहते, फूडग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी कहती है, अशोक मेहता कहते हैं, आज भारत सरकार कहती है और डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने खुद इस बात के लिये एम० पीज० का सम्मेलन बुलाया था कि पूर्वी और पहाड़ी जिलों की हालत खराब है । तो "जाके पांव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई" वाली मसल है । उनको जाती इल्म तो है नहीं, गेंदा सिंह जी भुक्तभोगी हैं, हम भुक्तभोगी हैं, हम जनता के बीच में रोज पैदल यात्रा करते हैं, केवल दिखावे के लिये एक रोज नहीं जाते, हम ज्यादा जानते हैं ।

दूसरे उन्होंने राजनारायण जी के बारे में कहा कि राजनारायण जी स्त्रियों और पुरुषों में समानता चाहते हैं, लेकिन राजनारायण जी सदन में ज्यादा बोल लेते हैं और हमको उतना बोलने को नहीं मिलता । तो न मालूम माननीय सदस्य अपने को क्या समझते हैं यह मैं उन्हीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर छोड़ता हूं। असल में किसी साल सूखा पड़ता है तो किसी साल बहुत ज्यादा पानी पड़ता है। इसका एक ही उपाय है कि जैसे भाखरा नांगल डैम बना है वैसे ही एक डैम बनाया जाय, क्योंकि तीन-चौथाई पानी पहाड़ों पर से ही आता है चाहे वह नैपाल के पहाड़ों से आये या कुमायूं के पहाड़ों से आये। तो इस तरह से वह पानी रोका जा सकता है और गर्मियों में जब पानी की कमी होती है तो छोड़ा जा सकता है।

एक बात माननीय चन्द्र सिंह जी ने कही कि रुपया कहां से आये, हमारी भी शिकायत है कि ज्यादा रुपया रखिये। मैं बताता हूं कि रुपया कहां से आये। माननीय राज्यपाल का जो पद है वह समाप्त कर दीजिये ५,५४,००० रुपये की यह बचत हो जायगी। लोग कहते हैं कि त्याग करिये लेकिन २३ सीढ़ियां संगमरमर की नहीं चढ़ पाते। "फर्शे मखमल पे मेरे पांव छिले जाते हैं।" ३,२७,००० का तखमीना पारसाल रखा गया जिसमें से ३७,००० खर्च करने की बात थी। दारुलशफा में भी लिफ्ट लगाई गई। बड़े ताज्जुब की बात है कि २० सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती हैं। वैसे तो पैदल यात्रा करते हैं लेकिन २० सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं।

दूसरे श्रीमन्, गवर्नर के पद को समाप्त न भी किया जाय तो २२,६०० रुपये का पर्दों का खर्चा है जो पुराने साल १६,००० रुपये का अलग था, सज्जा पर १६,००० और लिफ्ट पर ७५,००० रुपये को बचाया जा सकता है। इसके अलावा श्रीमन्, बाईकेमरल हाउस के रखने की क्या जरूरत है? यानी अपर हाउस को खत्म करने से काफी बचत हो सकती है। ४,२५,००० एक, ३४,००० एक, १,५०,००० एक, इस तरह से काफी बचत हो सकती है। इसी तरह से असेम्बली के इतने मेम्बरों की क्या जरूरत है? इस समय ४३० हैं, हम इनको आधे कर दें और भी कम करके १०० ही रख दें क्योंकि ज्यादा रखने से कोई फायदा नहीं है। यह क्यों ढेर के ढेर आ गये, इससे कुछ कदर नहीं होती है। हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है और लेखपाल जो लिखता है वह ब्रह्म वाक्य हो जाता है, चित्रगुप्त का वाक्य हो जाता है।

इसी तरह से श्रीमन्, जीप हैं, मोटरें हैं। इनके सम्बन्ध में सरकार का हुक्म निकल गया है कि पहली अक्तूबर से विदड्रा कर ली जायंगी। इस तरह से लाखों रुपये की बचत हो सकती है। क्यों नहीं आज तक जीपें वापस हुईं? यह दोनों तरफ से मांग की गई थी। पुराने अफसरों को छोड़ दीजिये लेकिन जो नये अफसर रखे जाते हैं उनको ३ हजार तनख्वाह क्यों देते हैं। एक हजार से ज्यादा किसी को तनख्वाह न दी जाय। वन विभाग में २५ रुपये की नौकरी बनाई गई हैं और सरकार कहती है कि थोड़ा-सा घूस खा लो, यह अबेटमेंट है। श्रीमन्, और ज्यादा न कहते हुये इतना कहना चाहता हूं कि आज सुल्तानपुर और रायबरेली वगैरह की हालत बहुत खस्ता हो गई है।

माननीय मंत्री जी फैक्ट्स एन्ड फीगर्स की तैयारी में हैं। हमारी कहां सुनवाई होती है। शायद अभी भी उन्होंने नहीं सुना और कुम्भकरण की नींद अभी नहीं खुली। श्रीमन्, पहाड़ों में आलू खराब हो गया है। उसी पर वहां के लोग जिन्दा थे। गेहूं इस साल अच्छा हुआ था और आप ने पढ़ा होगा कि बर्फ और पानी पड़ रहा है और उसमें गेरुआ लग गया है। हमारे दिल में अरमान उठे थे कि इस साल पेट भर के खायेंगे लेकिन वह भी छिन रहा है। सेक्यूलर स्टेट से भगवान नाराज नहीं होगा तो कौन होगा। श्रीमन्, जैसा कि दुतरफा प्रस्ताव रखा गया है, ज्यादा से ज्यादा दिया जाय। पिछले साल के आंकड़े ५ करोड़ कुछ लाख के थे, लेकिन इस साल ६७,६७,००० रुपया ही रखा गया है। मेरी अर्ज यह है कि व्यवस्था कर दी जाय। अगर बचत रहेगी तो आप की रहेगी। लेकिन कम से कम रख दिया जाय कि कहीं ऐसा न हो आपको सप्लीमेंटरी ग्रान्ट लानी पड़े। ईश्वर न करे ऐसा हो।

मैं अर्ज करूंगा कि हमने जो अर्ज किया था कि धौलादेवी-खेती, छड़ोंदगेल और धौलाछीना पनऊआ नाला में टेस्ट वर्क खोल दिये जायं। लेकिन श्रीमन्, इन तीन जगहों में से केवल एक जगह पर खोला गया है और वहां की हालत इतनी खराब है कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

औरतें काम करने के लिये आती हैं। श्रीमन्, मैं पहाड़ की बात बताना चाहता हूं कि वहां पर औरतें मर्दों के बीच में काम नहीं करती हैं, वह अलग काम करती हैं। मर्दों के बीच में औरतें काम करने में शरमाती हैं। वहां श्रीमन्, इतनी हालत खराब हो गई है कि मर्दों के बीच में औरतें काम कर रही हैं।

भगवान् ने एक और आफत कर दी है कि जलजले आने वहां शुरू हो गये हैं। यानी दिन में तीन बार हिला देता है। हिलाना चाहिए लखनऊ में जहां सोते रहते हैं। वहां अब तक ५०-६० जलजले आ गये। हमने पहले दिन आकर कहा कि तीन, चार आदमी मर गये, घर गिर गये और सबसे पहले जो विकास की इमारतें थीं वह कागज के मकानों की तरह टूट कर गिर पड़ीं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुजिश्ता साल एक हजार रुपया, १८ बंडल दियासलाई, ९ बंडल बीड़ी, १८ बोतल मिट्टी का तेल दिया गया था। हम कहते रह गये कि वहां की हालत खराब है। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी नाराज नहीं होंगे बल्कि इसकी ओर ध्यान देंगे। वह ऐसा न सोचें कि हम विरोधी होने के नाते ऐसा कहते हैं। माननीय मोहन सिंह जो कांग्रेस के हैं अल्मोड़ा में सब से पहले जेल गये थे उनसे पूछ लें। लेकिन उनको तो कोई मतलब है नहीं। हम जानते हैं। उनके बीच में रहते हैं। शायद हम भी अगर राज्य करने लग जायंगे तो भूल जायंगे। नयी पार्टी जो आयेगी वह देखेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि अल्मोड़ा में टेस्ट वर्क्स खोले जाने की सख्त जरूरत है और मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह अर्ज करता हूं कि वह यह मांग बढ़ाने की कृपा करें।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री द्वारा जो अनुदान पेश किया गया है, उस पर विरोधियों की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

आज हमारे प्रदेश के पूर्वी जिले मुतवातिर पांच वर्ष से सूखा और बाढ़ से बरबाद हुआ करते थे जिनके यहां दुर्भिक्षों की संख्या अधिक थी। लेकिन अब तो पश्चिमी इलाके में भी बीमारी धीरे-धीरे फैल रही है। अकाल जैसे दैवी प्रकोपों से प्रदेश की दशा गिरती जा रही है। मुझे एक चीज याद आती है। जब मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, करीब सांयकाल के ६ बजे थे। रास्ते में एक हरिजन टोली पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो करीब २१ घर थे और मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि उस टोली में धुवां तक नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद वहां कोई मइयत हो गयी होगी या कोई पर्व होगा इसलिये भूखे होंगे। लेकिन जब गांव में पहुंचा तो मालूम हुआ कि आज मुतवातिर तीन रोज से बारिश हो रही है और वे लोग मजदूरी किसी किस्म की नहीं कर पाये और उन लोगों के पास पैसा नहीं था, खाने की सामग्री कहां से लायें? एक हरिजन के दालान में मैं बैठा था। उसके सिकहर पर एक छोटी सी डलिया टंगी थी। उसमें दो आम की गुठली की रोटियां पड़ी थीं। मैंने उतार कर देखा और पूछा कि वह किस चीज की रोटी है। उन्होंने कहा कि आम की गुठली की रोटी है और मेरे घर में छः व्यक्ति हैं। अगर मौका मिला तो दूकान से दो चार आने का शीरा ले कर इसमें से टुकड़ा-टुकड़ा खाकर आज की रात काटेंगे। आज हमारे सूबे की हालत ऐसी है।

अभी-अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे---ठाकुर गेंदा सिंह जब भी खड़े होते हैं तो बार-बार दुर्भिक्षों की समस्या सामने लाते हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ठाकुर गेंदा सिंह के नेत्रों से और इन विरोधियों के नेत्रों से या उधर के बैठे हुये सदस्यों के नेत्रों से दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में जिनके हृदय के अन्दर सद्भावना है, उनके नेत्रों से वह देखें कि आज दुर्भिक्ष के ऊपर क्या गुजर रही है? मैं जानता हूं कि उनके दरवाजों तक इन माननीय सदस्यों की तस्वीरें नहीं जाती होंगी। इसलिए इनको यह इल्म नहीं, यह मालूम नहीं कि दुर्भिक्ष अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहा है। आज दुर्भिक्षों के लिए कौन-सा सहारा है? एक मात्र मजदूरी के ऊपर वह अवलम्बित है। मजदूरी की दशा जैसे टेस्ट वर्क को ले लीजिये, अगर वह ८ फर्लांग, ६ फर्लांग, ५ फर्लांग की दूरी से मिट्टी काटकर ले जाते हैं और फेंकते हैं तो वह आठ आने, सात आने, नौ आने के हिसाब से मजदूरी

उनको दी जाती है। श्रीमन्, इनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। राजस्व मन्त्री जी अनुदान में शायद अगर मुझसे भूल न होती हो तो ३५ लाख रुपया लाये हैं। इससे होता क्या है? आज आप के देश में कम से कम ३० प्रतिशत यह दुर्भिक्ष है। आप दुर्भिक्ष की संख्या इससे आंक सकते हैं कि आगरा जाकर पागलों के अस्पताल में देख लीजिए। आज वह भूख से पीड़ित होकर के पागल हो रहे हैं। आज पागलों की संख्या अधिक बढ़ती जा रही है। अगर आप को यह अनुमान लगाना हो तो जाकर के वहां देखें कि वह खाने की वजह से--उनको गिजा नहीं मिलता है इसलिये पागल हो रहे हैं। हालत यह है कि आज उनके पास कोई साधन नहीं है। जब तक कि इन दुर्भिक्षों की माली हालत ठीक नहीं होगी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि तब तक उनकी हालत सुधर नहीं सकती है।

एक सदस्य---यह दुर्भिक्ष कौन हैं?

श्री रघुवीर राम---इनको ज्यादा से ज्यादा अनुदान मिलना चाहिये, इनको तकावी मिलनी चाहिए, इनके मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। अपने जिले में मैं देखता हूं कि कर्ज जब यहां से जाता है गरीबों के नाम पर तो उनको यह कर्ज नहीं दिया जाता, उनको तकावी नहीं दी जाती बल्कि यह तकावी उनको दी जाती है जिनके पास मालियत है। अनुदान गरीबों का, गरीबों के नाम पर और जिनके पास मालियत हो उसे तकावी दी जाय। इन गरीबों को न देकर के उनका नाम बदनाम किया जाय। कर्ज उनको दिया जाता है जो बड़ी-बड़ी मिलों के मालिक हैं। इन गरीबों को कर्ज नहीं दिया जाता है जिनकी हालत चिन्तनीय है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री के सामने सुझाव रखना चाहता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा तकावी देनी चाहिये। मकानों के लिये तकावी देनी चाहिये। इनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिये। तब जाकर के इन दुर्भिक्षों की हालत कुछ सुधर सकती है। वर्ना ऐसा अनुदान लाकर के और लच्छेदार भाषणों से दुर्भिक्षों की हालत सुधर नहीं सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मुक्तिनाथ राय, केवल पांच मिनट का समय आपको मिल सकेगा। कृपाकर के आप अपनी बात वहीं तक सीमित रखिये।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आजमगढ़ जिले की कुछ हालत आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं। यों तो आजमगढ़ जिले के १ हजार गांवों में पत्थर पड़ा। सगड़ी तहसील के जिन गांवों में पत्थर पड़ा था जब हम लोग उन गांवों को देखने गये उसमें जब हम लोग एक तरफ से घूम रहे थे तो दूसरी तरफ से एक कानूनगो साहब भी वहीं घूम रहे थे। वह एक गांव में आये और वहां उन्होंने कहा कि १६ आने में ६ आने नुक्सान इस गांव में है। जब गांव वाले उनको खेत के नजदीक ले गये तब उन्होंने कहा कि १६ आना नुक्सान हुआ है। वहां पर ८, ९ गांवों की ऐसी हालत है। यदि उनको वहां जाकर स्वयं न देखा जाय तो पता नहीं लग सकता है कि पत्थर से कितना नुक्सान हुआ है। हमारे यहां कमिश्नर गोरखपुर डिवीजन ३,४ गांवों में गये थे। उन्होंने वहां पर देखा कि लोगों की बात सही है। वहां पर ८ गांव ऐसे हैं जिनके बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि अगर वह इन गांवों में जाते तो १६ आना नुक्सान जो हुआ है उसको जरूर कम कर देते। ऐसा होता है कि लेखपाल रिपोर्ट करता है १६ आने की लेकिन तहसीलदार इस बात की कोशिश करते हैं कि नुक्सान कम दिखाया जाय। तहसीलदार अगर ठीक लिख दे तो फिर ऊपर से प्रभाव पड़ता है कि कम दिखाओ और उसको कमिश्नर कम करता है। तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि यह ८ गांव ऐसे हैं कि इनमें पत्थर पड़ने से जो नुक्सान हुआ है उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। ये आठ गांव है मधनापार, तेजा साहु की पंडरी, कटुई, पूरा बाल नरायन, मदुआपार, कान्धरपुर, शहाबुद्दीनपुर, बिलरियागंज का पूर्वी भाग। ये मौजे ऐसे हैं कि जहां एक भी खपरा घर पर नहीं है। ऊख और पेड़ों पर पत्ते तक नहीं रहे। तेजा साहु की पंडरी गांव में मैंने देखा कि २५ हाथ गहरा कुंआ है। जब मैंने उस कुयें को

[श्री मुक्तिनाथ राय]

२३ जनवरी, १९५९ को देखा तो केवल २ हाथ खाली था। उसमें पत्थर भरा पड़ा था। ५ दिन बाद वह पत्थर खत्म हुआ होगा, लोगों को पीने के लिये पानी नहीं था। पूरा कुआं ओलों से भर गया था। सरंगहा सागर और सरगहा जमुनी भान इन दोनों गांवों में २१ जनवरी, १९५९ को पत्थर पड़ा था। मैं वहां पर २३ जनवरी, १९५९ को गया। तब तक वह पत्थर गला नहीं था। इसके सम्बन्ध में मैंने प्रश्न भी किये हैं। सुना है वहां पर तहसीलदार साहब कहते हैं कि ६ आना नुक्सान हुआ है। मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेंगे तो पब्लिक के साथ न्याय नहीं होगा। खासकर इन आठ गांवों की दशा इतनी खराब है कि उसको कोई समय निकाल कर माननीय राजस्व मंत्री जी देखने का कष्ट करें। यह वहां की जनता के साथ बहुत सहानुभूति होगी।

इन गांवों को सरकार ने तक़ावी दी है और छूट भी दी है, लेकिन इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। इन आठ गांवों की ऐसी दशा है, जिनका मैंने नाम लिया है, उनको फिर से बसाना है। इनके लिये जो कुछ भी उपाय कर सकते हैं वह किया जाना जरूरी है। उनको काल के गाल से बचाने की जरूरत है। मुझे इसमें सन्देह है कि कहीं बंगाल की हालत वहां पर न हो जाय। वहां पर छोटे-छोटे किसान हैं। वहां पर केवल रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल नहीं होती है। इस साल रबी की फसल भी खराब हुई है। ज्यादा पैदावार नहीं हुई। लोगों के लिये घरों में रहने की जगह नहीं है। इस समस्या को आप को हल करना है। सरकार विशेष परिस्थिति में इन गांवों की जिम्मेदारी ले। इन लोगों के लिये खाने का प्रबन्ध किया जाय नहीं तो गांव के लोग अपना बसर नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों में रबी की फसल अच्छी हो सकती है यदि सिंचाई का इन्तजाम हो जाय। इन गांवों की कठिनाई का निवारण तभी हो सकता है जब इन गांवों में शीघ्र नलकूप बनायें जायं ताकि गांव के लोग गर्मी की फसल बोकर अपना निर्वाह कर सकें। इस विशेष परिस्थिति को देखकर विशेष उपाय करने की जरूरत है। नहीं तो जनता का निर्वाह नहीं होगा।

श्रीमन्,एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जिले में तक़ावी वसूली के लिये आदेश जारी हो चुके हैं। हमारे जिले आजमगढ़ में देवरिया की तरह से लोग कैश क्राप से ज्यादा पाते हैं। हमारे जिले में कोई शुगर मिल नहीं है। शुरू में सूखा पड़ गया था कहीं पर धान ठीक पैदा नहीं हुआ। धान बोया जाता है लेकिन अभी तक बहुत अच्छी पैदावार नहीं हो रही है। बनौरी बहुत जोर से वहां पर पड़ी है। इस वक्त वसूली बड़े जोर से हो रही है। ये दिन किसानों के लिये बड़े कठिनाई के दिन हैं। वहां ऊख का शर्बत और मटर की छीमी खाकर लोग इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी वहां की स्थिति देखने के लिये कोई समय दें। तकावी वसूली रोकें।

***श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष है या नहीं है, प्रश्न यह नहीं है। जब बजट साहित्य में दुर्भिक्ष के ऊपर रकम रखी गयी है तो यह काफी सबूत है कि आज हमारे राज्य में दुर्भिक्ष है और आज ही से नहीं है वरन् मुझे जहां तक स्मरण है है, जब से इस राज्य की स्थापना हुई, कांग्रेसी राज्य की, निरंतर यहां के इस बजट साहित्य को आप देखें, दुर्भिक्ष के लिये कुछ खास रकमें रखी हुई मिलेंगी। कुछ लोग इस सत्य से इंकार कर सकते हैं लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि क्या पत्ते खाना, साखू के बीज खाना,

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पत्तलों पर टूटना, गांव में टूटे हुये बरतनों की चोरी, भेड़ बकरी की चोरी और कोनसुथनी की चोरी क्या दुर्भिक्ष की अवस्था का परिचय नहीं देते? राजस्व मंत्री जी ने एक दिन कहा था कि यदि हमें यह रिपोर्ट मिले कि जमीन अधिक बिक रही है, यह रिपोर्ट मिले कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है, तो उस अवस्था में मैं अवश्य यह मान लूंगा कि दुर्भिक्ष की स्थिति है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिये मैं उनसे स्वयं आग्रह करूंगा कि समय-समय पर इस सदन में जो प्रश्न होते हैं और उनके जो उत्तर सरकार की तरफ से दिये जाते हैं इन समस्याओं के संबंध में, उनको वह देखने का कष्ट करें और उससे उन्हें ज्ञात हो जायगा कि राज्य की स्थिति क्या है। फूड इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देना भी मैं उचित समझूंगा। उसने स्वयं लिखा है कि पूर्वी जिलों की हालत काफी खराब है। कुछ ऐसी स्थिति है कि जिसका मुकाबला सरकार को हर उपाय से करना चाहिये। इसके अलावा खुद माननीय राजस्व मंत्री जी ने कबूल किया है कि हमारे राज्य में दिनों दिन भोजन की वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जा रहा है। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हमारे राज्य में खाद्यान्नों की कमी हो रही है, लेकिन आश्चर्य तब होता है कि जब हम यह देखते हैं कि हमारे देश के जिम्मेदार लोग काफी अरसे के बाद यह कहते हैं, ११ साल के बाद यह कहते हैं कि हमारे देश की सब से बड़ी समस्या अन्न की समस्या है। इसका भास उनको ११ साल बाद होता है। आज मुझे खुशी है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के, सभी ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि विभुक्षित इंसानों की संख्या बढ़ रही है और वह ऐसी सीमा को पार कर रही है कि जहां से आगे खतरा दिखायी देता है। मैं तो कहूंगा कि आप सारे लक्षणों को छोड़ दीजिये, आज पालिटिक्स के सब से बड़े विद्वान प्रोफेसर लास्की के लक्षणों को सामने रखते हुये आप अगर सोचते तो जनता का कल्याण हो जाता। जनता ने अभी चन्दौली में फैसला किया "These bye-elections are barometer of public opinion." । आप समझें कि आपके आदमी में कोई खास बुराई है, ऐसी बात नहीं है। मौदहा और चन्दौली की हारें इस बात का प्रमाण हैं कि जनता की राय में खाद्यान्न के बारे में यह सरकार पूरी तरह असफल रही है, सरकार भले ही इससे इन्कार करती रहे। फिर हम कैसे कहें कि इस सरकार ने देश में कल्याण कर दिया, वह हरा-भरा हो रहा है?

हमें तो अपने जिले के लिये बजट साहित्य में केवल यही दिखाई दिया कि फांसी पाये हुये लोगों को कमरों की जरूरत है, देवरिया जिले में। तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि भूखे लोग बड़े से बड़े कुकर्म करने के लिये तैयार हैं? जिसके लिये सरकार को फांसी की कोठरियां बनवानी पड़ रही हैं और पुलिस चौकियां कायम करनी पड़ रही हैं? वास्तविकता से इन्कार करने की आदत को यह सरकार छोड़े नहीं तो चन्दौली और मौदहा की ही बात नहीं, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि चाहे आपने लाख कोशिश की लेकिन अलीगढ़ में आपको फिर से हारना पड़ा है। इनसे स्पष्ट है कि खाद्यान्न के बारे में सरकारी नीति बिलकुल ग़लत है जिसके बारे में प्रस्तावक महोदय ने बताया था कि वे अफसरों की बात सही मानने और हमारी बात गलत मानने के कारण हैं। कुछ दिन पहले माननीय लारी जी के प्रश्न के उत्तर को मैंने देखा कि देवरिया की स्थिति की आपको सही रिपोर्ट नहीं मिली और जिलाधीश ने हमारे किसी हिस्से में भी टेस्ट वर्क्स नहीं शुरू किये। मुझे स्मरण है कि जब राष्ट्रपति यहां आये थे तो लाखों लोग पूर्वी जिलों के ४ आने और ६ आने की मजदूरी पर काम कर रहे थे। इन तथ्यों से आज भी इन्कार किया जायगा, यह मैं मानता हूं।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि किसी भाई ने जो कुछ हमने कहा उसका विरोध नहीं किया। अगर किसी एकाध माननीय सदस्य ने विरोध भी किया तो उनको हमने कहा, इसलिये वह समझे कि हमको नहीं कहना चाहिये था, उनको कहना चाहिये था। मैं समझता हूं कि खाद्यान्न का प्रश्न ऐसा है जिस पर राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिये। जब कभी भी किसी देश में ऐसी अवस्था आती है कि लोगों को दूसरे लोगों की सहायता की आवश्यकता हो, तो फिर भेदभाव आदमी को भूल जाना चाहिये। मैं अपने को कहता हूं कि मैं सोलहों आना भेदभाव भुलाने की बात सोचता हूं लेकिन जब दूसरी तरफ से भेदभाव होने लगता है तो मैं भी इन्सान हूं, हाड़ चाम का हूं, कोई पत्थर तो हूं नहीं, उसमें क्रोध, आवेश और डर, ये सभी चीजें पैदा होती हैं। अगर ये

[श्री गेंदा सिंह]

सारी चीजें पैदा न होती तो मैं कोई देवता होता। हर मनुष्य में ये कमियां होती हैं और मैं समझता हूं कि वही मनुष्य है। अच्छा हो कि जब माननीय राजस्व मंत्री जी बोलें तो वह कुछ ऐसा वातावरण पैदा करने की चेष्टा करें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमें बैठकर कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैंने वातावरण को पैदा करने की कोशिश की और उसको पैदा करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री चरण सिंह---मैं उसी वातावरण को हटाने की कोशिश करूंगा।

श्री गेंदा सिंह---मान लीजिये कि हमने वातावरण को बिगाड़ा लेकिन आपकी जो प्रजा है वह क्यों तकलीफ काटे। मैं आज उसका प्रतिनिधि हो गया। कल को निकाला जा सकता हूं। अगर गलती करूंगा तो निकाल दिया जाऊंगा। तो अगर राजस्व मंत्री जी यह समझते हों कि मेरे निकलने से वातावरण ठीक हो जायगा तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर वह गेंदा सिंह के स्तीफा देने के बाद उसकी बातें सुन सकें तो मैं वह दे दूंगा।

श्री चरण सिंह---तो आपके लिये मैं अपने सेहन में कुटिया छवा लूंगा।

श्री गेंदा सिंह---मेरे पास खेती है, खेती बारी करूंगा, फिर अपने काम में लग जाऊंगा लेकिन आप एक बार कहिये कि तुम्हारी वजह से यह तकलीफ होती है तो मैं हट जाऊं। मान लीजिये कि मुझसे कोई कटु बात निकल गयी तो वे उसको छोड़ दें। मालूम होता है उनके मुंह से फूल ही झड़ते हों। अपने दोस्त और घर वालों से जरा वे पूछ लें कि उनके मुताल्लिक उनका क्या ख्याल है। क्या आप ऐसी ही मीठी बोली बोलते हैं? कम से कम ऐसी मीठी बोली बोलिये कि हमको भी सीखने का मौका मिले। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि राजस्व मंत्री जी जो कुछ कहेंगे उससे बहुत उपकार होने वाला है नहीं तो मार पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब की मर्तबा भार पड़ने वाली बात न होगी। मैं उनका ध्यान केवल किसानों के तबके की तकलीफ की तरफ दिलाना चाहता हूं जो वाकई दुर्भिक्ष ग्रस्त हैं। अगर है, तो उसके बारे में सोचें, विचारें और उनके लिये कुछ करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि दुर्भिक्ष जो पश्चिमी जिलों में पड़ रहा है उसके लिये हमको भी ५ मिनट मिलना चाहिये। ५ मिनट का मौका, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---उत्तर दिये जाने के बाद अब आपको मौका नहीं दिया जा सकता। अगर पहले आप खड़े होते तो मिल सकता था।

***श्री चरण सिंह**---अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त अफसोस है कि मैंने जरा सी कोशिश यह की कि माननीय गेंदा सिंह जी जिस संजीदगी के साथ अपने दिल पर जिस भार को लिये हुए स्पीच दे रहे थे, उसका जरा सा बोझा हल्का हो जाय, उस पर उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया कि घर वालों से पूछो, कम से कम मुझको वह अच्छा नहीं लगा कि मेरी जाती बातों से इसका क्या वास्ता था।

अब जहां तक इस अनुदान का संबंध है मैंने केवल अनुदान पेश कर दिया और उसकी ताईद में कुछ भी अर्ज करने की जरूरत नहीं समझी, उसका कारण यह था कि मुझे कोई नयी बात कहना नहीं थी। हर साल यह अनुदान पेश होता है और जो बातें उसके हक में कही जाती रही हैं, वही बातें मुझे दुहरानी पड़तीं। लेकिन आज मुझको देखकर ताज्जुब हुआ जो कि कटौती के प्रस्ताव के संबंध में तकरीरें हुईं। जो तकरीरें हुईं वे कितनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेबुनियाद और गैरजरूरी थीं वह तो मैं बाद में अर्ज करूंगा लेकिन पहले मैं इस अनुदान का जो नाम है, जो शीर्षक है मालूम होता है कि उससे बड़ी भारी गलतफहमी है, उसको दूर कर देना चाहता हूं। इसका शीर्षक है "फेमिन रिलीफ" जो ए० जी० के यहां से बन कर आता है। फेमिन हो या न हो, आगे को फेमिन पड़ने का अन्देशा हो या न हो तो भी हमको यही शीर्षक रखना पड़ेगा और उस शीर्षक में एहतियातन कुछ रकम की दरख्वास्त करनी पड़ती है। मैंने अभी अपने डिप्टी सेक्रेटरी से यह कहा है कि कल को ही एक चिट्ठी ए० जी० के यहां लिख दें कि इसका शीर्षक "स्केयरसिटी रिलीफ" कर दिया जाय ताकि मुमकिन है अगले साल इस तरह की तकरीरें न हों।

माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि यह तो कोशिश है ही अकाल की, यानी परमानेंट अकाल उत्तर प्रदेश में है, उसके लिये परमानेंट सत्याग्रह होना चाहिये, परमानेंट रिलीफ की जरूरत है, जैसे मालूम होता है कि परमानेंट फेमिन पड़ा हुआ है। मेरे माननीय मित्र को तसल्ली होगी अगर सब लोग इस बात को स्वीकार कर लें कि उत्तर प्रदेश में फेमिन है और जब से वे यहां असेम्बली में आये हैं और कहते रहे हैं तब से परमानेंट है और अगले साल को फेमिन होने वाला है क्योंकि हमने फेमिन रिलीफ के नाम से कुछ रुपया मांगा है। इसी तरह की कुछ गलतफहमी हमारी तरफ के भी एकाध मित्र को हुई, जैसे आगरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्योंकि फेमिन रिलीफ के लिये रुपया मांगा जा रहा है इसलिये आज फेमिन है। इस पर माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि उनके भाषण की तरदीद कोई नहीं हुई और वह इस वजह से नहीं हुई क्योंकि फेमिन आज है। अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार कह चुका हूं कि जब हिन्दुस्तान आजाद है तो यहां फेमिन कभी हो ही नहीं सकता, ख्वाह कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में हो, ख्वाह-परमात्मा वह दिन लाये और मुझे देखने का मौका हो कि माननीय गेंदा सिंह की पार्टी पावर में हो। जो भी पापुलर गवर्नमेंट यहां पावर में होगी वह यहां फेमिन नहीं पड़ने देगी। कारण यह है कि आज कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा इन्तजाम है जिससे कहीं से भी, देश के किसी हिस्से से भी मदद वक्त पर पहुंचायी जा सकती है। यही नहीं अगर अपने प्रदेश में अन्न न हो तो देश के दूसरे प्रदेश से अन्न मंगाया जा सकता है या अपने देश में अन्न की कमी हो तो इसी प्रकार से दूसरे देशों से भी मदद मिल सकती है लिहाजा फेमिन नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि आखिरी फेमिन सन् १९४३ में पड़ा था जब कि यह देश गुलाम रहा। इस तरह से फेमिन का सवाल तो है नहीं, स्केयरसिटी यहां है, आगे को भी होगी ऐसा मुझे अन्देशा है। मेरा खयाल है कि मेरी पीढ़ी तक यह चीज अवश्य रहेगी। उन कारणों की तरफ से एक चीज की तरफ मैं इशारा कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां जमीन बहुत कम है, बहुत कम है।

आज देश में जो मालदार दिखलायी देते हैं वे दो तरीके से मालदार हुए हैं। या तो उनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे यू० एस० ए०, कनाडा, अर्जेन्टाइना और आस्ट्रेलिया और या तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज तो कम हैं जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस और इंगलैन्ड, जिन्होंने अपने देश को बिल्ड अप किया है दूसरे देशों का शोषण कर-कर के, दूसरों को गुलाम बना कर के। अब हम जिस वर्ल्ड डेवलपमेंट के स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमारे यहां रिसोर्सेज कम हो तो भी हम किसी दूसरे देश का शोषण नहीं कर सकते हैं, अगर चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। उसका एक कारण यह है कि आजकल पोपुलेशन हमारे यहां बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। केवल हिन्दुस्तान में ही हर साल ८० लाख आदमी बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में हमारे सामने एक ही रास्ता है। वह यह कि अपने देश की पैदावार फी बीघा बढ़ायें। रामायण राय जी ने कहा कि पहले इधर के लोग नहीं मानते थे, आज सबने माना कि अन्न की जरूरत है। कब नहीं मानते थे? बराबर कहते थे कि हमारे यहां जो अभाव है उसका एक ही इलाज है कि पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़े और पर एकड़ प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक न कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, न सोशल सर्विसेज का डेवलपमेंट हो सकता है, न एजूकेशन बढ़ सकती है, न यहां मेडिकल रिलीफ बढ़ सकती है।

[श्री चरण सिंह]

अभी आज भी जिक्र हुआ और बराबर होता रहता है कि यू०पी० बैकवर्ड है। हमारी गलतियां रही होंगी, गलतियां किससे नहीं होतीं, लेकिन हमारे सूबे की बैकवर्डनेस का फंडामेंटल काज यह है कि एक केरल को छोड़ कर यहां जमीन का रेश्यो फी व्यक्ति कम है। दूसरे यह कि पंजाब के बाद व्हीट का प्रोडक्शन हमारे यहां दूसरे नम्बर पर है। चावल में हम बंगाल और आंध्र से बहुत पीछे हैं और तीसरा कारण यह है कि नान-एग्रिकल्चरल सेक्टर यहां और सूबों के मुकाबले में कम है और जहां यह बात होगी वहां वह उतना ही अधिक गरीब सूबा होगा। हमारे यहां साढ़े ६७ फीसदी लोग कल्टिवेटर हैं।

देवरिया की गरीबी का कारण क्या है, वह यह है कि फी व्यक्ति जमीन वहां कम है। वहां साढ़े ८७ फीसदी लोग कल्टिवेटर हैं। पश्चिम के बहुत से जिलों के बराबर जमीन वहां है लेकिन अगर दूसरे जिलों में वह जमीन ५०,६० आदमियों में बंटी है तो वहां साढ़े ८७ आदमियों में बंटी है। ८७·४ वहां कल्टिवेटर है।

मैं बड़े फार्म्स का हमेशा विरोधी हूं। लेकिन जिस पार्टी का मेम्बर होने का फख्र मुझे है उसने यह तय किया कि मुआविजा दो, जमीन लो और तकसीम करो और कोआपरेटिव फार्मिंग करो। लेकिन मैं उसूलन छोटी होल्डिंग्स के पक्ष में हूं और बड़े फार्म्स को खत्म किया जाय। लेकिन साथ ही अगर साढ़े ८७ फीसदी के बजाय अगर १०० फीसदी जमीन पर देवरिया में लोग जीवन बसर करने लगें तो देवरिया और गरीब हो जायगा। गरीबी घटेगी तब जब खेतों में फी एकड़ प्रोडक्शन बढ़े और जब किसान के पास गल्ला सरप्लस होगा तब नान-एग्रिकल्चरल एम्पलायमेंट बढ़ सकता है।

एक साहब उन्नाव के थे, उन्होंने कहा कि मकान गांवों में नहीं हैं। बजट उनके सामने है १ अरब १० करोड़ का। हिसाब लगा कर देखें अगर मकान बनवाना शुरू कर दिया जाय तो एक बड़े जिले के गांवों के लोगों के लिये मकान बनाने को काफी नहीं होगा। मेरे मित्र मुक्तिनाथ राय जी ने ८ गांवों का नक्शा खींचा। और ज्यादा नक्शा खींचते तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं उनसे ज्यादा भावुक हूं और वे शायद बरदाश्त कर गये होंगे, लेकिन मैं उस जगह होता तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। लेकिन उस नक्शे के खींचने से, काली तस्वीर खींचने से फायदा क्या? तस्वीर खींचने से तो मसला हल हो नहीं जायगा। उसके लिये रिसोर्सेज कहां हैं? इसलिये कड़ा दिल करके मैं यह समझता हूं कि तकलीफ रहेगी, गरीबी रहेगी, मकान नहीं मिलेंगे, भोजन दिक्कत से मिलेगा, हमको इस बात को एज्यूम करके यह कोशिश करनी चाहिये कि हम अपने सूबे में फी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ायें और एक मंत्रिमंडल नहीं, कई मंत्रिमंडलों को आकर यह बात सोचनी होगी। आप यहां घर-घर बिजली पहुंचा दें, गांव-गांव में तार खींच दें, जब तक किसान का सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। लिहाजा हमारी सारी एनर्जीज को बेंड करना है टुवर्ड्स इनक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन।

अध्यक्ष महोदय, अब आप कहते क्या हैं, गेंडा सिंह जी महाराज, अब गेंदा सिंह जी उनको कहना गलत है, इनको गेंडा सिंह जी कहने की अगर आप इजाजत दे दें....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं जो सही नाम है वही कहिये।

श्री चरण सिंह—अच्छी बात है। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि प्राइसेज इतनी ऊंची हो गईं लिहाजा अकाल है। प्राइसेज के ऊंचे हो जाने से अकाल नहीं होता और प्राइसेज बहुत नीची हों तब भी अकाल पड़ सकता है। प्राइसेज आपके देश के मुकाबले में दूसरे देशों में ज्यादा हैं फिर भी अकाल नहीं है। प्राइसेज आज पहले से ज्यादा हैं फिर भी आपके यहां अकाल नहीं है। अकाल और चीज है। तो केवल प्राइसेज ज्यादा हैं इसलिये अकाल नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि इतनी कम रकम क्यों रखी है ? पिछले साल कितनी थी ? रकम कम रखने से कौन सी कमी पड़ गई रिलीफ पहुंचाने में ? मेरी तो परमात्मा से यह प्रार्थना रहती है कि हालात खराब नहीं होंगे। आप यह चाहते हैं कि हालात जरूर खराब होंगे लिहाजा २,००,००,००० रुपये रखिये। यह बजट अगले साल का है, बन रहा है। हो सकता है कि यह जो रुपया रखा जा रहा है यह गैर जरूरी साबित हो। तो यह कैसे मान लिया जाय कि क्योंकि ५ साल से ज्यादातर हालत खराब रही है लिहाजा अगले साल भी रहेगी ? अगर यही नतीजा निकालें, गेंदा सिंह जी चाहते हैं यहां हालत खराब रहे, यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है कि वह ऐसा चाहते हों, ऐसा तो हो नहीं सकता, लिहाजा कहीं और दोष है। पिछले साल का बजट देखिये ३६,६६,२०० रुपये इस मद में थे। खर्च हमने किया, जरूरत हमको पड़ गई ९१,८७,००० रुपये को तो कंटिजेंसी फंड से लिया। अब भी जरूरत पड़ेगी फिर निकाल लेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जरूरत न पड़े।

इससे कोई वास्ता नहीं था रेमीशन वगैरह का। इस ग्रांट से न कोई फ्लड का वास्ता है, न विलेज रेजिंग का है। वैसे जहां तक रिलीफ की बात है इस साल १५ फरवरी, १९५९ तक के आंकड़े बताता हूं। ९१ लाख तो केवल फेमीन ग्रांट के अन्दर है। और जो रकमें हैं वह मैं बताता हूं :

	Rs.
Gratuitous relief	13,57,067
Subsidy for reconstruction of houses damaged or destroyed by floods or excessive rains	8,43,000
Test and relief works	20,09,000
Draining out of accumulated water from fields to enable *rabi* crops being sown in time	8,60,000
Taqavi	1,19,56,000
Taqavi for purchase of *rabi* seed	49,38,000
Total ..	2,24,78,236

इतना रुपया यह बैठता है।

अगर वह कहा जाय कि काफी है, मैं कहूंगा कि नाकाफी है। उससे पच्चीस गुना रहना चाहिए। कम से कम एक अरब रुपया चाहिए लोगों को तकावी के लिए। कहां से आवे ? माननीय मित्र उन्नाव के कह रहे थे कि साहब तकावी दी जाती है जिन के पास जमीन है। और किस को दी जायगी ? तकावी का मतलब है लोन टु दि ऐग्रीकल्चरिस्ट। किसान को लोन दिया जाता है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि लोन अगर लैन्डलेस को दे दें। कर्जे का मतलब यह है कि वसूल किया जायगा और कर्जा उसी को दिया जाता है जिसके पास सिक्योरिटी हो। मुझे आप कर्जा दे दीजिये। मैं शायद ईमानदारी से वापस कर दूं। लेकिन कर्ज देने वाला यह देखेगा कि कल को चरण सिंह के दिल में बदी आ गयी, बदनियत हो गया और न दे, और अगर नेकनियत भी रहे और देना चाहे तो कहां से देगा, और कहां से वसूल करूंगा ? इस लिए जब तकावी दी जाती है तो उस आदमी को दी जायगी जिसके पास सिक्योरिटी होगी। अगर आप के पास कोठी है और कार भी है और जमीन है कुल दो एकड़। तो आप को दो एकड़ के ऊपर मिलेगी। तकावी एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल होती है। अगर मकान की सिक्योरिटी पर रुपया दिया तो गवर्नमेंट को नोटिस करनी पड़ेगी सिविल कोर्ट में जाकर। इसलिए तकावी का कायदा यह है और यही तरीका हो सकता है।

[श्री चरणसिंह]

मैंने एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि तकावी दी जायगी लैन्डलेस लोगों को ताकि वह लैन्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लायट कर सकें। अब मैं क्या कहूं इस कंफ्यूजन को? लिखने वाले ने यह नहीं सोचा कि क्या लिख रहा हूं। हमारे जो लैन्डलेस लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है। तस्लीम करते हैं। अब उनको रुपया इस खयाल से दीजिये कि आवे तो अच्छा है न आवे तो अच्छा है अगर आपके पास इतना रुपया है, जरूर दीजिये। आखिर मैं और मेरे साथी जो मंत्रिमण्डल में हैं वह क्या संगदिल हैं? उनके क्या खून और गोश्त नहीं है? लेकिन कहां है पैसा? तो कम रुपया रक्खा, तो कम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इस प्रिजम्पशन को लेकर चलता हूं कि परमात्मा न करे कि और जरूरत पड़े।

टेस्ट वर्क के वेजेज की बात है। गेंदा सिंह जी को कुछ मुस्तकिल मजमून मिल गये हैं। लेखपाल, को मेरा प्यारा बतलाते हैं। मेरे प्यारे तो सारे राज्य कर्मचारी हैं। एक मालगुजारी काफी कम होनी चाहिएं। एक टेस्ट वर्क की वेजेज बहुत कम है। एक गन्ने का मुहकमा है। गन्ने के मुहकमें के सारे पहलू, बा मौके और बे मौके। अब जो टेस्ट वर्क के वेजेज हैं---यह उनका प्रिय मजमून है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि कुछ स्टेट्स में मजदूरी टेस्ट वर्क की ज्यादा दी जाती है, बनिस्बत उत्तर प्रदेश के। मैं जानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वह लोग गलती करते हैं। दो कारणों से, बल्कि तीन कारणों से। एक तो यह कि अगर टेस्ट वर्क के लिए वेजेज वही हों जो कि पी० डब्लू० डी० के वेजेज हैं, जैसा कि एकाध स्टेट के आंकड़े मंगाये गये तो काफी ऊंचे थे, मेरे खयाल से तो पी० डब्लू० डी० के वेजेज हैं। तो अगर पी० डब्लू० डी० की वेजेज ही टेस्ट वर्क्स की वेजेज हों तब तो कन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कामों में रुकावट पड़ जाय, चाहे दिन रात कैलेमिटीज हों या न हों। मालूम होता है कि माननीय गेंदा सिंह जी के जैसे मित्रों के चक्कर में पड़कर कहीं के मिनिस्टर ने ऐसे वेजेज तय कर दिये हैं। अगर पी० डब्लू० डी० के वेजेज देना हो तो फिर टेस्ट वर्क्स का सवाल नहीं उठता।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने बताया कि फिगर्स मंगा कर देख लीजिये सिवाय दो स्टेट्स को छोड़कर जिन के यहां पर कैपिटा टैक्सेशन अपने यहां से कम हो, बाकी सब के यहां हाई है और जब हाइयर पर कैपिटा टैक्सेशन है तो इन्कम ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में इन्कम कम है इसलिए हम ज्यादा पैसा टेस्ट वर्क पर नहीं दे सकते।

इसके अलावा, एक और बात है। सारे देश के लोग आइडिल और सेमी आइडिल टाइम्स में श्रमदान या नामिनल वेजेज पर काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मुल्क कभी डेवलप नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। दो ही तरीके हैं कम्युनिस्ट लोगों के तरीके से जो डन्डे के जोर से काम करा रहे हैं। रुपये दो रुपये का सवाल नहीं उठता खाने का इन्तजाम है, काम करना है। हमें कम्युनिज्म पसन्द नहीं है। हमने डेमोक्रेसी कायम की है लिहाजा लोगों को समझाकर अपने खाली वक्त में अगर दूर नहीं तो अपने गांवों का सुधार करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि जो हाथ से काम कर सकते हैं या श्रमदान से करें, तो अच्छा है और अगर आप चाहते हैं कि पूरी वेजेज दी जायं तो इतना इन्फ्लेशन हो जायगा कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर डिमोक्रेसी कायम रखना चाहते हैं तो हमें वालन्टेरिली काम करना चाहिए। पैट्रियाटिज्म के नाम पर काम करके इस देश को उन्नतिशील बनाना चाहिए।

एक सदस्य---क्या भूखे रहकर?

श्री चरण सिंह---छोड़ दीजिये। इन स्लोगन्स को छोड़िये। आप यह न समझिये कि आप ही देशभक्त हैं। कम से कम अपने और अपने दोस्तों के बारे में अधिक नहीं तो इतना तो कह सकता हूं कि आपसे अधिक नहीं तो आप से कम देशभक्त नहीं हैं। सब से वे मेरी बातें सुनें और अगर वह कहेंगे तो मैं उनके मकान पर आ जाऊंगा बातें करने के लिए। मैं यह कह

रहा था कि मेरे मित्र जो वहां से बोल रहे थे ऐसे ही लोग जब गांव वालों से कहते हैं कि अपनी सड़कें बना लो, अपने कुएं बना लो, अपनी नालियां ठीक कर लो तो यही मित्र उन से जाकर कहते हैं कि स्वराज्य और बेगार। अब यह बात लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस हमेशा अमर नहीं रहेगी। यह बुरा नहीं होगा देश के लिए अगर कांग्रेस एक बार हार जाय और हमारे दोस्तों को एक बार मौका मिल जाय। पांच साल के अन्दर यह एक-एक गांव में सड़के बनवा दें, गांव-गांव में अस्पताल खुलवा दें, मालगुजारी माफ कर दें और लेखपालों को बरख्वास्त कर दें। अगर पांच साल के बाद हमारे देशभक्त लोगों से देश का कार्य पूरा नहीं हो पायेगा तब पांच साल के बाद फिर लोग हम को याद कर लेंगे। लेकिन जान बूझकर हम से मैदान में हारा नहीं जाता। आप को यही तसल्ली है कि तीन सीटें आप जीत गये। आप को मुबारक हो आप की खुशी। मैं उसे छीनना नहीं चाहता।

अब अध्यक्ष महोदय, बम्पर क्राप की बात मेरे दोस्त अब्दुल रऊफ लारी साहब ने कही। मैं समझा करता था कि क्योंकि वे उधर बैठे हैं इसलिए समझदारी की उनमें कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट हमारे पास है कि बम्पर क्राप है इसलिए रुपया कम रखा है। दलील उन्होंने यह दी कि माननीय राजस्व मन्त्री को लेखपालों और कलेक्टर्स ने यह रिपोर्ट दे दी कि क्राप बम्पर हुई है। रबी भी अच्छी होने वाली है, इसलिए रुपया इस में कम रखा है, यानी यह जो क्राप गुजर गया है उसके खयाल से नहीं है, जो आने वाला है उस के अन्देशे से है। उससे क्या वास्ता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक तकलीफदेह बात कहना चाहता हूं और एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने में कठिनाई होती है, अगर मैं रेवेन्यू मिनिस्टर न होता और मेरे साथी कोई दूसरे रेवेन्यू मिनिस्टर होते और तब उस वक्त गेंदा सिंह जी और रऊफ लारी साहब कोई बात कहते तो मुझे आजादी होती बात कहने की। बदकिस्मती है कि मेरठ से आता हूं और राजस्व विभाग मेरे पास है। मैं छोड़ देता हूं माननीय गेंदा सिंह और लारी साहब की समझ पर। उन्होंने जो इशारे किये, वे वेंट होम और मुझे तकलीफ हुई जो उन्होंने दो एक फिकरे कहे। और कोई भले ही न समझा हो लेकिन मैं खूब समझता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से नीयत पर हमला न किया जाय। अक्सर उस तरफ से इस तरह के इशारे होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मुमिकन है कि कुछ बातें रह गयी हों जिनका मैं जवाब न दे सका हूं, अब वक्त काफी हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन के सदस्य इस अनुदान को पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष--अब मैं राय लिये लेता हूं कटौती के प्रस्तावों पर।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---जांच के काम और सहायता ठीक समय पर तथा उचित मात्रा में न करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---विभाग द्वारा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना।

५ बजे के बाद भी उस समय तक हम बैठेंगे जब तक इस अनुदान पर राय न ले ली जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--दुर्भिक्ष सहायता लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि की संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ३५,६७,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ फरवरी, १९५९।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८० पर।)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी जिले में जिन कच्ची सड़कों को पक्की करने का कार्य प्रारम्भ किया गया

१—प्रमर कुम्हरिया।
२—बूछ फतेहपुर।
३—जखावती।
४—मदरबारा।
५—जाबन सरकार।
६—मडौरी।
७—धवर्रा पिपरई।
८—रामनगर।
९—मोड खुर्द।
१०—महेवा।
११—मेरवास।
१२—रोंडा।
१३—जखौरा स्टेशन रायपुर।
१४—दैलबारा।
१५—अम्बाबाय।
१६—गणेशपुरा।
१७—नया खेडा

इन सड़कों की लम्बाई १७ मील ३ १/२ फर्लांग आती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन पक्की सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है

	मील
१—बार कैलगवा	१०
२—गुरसराय कुरेठा	१०
३—बांसी जखौरा	९
४—बांसी बार	७

नत्थी 'ख

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८९ पर।)

जिला बरेली के सार्वजनिक निर्माण विभाग की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की सूची

१—श्री धर्म दत्त वैद्य	अध्यक्ष।
२—जिला बरेली के समस्त एम० पी०, एम० एल० ए० तथा एम० एल० सी०	सदस्य
३—नगरपालिका के अध्यक्ष	,,
४—जिला अन्तरिम परिषद् के अध्यक्ष ..	,,
५—जिला नियोजन अधिकारी	,,
६—जिला अन्तरिम परिषद् के उपाध्यक्ष ..	,,
७—सहायक अभियन्ता, प्रथम बरेली	,,
८—अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड ..	,,
९—अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बरेली	,,

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३४५ एल० ए०—१९५९—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा